राजभाषा भारती

अप्रैल-जून, 1980 अंक-9

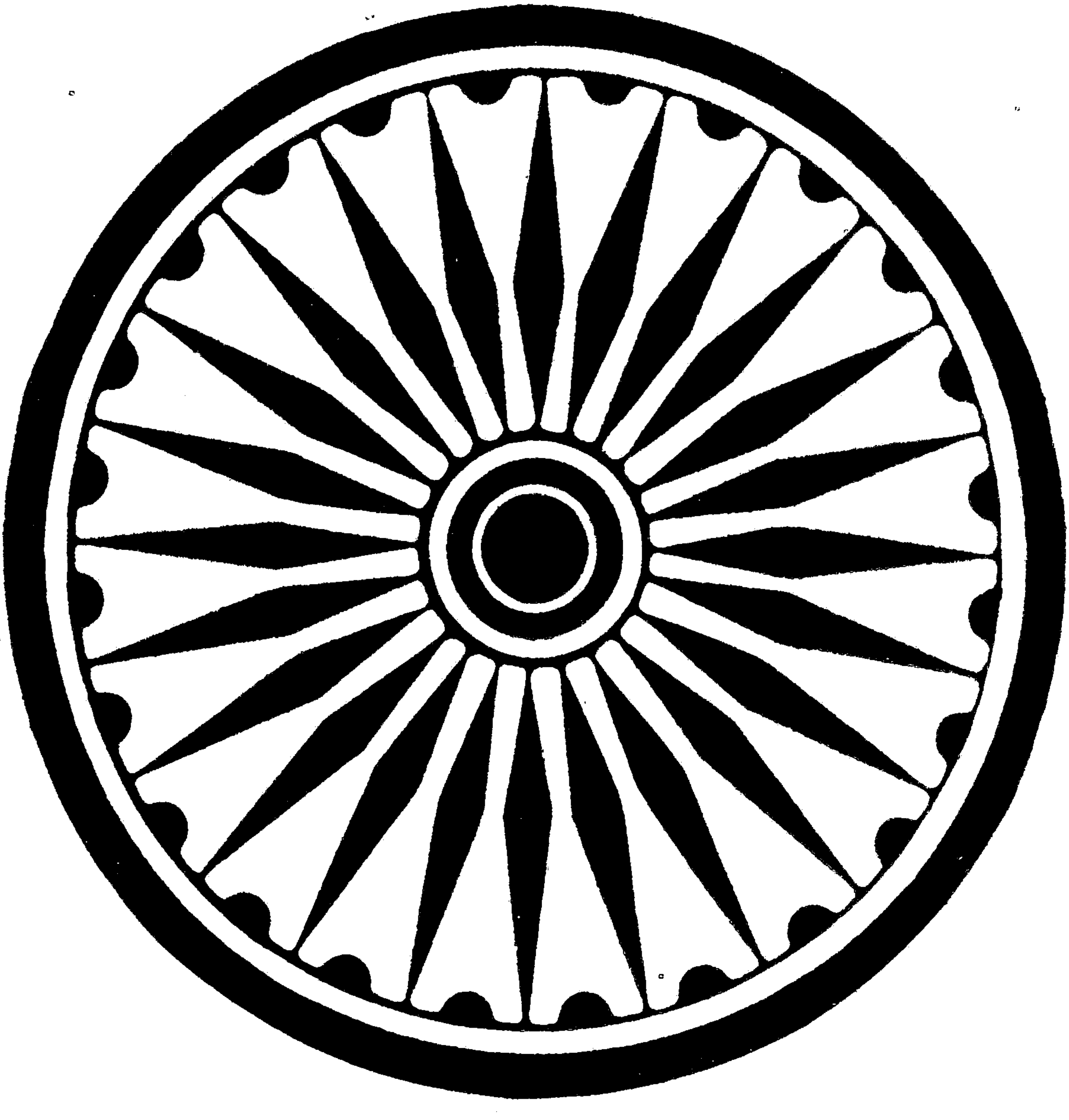

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

गृह राज्य मंत्री

भारत

दिनांक 25 अप्रैल, 1980

संदेश

भारत एक विशाल तथा बहुभाषाभाषी देश है जहाँ हमने प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपना कर इस विविधता में एकता का सूत्रपात्र किया है।

किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार का सारा कामकाज जनता के हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस दिशा में हमें तभी सफलता मिल सकती है जब कि सरकार का काम आम जनता की भाषा में किया जाए। इसलिए सरकार की यह नीति रही है कि संघ सरकार के कामकाज के लिए और सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए और राज्यों के कामकाज में उनकी अपनी राजभाषाओं का प्रयोग बढ़ाया जाए। इस बात को निरंतर ध्यान में रखकर संघ सरकार में हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य इस तरह किया जाना चाहिए जिससे आम लोगों में भाषा को लेकर कोई भ्रम या दुराग्रह न हो।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इस दृष्टिकोण को सामने रखकर हिंदी का प्रयोग बढ़ाया गया तो वह अवश्य ही भारतीय एकता की मजबूत कड़ी बनी रहेगी।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए व जो प्रगति हुई है, उसे सबके सामने प्रस्तुत करने में "राजभाषा भारती" उपयोगी भूमिका निभा रही है। मैं उसकी सफलता के लिए अपनी शुभ कामनाएँ देता हूँ।

योगेन्द्र मकवाणा

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

वर्ष-3 | अंक—9 | अप्रैल–जून, 1980

संपादक
राजमणि तिवारी

उप संपादक
हरिहर प्रसाद द्विवेदी

पत्र व्यवहार का पता :

संपादक, "राजभाषा भारती',
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
लोकनायक भवन (प्रथम तल),
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

टेलीफोन सं० 617803/617657

[पत्रिका में प्रकाशित वैयक्तिक लेखों में व्यक्त किए गए विचारों से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है ।]

—००—

विषय-सूची

		पृ० सं०
अपनी बात	संपादकीय	2
1. रेलों में हिंदी	—श्री कमलापति त्रिपाठी	3
2. हिंदी तथा अन्य भाषाओं के बीच आदान-प्रदान	—श्री पी०वी नरसिंह राव	6
3. संघ की राजभाषा की भाषा . .	—श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य	8
4. अनुवाद की भाषा और हिंदी का स्वरूप .	—श्री कृपा नारायण	11
5. दक्षिण भारत में हिंदी के पठन-पाठन की समस्याएँ	—प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी	15
6. राजस्थान में राजभाषा वर्ष . . .	—श्री कलानाथ शास्त्री	18
7. सरकारी प्रकाशन तथा उनके वितरण की समस्याएँ	—डॉ० श्याम सिंह शशि	20
8. राजभाषा संबंधी समितियाँ और उनके प्रमुख निर्णय :		
(1) गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति: 21वीं बैठक के प्रमुख निर्णय		23
(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति : 14वीं बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय		25
(3) ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग में हिंदी : कुछ प्रमुख निर्णय		26
9. हिंदी के बढ़ते चरण :		
(1) बैंकों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग	—डॉ० विश्वदेव शर्मा	29
(2) राष्ट्रीय बचत संगठन में हिंदी	—श्री क्षेत्रपाल शर्मा	32
(3) बी० एच० ई० एल०, भोपाल में हिंदी की प्रगति : एक झलक	—डॉ० भगवान दयाल श्रीवास्तव	33
(4) कुद्रेमुख में राजभाषा वर्ष—एक विवरण	—डॉ० सुरेन्द्र अरोड़ा	37
10. अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ : नियम और योजनाएँ		38
11. केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित कार्यालय	—श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	41
12. आदेश-अनुदेश :		
(1) भारतीय भाषाओं का देवनागरी लिप्यंतरण तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण	—कार्यवृत्त	42
(2) संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में वर्ष, 1980-81 का कार्यक्रम	—कार्यालय ज्ञापन	45
13. समाचार		54
14. पाठकों के पत्र		59
15. शब्दकोश और शब्दावलियाँ		61

अपनी बात

सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है त्यों-त्यों पहले कठिन लगने वाले शब्द भी आमफहम होते जा रहे हैं और उनके स्वरूप में आवश्यकतानुसार संशोधन भी होता जा रहा है। हिंदी में काम करने की झिझक अब काफी हद तक दूर हो गई है, फिर भी राज-काज के विविध क्षेत्रों के लिए इस के स्वरूप को अभी और तराशा जाना है। इस सिलसिले में, हाल ही में, भारतीय भाषाओं का देवनागरी में लिप्यंतरण, अंकों के सही उच्चारण एवं वर्तनी आदि के संबंध में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में भाषाविदों और विद्वानों की एक बैठक हुई थी जिसका विवरण हम इस अंक में प्रकाशित कर रहे हैं।

इस पत्रिका के माध्यम से, जहाँ एक ओर हम केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में हिंदी के प्रयोग की तस्वीर पाठकों के सामने रखने का प्रयास करते आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर राजभाषा की सांविधानिक और कानूनी स्थिति और महत्वपूर्ण आदेशों की भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इन नियमों, आदेशों और सुझावों को प्रकाशित करने का यह मतलब नहीं है कि हम कोई नया आदेश जारी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें प्रकाशित करने का हमारा उद्देश्य निर्णयों की सूचना देना तथा इनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त मनःस्थिति पैदा करना है।

भाषा व्यवहार से आती है और वह व्यवहार से ही सरल, सुबोध और सशक्त बनती है तथा उसकी शैली का विकास होता है। विकास की इस प्रक्रिया में गलतियों का होना स्वाभाविक है। उनसे घबड़ाने की बजाए हमें उनसे सीखना होगा और क्रमशः आगे बढ़ते जाना होगा। खुशी की बात है कि हमारे देश में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को लेकर पक्ष-विपक्ष में भाँति-भाँति की चर्चाएँ हो रही हैं। नए-नए प्रश्न उठ रहे हैं। विचार-विमर्श किसी लक्ष्य तक पहुँचने की ललक और जीवंत जाति की मानसिक परिपक्वता का द्योतक होता है। इन्ही स्थितियों को देख कर हमारे देश के मनीषियों ने कहा था 'वादे-वादे जायते बुद्धि:'। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे देश में भारतीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में ग्रहण करने की प्रबल इच्छा जन्म ले चुकी है, जो इस बात का संकेत करती है कि केन्द्र तथा प्रदेशों की सरकारों और जनता के बीच पारस्परिक चर्चा के लिए अच्छा वातावरण बनता जा रहा है।

रेलों में हिंदी

—कमलापति त्रिपाठी
रेल मंत्री, भारत सरकार

(चौथे अखिल भारतीय रेल हिंदी सप्ताह समारोह के अवसर पर 22 मार्च, 1980 को वाराणसी में दिए गए रेल मंत्री के भाषण की अविकल प्रतिलिपि)

मित्रो,

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि एकबार फिर आपके बीच आने का अवसर मिल रहा है। पिछले लगभग तीन वर्षों के अन्तराल के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आपके साथ मिल-बैठ कर विचार-विमर्श कर सकूँ। रेल परिवार मेरे लिए नया नहीं है और न तो मैं ही उसके लिए नया हूँ। मुझे संतोष है कि जब कभी मैं उसके सम्पर्क में आया, मुझे उसका स्नेह, सम्मान और सहयोग प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे हमारा विशालतम राष्ट्रीय संगठन है जिसने जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने की भरपूर कोशिश की है। आज मैं आपके बीच इस आशा के साथ उपस्थित हूँ कि आप जनता की अधिक उत्तम सेवा करने के लिए आगे आएँगे और रेलों का नाम ऊंचा उठाने के प्रयत्नों में कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे। हमारा विश्वास है कि आप यात्री-समुदाय की प्रशंसा एवं सम्मान के पात्र बनेंगे।

रेलों पर हिंदी सप्ताह समारोह अब नियमित रूप से प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। इससे हिंदी के प्रयोग की नयी सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं और रेल कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति जागरूकता एवं प्रेरणा पैदा हो रही है। मैं समझता हूँ कि रेलों पर हिन्दी के प्रयोग-प्रसार की नींव वर्ष 1974-75 में पड़ी जब इसके लिए सर्वथा अनुकूल वातावरण था। उस समय से हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर प्रगति होती रही है। विकास की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप रेल कर्मचारियों में यह विश्वास पैदा हुआ कि वे हिन्दी माध्यम से रेलों का कामकाज दक्षतापूर्वक चला सकते हैं। रेलों के परिचालन के किसी भी क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग में कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जो अपरिहार्य हो।

आज यह हिंदी समारोह पुरातन-पुनीत नगरी काशी में हो रहा है जो किसी युग में संस्कृत के विद्वानों की केन्द्र थी। यहीं से समस्त ज्ञान, अध्यात्म और दर्शन देश के कोने-कोने में फैला। यहाँ समय-समय पर देश भर के मूर्धन्य विद्वान और मनीषी एकत्रित होते रहते थे और अपने ज्ञान के आदान-प्रदान से जन-मानस को अनुप्राणित करते थे। भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और इतिहास में काशी ने सदैव अपूर्व योगदान किया है और अपने आलोक से अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। इस अति आधुनिक युग में भी काशी की महत्ता किसी प्रकार कम नहीं हुई है। इसका अनुमान इस नगरी में प्रतिदिन पहुँचने वाले तीर्थ-यात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ से लगाया जा सकता है जिसका ताँता वर्ष भर लगा रहता है। इन आगंतुकों में न केवल देश के दूरस्थ अंचलों से वरन् बड़ी संख्या में विदेशों से आने वाले व्यक्ति और समुदाय भी होते हैं। कहना न होगा कि आधुनिकता की आपाधापी में भी इस नगरी का सनातन, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप धूमिल नहीं होने पाया है। यहां रेलवे ने अखिल भारतीय समारोह आयोजित करके हिन्दी का प्रयोग अग्रसर करने की दिशा में अपने अभिनव संकल्प का परिचय दिया है और हम आशा करते हैं कि इसके सुखद तथा उत्साहवर्धक परिणाम हमारे सामने आएँगे।

पूर्वोत्तर रेलवे के तत्वावधान में इस समारोह के आयोजन का गौरव वाराणसी मंडल को प्राप्त हो रहा

है जो हिंदी भाषी क्षेत्र में पड़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस अंचल में हिंदी में कामकाज के लिए पहले से वातावरण मौजूद रहा है लेकिन फिर भी सन् 1975 के पहले तक यहां की रेलों के कामकाज में 15 से 20 प्रतिशत तक ही हिंदी का प्रयोग होता था। इस स्थिति से मुझे भी चिंता हुई थी और मैंने उसे सिकन्दराबाद में सलाहकार समिति की बैठक में व्यक्त भी किया था। बाद में स्थिति संभली और 1976 के अन्त तक पूर्वोत्तर रेलवे में हिंदी में कामकाज का प्रतिशत 80 से 85 तक पहुंच गया। इसी प्रकार की प्रगति और प्रेरक स्थिति अन्य रेलों में भी देखने में आई जिनमें पश्चिम और मध्य रेलवे तथा डीजल रेल इंजन कारखाने का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ तक कि दक्षिण-मध्य रेलवे में 26 प्रतिशत तक कामकाज हिंदी में होने लगा। उन दिनों रेलों ने हिन्दी के प्रयोग में ही नहीं, अपने कार्य-कलाप के हर क्षेत्र में प्रगति का नया कीर्तिमान स्थापित किया, चाहे वह गाड़ियों का परिचालन हो, समय-पाबंदी हो, आरक्षण हो या यात्रियों के साथ नम्र व्यवहार हो।

आप सभी जानते हैं कि सन् 1977 में इस देश में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया। इस अवसर पर मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह परिवर्तन अच्छा था या बुरा, केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सन् 1980 आते-आते जनता ने अपने निर्णय को स्वयं पलट दिया। उसने एक बार फिर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र में अपना विश्वास प्रकट किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रबल समर्थन दिया और इस प्रकार हमें भारी दायित्व सौंप दिया। हम इन दायित्वों को निभाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। आप सब बुद्धिजीवी हैं, देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, इसलिए मैं विस्तार से यह बताना आवश्यक नहीं समझता कि इस बीच देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई ? इस समय इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में चौतरफा गिरावट आई है, हिन्दी के प्रयोग में भी बिखराव और शिथिलता देखने में आई है क्योंकि इसे राजनीतिक विवाद का विषय बना दिया गया ।

वस्तुतः भाषा का सम्बन्ध राजनीति से नहीं, देश के समाज, दर्शन और संस्कृति से होता है। मैं बहुधा कहता रहा हूँ कि भाषा, संस्कृति और सभ्यता की संवाहिका होती है। किसी भी देश की संस्कृति भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पाती है। भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की कड़ी होती है। हमारे राष्ट्रनायकों, समाजसुधारकों दार्शनिकों और विचारकों ने सदियों पहले समझ लिया था कि जनता तक अपनी बात उसकी भाषा में कहकर ही पहुँचाई जा सकती है। उन्होंने अपने विचार युग-विशेष में प्रचलित जन-भाषा में ही व्यक्त किए जो सारे देश में दूर-दूर तक फैले। हमारे संत, महात्माओं और मनीषियों ने अपने उपदेशों के प्रसार के लिए इसी जन भाषा का प्रयोग किया और सहज ही जन-जन तक पहुँच गए।

इस युग के महामानव महात्मा गांधी अपूर्व द्रष्टा और चिन्तक थे। उन जैसे पूज्य नेता दशाब्दियों में ही नहीं, शताब्दियों बाद अवतरित हुआ करते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक जीवन आरम्भ करने के साथ यह अनुभव किया कि वहाँ काम के लिए पहुँचने वाले भारतीय मजदूर मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से आते हैं और उन्होंने परस्पर सम्पर्क के लिए एक भाषा अपना ली है जो हिंदी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं थी। यही स्थिति उन्हें मारिशस में में भी देखने को मिली। भारत आने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि उन देशों में जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, वह हिंदी अथवा उससे मिलती-जुलती भाषा थी। गाँधी जी सही माने में जनता के नेता थे, अतः उनके विचार और दृष्टिकोण भी जन-भावना से ही प्रेरणा प्राप्त करके उभरते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही हिंदी को सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया। राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने सन् 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में कहा था कि 'हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। वह राष्ट्रीय होने के लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है जिसे अधिक संख्या में लोग जानते हैं, बोलते हैं और जो सीखने में सुगम हो। ऐसी भाषा हिंदी ही है।'

मैं तो अपने को गांधी जी का शिष्य और विनम्र अनुयाई मानता हूँ और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता हूँ। कठिनाई यह है कि गांधी जी के विचारों को हम अपने राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह उतार नहीं पाए हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें हिंदी के प्रयोग में असुविधा हो रही है। देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में आज भी तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इसके कारण वहाँ से निकलने वाले स्नातक, जो बाद में चल कर उच्च अधिकारी बनते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। अतः उन्हें हिंदी में काम करने में कठिनाई होती है, किन्तु मैं यह मानता हूँ कि हमारे अधिकारी पढ़े-लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, और वे यह जानते हैं कि जन-भावना क्या है, उनके देश में कौन सी शासन-पद्धति है और वह शासन-प्रणाली किसके लिए है ?

लोकतंत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रशासन और जनता के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब प्रशासन का कामकाज जन-भाषा में किया जाए। जब प्रशासन अपनी बात

पूरी तौर पर जनता तक पहुँचा सकेगा, तभी जन-हित के कार्यों में उसका सहयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। जनतंत्र में यह आवश्यक है कि जनता, प्रशासन और राष्ट्रीय विकास-कार्यों के साथ निकट का सम्बद्ध हो अन्यथा न तो उसका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और न ही कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारी विवेकशील हैं और इसकी गम्भीरता को अच्छी तरह महसूस करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस प्रश्न की अहमियत को पूरी तौर पर समझा और इसी कारण देश के विभिन्न राज्यों की पन्द्रह भाषाओं को संविधान में स्थान दिया। साथ ही यह व्यवस्था भी की कि वहां का राजकाज प्रादेशिक भाषा में ही चलाया जाए। सभी जानते हैं कि हमारी प्रादेशिक भाषाओं का अपना विशिष्ट स्थान है, मौलिक सृजनात्मक शैली है और उनमें विपुल साहित्यिक भंडार है। यह निर्विवाद है कि इन भाषाओं के विकास पर हिंदी का विकास निर्भर करता है। हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है और इस सम्बन्ध को समृद्ध और सुदृढ़ बनाते हुए हिंदी का प्रयोग-प्रसार करना है।

हिंदी के प्रयोग के बारे में बहुधा कतिपय कठिनाइयों की चर्चा की जाती है जैसे तकनीकी, वैज्ञानिक और सांविधिक पुस्तकों का अभाव। मुझे बताया गया है कि तकनीकी पुस्तकों का अभाव दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की पुस्तकों के मूल रूप से हिंदी में लेखन और प्रकाशन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि यह योजना रेलवे में प्रभावशाली ढंग से लागू की जाय। और इस अभाव को दूर करने के लिए रचनात्मक प्रयास किया जाए। जाहिर है कि रेलवे के परिचालन एवं यांत्रिक और इंजीनियरी विभागों से सम्बन्धित जो तकनीकी पुस्तकें हिंदी अनुवाद के लिए हैं, उनका प्रयोग केवल रेलों तक सीमित होगा और उनकी खपत भी रेलवे में ही होगी। इस कारण उनके प्रकाशन पर आर्थिक अंकुश स्वतः लग जाता है। अतः आवश्यक है कि इन पुस्तकों के लेखकों तथा प्रकाशनों को प्रोत्साहित किया जाए, उनकी आर्थिक सहायता की जाए और मूल रूप से हिंदी में लिखित तकनीकी पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ाया जाए ताकि एक बड़े अभाव को पूरा किया जा सके।

मैं जानता हूँ कि रेलों पर हिंदी में काम बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप हिंदी में काम-काज बढ़ा है। इसे और अधिक आगे ले जाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में राजभाषा नियमों के अन्तर्गत रेल कार्यालयों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी जारी है। राजभाषा नियम 10 (4) के अन्तर्गत अभी तक 187 रेल कार्यालय अधिसूचित किए जा चुके हैं। इन कार्यालयों में अधिकांश कामकाज हिंदी में ही होना चाहिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अधिसूचित कार्यालयों के लिए कार्यक्रम भी निर्धारित किया है जिसके अनुसार 66 प्रतिशत कामकाज में हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। किन्तु इस प्रयोग में स्थायित्व आना चाहिए और वह तभी आ सकता है जब पत्रादि, टिप्पणियाँ और प्रारूप मूल रूप से हिंदी में तैयार किए जाएं। राजभाषा नियम 8 (4) में यह व्यवस्था है कि जिन अधिसूचित कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता-प्राप्त कर्मचारी हैं, उनमें टिप्पणी, प्रारूप लेखन और अन्य विनिर्दिष्ट शासकीय प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा। इन नियमों को भी हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में लागू किया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी राजभाषा अधिनियम और नियमों की भावना को समझें और उनके अनुरूप हिंदी का कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

वस्तुतः राजभाषा अधिनियम और नियमों की भावना को कार्यरूप देने की आवश्यकता है जिससे हिन्दी का काम स्वतः अग्रसर होता चला जाएगा। केवल इतना ही काफी नहीं है कि हिन्दी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाए, प्रत्युत इन पत्रों से सम्बन्धित पत्रावलियों में टिप्पणियों और मूल प्रारूपण में भी हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि संविधान की भावना को ध्यान में न रखा गया तो हमें अनुवादकों की फौज खड़ी करनी होगी जो हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद का काम करती रहेंगी। यह न तो संविधान की अपेक्षा है और न ही सरकार की नीति। अतः मैं हिन्दी भाषी क्षेत्रों में नियुक्त वरिष्ठ रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों से अपील करना चाहूँगा कि वे मूल रूप से हिंदी में लिखना शुरू करें, फाइलों में टिप्पणियां हिंदी में लिखें, प्रारूप हिन्दी में तैयार करें और जैसी भी हिन्दी जानते हैं, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। आप यह समझें कि भाषा प्रयोग से ही आती है। जब आप हिंदी में लिखना शुरू कर देंगे, तो कठिनाइयाँ आपसे आप दूर हो जाएँगी। आपकी हिंदी में लिखने की झिझक समाप्त हो जाएगी और आप इसमें काम करने के अभ्यस्त हो जाएँगे।

भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के काम-काज में हिंदी को अंग्रेजी का स्थान लेना है। निश्चय ही इस प्रयत्न में किसी भी अहिन्दी भाषी कर्मचारी को असुविधा में नहीं डालना है। इस अवसर पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदी को दुराग्रह की परिधि से बाहर रखा जाए। हिंदी प्रचार के सम्बन्ध में जब कभी दुराग्रह से काम लिया गया, तभी हिंदी का नुकसान हुआ। इसलिए, हिंदी किसी अहिन्दी-भाषी पर लादने की कोशिश के मैं विरुद्ध रहा हूं। मैं मानता हूं कि हिंदी व्यावहारिक रूप में उस दिन पूरे देश की सम्पर्क भाषा बन जाएगी,

[शेष पृष्ठ 10 पर]

हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान

—पी० वी० नरसिंह राव
विदेश मंत्री, भारत सरकार

(29 फरवरी,से 9 मार्च, 1980 के बीच दिल्ली में चतुर्थ विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया जिसके दौरान प्रकाशन तथा भाषा संबंधी अनेक विषयों पर विचार गोष्ठियाँ भी आयोजित की गईं। 6 मार्च, 1980 को हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान विषय पर एक विचार गोष्ठी हुई जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने किया। उस अवसर पर दिया गया उनका भाषण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यहाँ अविकल रूप से उद्धृत किया जा रहा है।)

आप लोगों के बीच आज इस गोष्ठी में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है जब हम हिन्दी और भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान के संबंध में विचार-विमर्श करेंगे और यह देखेंगे कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से किस प्रकार भारत की आत्मा अभिव्यक्त हुई है। भारतीय मनीषा, हमारी चिंतनधारा, हमारा इतिहास एक है और हमारी एकसूत्रता हजारों वर्षों से अबाध, अविछिन्न चली आ रही है। गंगा का पानी चाहे जिस क्षेत्र में बहे, चाहे जहां रहे उसकी शुचिता और गुण-सम्पन्नता एक ही रहती है। ठीक उसी प्रकार चाहे हम अपनी भावनाओं को किसी भी भाषा में अभिव्यक्त करें, हमारी भावनाएँ मूलतः एक हैं, उनका आवरण भिन्न हो सकता है। भाषा तो विचारों की संवाहिका है और जिस तरह विभिन्न वेषभूषा में यहां बैठे हम सभी भारतीय हैं उसी प्रकार चाहे जिस भाषा में भी हम अपने भावों को अभिव्यक्त करें विचार तो हमारे भारतीय ही होंगे।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार कार्य के साथ बहुत वर्षों से मैं भी जुड़ा रहा हूं और मेरी यह धारणा है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के बीच कहीं कोई दुराव नहीं है। यदि कहीं कोई दुराव या मतभेद है भी तो वे क्षणिक हैं। गांधी जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व कहा था कि भारत की भगिनी भाषाओं के बीच किसी प्रकार की स्पर्धा हानिकारक है और जिस तरह एक भाई अपनी अनेक बहनों को एक साथ लाड़-प्यार देता है, हम अपने देश की सभी भाषाओं को उसी तरह लाड़-प्यार दें। भारतीय भाषाओं को यदि हम समुचित स्थान नहीं देंगे तो हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएँगे और मातृभाषा के साथ-साथ राष्ट्रीय अस्मिता से वंचित हो जाएँगे।

आज इस मेले में देश की सारी भाषाओं की पुस्तकें एक ही मंडप में प्रदर्शित हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि ये भाषाएं देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ रही हैं और इस मंडप के माध्यम से अनेकत्व में एकत्व की सिद्धि हो रही है। आज इस गोष्ठी में हमारे सम्मुख अनेक साहित्यकार, कवि, मनीषी, चिंतक और विद्वान उपस्थित हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सरस्वती के इन वरद पुत्रों की लेखनी से भारत का शाश्वत, विराट और गौरवशाली रूप उजागर हुआ है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यासों में भारत का वह रूप प्रतिबिम्बित होता है जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा का सलिल प्रवाह और हिमालय तथा विंध्याचल की धड़कनें प्रतिध्वनित हैं। इन कृतिकारों की रचनाओं

से हमें यह बोध होता है कि हमारा देश कितना महान है और हमें यह भी अहसास होता है कि हमारी सभी भाषाएँ भारतीय वाङ्मय की गौरवपूर्ण निधि हैं।

आज की चर्चा का विषय है "**हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान**"। मेरी यह मान्यता है कि इस प्रकार का आदान-प्रदान सदियों से हमारे बीच अर्थात् हिन्दी और भारतीय भाषाओं के बीच होता आ रहा है और हिन्दी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में अहिन्दी भाषी हिन्दी प्रेमियों का योगदान भी महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे देश के इतिहास में 13 वीं से 16 वीं सदी के बीच सभी भारतीय भाषाओं में भक्ति साहित्य का स्वर प्रमुख रहा है और यह सुखद आश्चर्य का विषय है कि भक्ति साहित्य, चाहे वे किसी क्षेत्र या भाषा विशेष में रचा गया हो किन्तु वह पहुँच गया देश के कोने-कोने में। सगुण भक्ति हो या निर्गुण दोनों परम्पराओं की धाराएं पूरी भारत भूमि को सिंचित करती रही हैं और आज भी इस आदान-प्रदान के क्रम में कोई व्यतिक्रम नहीं आया है। मुझे मालूम है कि संस्कृत, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन आदि अनेक विदेशी भाषाओं से भी पुस्तकें प्रचुर मात्रा में अनूदित होकर हिन्दी में आई हैं और स्वतंत्रता के बाद यह कार्य आगे बढ़ा है।

भारतीय भाषाओं के गौरव ग्रंथों एवं उत्कृष्ट साहित्य के पारस्परिक आदान-प्रदान में हिंदी ने केन्द्रीय भूमिका निभाई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी भाषा को जो महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया उसके परिणामस्वरूप भारत की सभी भाषाओं के साहित्य हिंदी के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनूदित हुए तथा रवीन्द्र-नाथ, शरत चन्द्र, बंकिम चन्द्र की रचनाएं तमिल, तेलुगु मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में प्रस्तुत की गईं। इसी प्रकार सुब्रह्मण्यम् भारती, वल्लतोल, जी० शंकर कुरुप, विश्वनाथ सत्यनारायण आदि साहित्यकारों की कृतियां भारत के अन्य प्रदेशों के पाठकों के लिए उनकी अपनी-अपनी भाषाओं में सुलभ हो सकीं। किसी भी देश की साहित्यिक उपलब्धि को केन्द्रित करने में अनुवाद की भूमिका महत्व-पूर्ण होती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां कि सभी भाषाओं की परम्परा अत्याधिक गौरवशाली रही है और हर क्षेत्र की अपनी अलग विशिष्टता है। साहित्यिक आदान-प्रदान से भारत की विभिन्न भाषाओं के पाठक अपनी राष्ट्रीय गरिमा एवं संस्कृति के प्रति एकात्म भाव का अनुभव करते रहे हैं।

संस्कृत के गौरवग्रंथों का अनुवाद प्रत्येक भारतीय भाषा में पहले से ही उपलब्ध रहा है। भारतीय भाषाओं के अनेक काव्य-ग्रंथों का अनुवाद हिन्दी में हो चुका है, जिसमें पंजाबी की गोविंद रामायण, मलयालम के वल्लतोल की कविताएं तथा बांसुरी, बंगला में रवीन्द्रनाथ की कविताओं के अतिरिक्त कृत्तिवास रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, तमिल में कम्ब रामायण के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त मराठी रचना भग्नमूर्ति, उड़िया रचना चीलिका, गुजराती में उमाशंकर जोशी रचित निशीथ और प्राचीना को हिन्दी में प्रस्तुत करके उल्लेखनीय कार्य किया गया है। जहां तक कथा साहित्य का प्रश्न है, बंगला, तमिल, मलयालम, पंजाबी, मराठी और तेलुगु की महत्वपूर्ण रचनाएं हिन्दी में अनूदित हो चुकी हैं। मलयालम के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री शिवशंकर पिल्लै के उपन्यास दो सेर धान, चुनौती, मछुवारे, तेलुगु के प्रसिद्ध उपन्यास रुद्रमा देवी, सहस्रफण, उड़िया का मिट्टी का पुतला, मराठी का "चाणक्य और चन्द्रगुप्त" आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त बंगला में शरतचन्द्र, बंकिम चन्द्र, रवीन्द्र नाथ, शंकर, विमल मित्र, गुजराती में कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, मराठी में हरि नारायण आप्टे, पंजाबी में नानक सिंह और अमृता प्रीतम आदि साहित्यकारों की अनेक कृतियाँ हिन्दी के माध्यम से समस्त भारतीय पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं। भारत की सभी भाषाओं की प्रतिनिधि एवं श्रेष्ठ कहानियां हिंदी में पहले से ही उपलब्ध हैं।

इसी प्रकार आधुनिक रंगमंच के विकास से भाषाई आदान-प्रदान को काफी बल मिला है। बंगला, तमिल, मराठी, तेलुगु, मलयालम आदि के प्रतिनिधि नाटक राजधानी तथा भारत के अन्य महानगरों में समय-समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश आदि की नाट्य कृतियां विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं और मंचित भी हुई हैं।

महाकवि तुलसीदास, सूरदास, बिहारी आदि की रचनाओं के अतिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रसाद, पंत, निराला, मुक्ति बोध आदि कवियों की रचनाएं भारत की सभी भाषाओं में अनूदित हुई हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द की रचना तो वस्तुतः भारतीय पाठकों के बीच सबल संवाद स्थापित करती है और जिन समसामयिक समस्याओं को उन्होंने अपने उपन्यासों, कहानियों के माध्यम से चित्रित किया था, उनसे देशभर के साहित्यकार प्रभावित होकर अपनी-अपनी भाषाओं में साहित्य सृजन करते रहे हैं। इस समय भारतीय भाषाओं की पत्रिकाएँ भी पारस्परिक भाषाई आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हमारी सभी भाषाओं के बीच एक-दूसरे से आदान-प्रदान की परम्परा रही है। सभी भाषाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति के स्वर बोलते हैं, सभी भाषाओं में पहले विदेशी

[शेष पृष्ठ 14 पर]

संघ की राजभाषा की भाषा

—योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की यह नीति है कि संघ सरकार के काम काज में सुबोध हिंदी का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके बावजूद प्राय: शिकायत की जाती है कि संघ शासन में जिस हिन्दी का व्यवहार किया जाता है वह दुरूह होती है। उसको समझने में कठिनाई होती है। इस शिकायत में न केवल अहिन्दी भाषी बल्कि कुछ हिन्दी भाषी लोग भी शामिल हैं। अहिन्दी भाषी लोगों की यह शिकायत अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जब हिन्दी भाषी लोग भी यह शिकायत करते हैं तो यह विषय विशेष रूप से विचारणीय हो जाता है।

इन शिकायतों को करने वालों का एक सुझाव यह है कि जैसी हिन्दी व्यवहार में लाई जाती है वैसी ही हिन्दी सरकारी कामकाज में भी होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हिन्दी फिल्मों ने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मद्रास जैसे अहिन्दी भाषी शहर में भी करीब पचास फीसदी सिनेमाघरों में हिन्दी फिल्में दिखलाई जाती हैं और ये सिनेमाघर आमतौर पर दर्शकों से खचाखच भरे रहते हैं।

फिल्मों की भाषाएँ बोलचाल और मनोरंजन की भाषा होती हैं। लेकिन बोलचाल और मनोरंजन की भाषा सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बन सकती। बोलचाल और प्रशासनिक भाषा का अंतर अंग्रेजी भाषा में भी बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद है। बोलचाल की भाषा स्थान, पात्र और काम चलाऊपन से बनती है। लेकिन प्रशासनिक भाषा को मानकता और विधायी बाध्यता की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है।

यह इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी आदेशों के बावजूद राजभाषा के रूप में जिस हिन्दी का प्रयोग हो रहा है उसमें काफी दुरूहता रहती है। मेरी समझ में इसके दो प्रधान कारण हैं।

पहला कारण यह है कि राजभाषा के रूप में जिस तरह की हिन्दी लिखी जा रही है वह प्रधानत: अनुवादी हिन्दी है। आमतौर पर मूल पाठ अंग्रेजी में होता है। फिर उसका जैसे का तैसा हिन्दी रूपांतर कर दिया जाता है। ऐसा करने से हिंदी भाषा की स्वाभाविकता और सहजता नष्ट हो जाती है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि मूल पाठ हिंदी में तैयार किया जाए लेकिन हिन्दी में मूल पाठ ऐसे अधिकारी कैसे तैयार कर सकते हैं जिनकी शिक्षा, प्रतियोगिता-परीक्षा और प्रशिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रही है और जो संघ सरकार की सेवा में नियुक्त हो जाने के बाद से 15-20 वर्षों तक अंग्रेजी में ही सरकारी कामकाज करते आए हैं? इस तरह हम देखते हैं कि राजभाषा के रूप में सुबोध हिन्दी के व्यवहार करने के प्रश्न के साथ हमारी शिक्षा, प्रतियोगिता-परीक्षा और अभ्यास के प्रश्न जुड़े हुए हैं। जब तक हमारी शिक्षा और प्रतियोगिता-परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगी और इसके फलस्वरूप हमारे अधिकारी अंग्रेजी में ही मूल पाठ तैयार करने के अभ्यस्त रहेंगे, तब तक राजभाषा के रूप में सुबोध हिन्दी के व्यवहार की बात तो दूर रही किसी भी प्रकार की हिन्दी की यथेष्ट प्रगति नहीं हो सकती। तसल्ली इस बात से है कि शिक्षा, प्रतियोगिता-परीक्षा और अभ्यास के क्षेत्रों में भी अंग्रेजी का एकाधिकार समाप्त हो रहा है तथा हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाएँ प्रगति कर रही हैं।

दूसरा कारण है हिंदी के प्रति संकीर्णतावादी प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति का इजहार अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि के ऐसे शब्दों का भी बहिष्कार करना है जो काफी लोकप्रिय हो चुके हैं और जिनको अशिक्षित हिन्दी भाषी भी समझते और व्यवहार करते हैं। वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति के वर्तमान युग में हम धर्मनिर्पेक्ष, समाजवादी और जनतांत्रिक भारत बनाने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। इसलिए राजभाषा हिन्दी के अग्रगामी विकास के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह न केवल भारत की दूसरी भाषाओं बल्कि भारतेतर दूसरी भाषाओं के शब्दों को यथावश्यक और यथोचित रूप में ग्रहण करे। अंग्रेजी भाषा ने केवल ऐंग्लो-सेक्शन शब्दों के आधार पर ही अपना विकास नहीं किया है बल्कि उसने रोमन, फ्रेंच, जर्मन आदि तमाम भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करके अपने को विकसित किया है। राजभाषा हिन्दी में भी दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता है। आवश्यकता है इस क्षमता के उपयोग करने की। इसमें किसी भी तरह का कठमुल्लापन या कूपमंडूकता हिंदी के लिए आत्मघाती है।

संघ की राजभाषा हिंदी के स्वरूप के बारे में विवाद उतना ही पुराना है जितना संघ की राजभाषा के बारे में। संविधान सभा में इन दोनों प्रश्नों पर वाद-विवाद के बाद जो सर्वसम्मत निर्णय किए गए उनका उल्लेख करना प्रासंगिक है क्योंकि वे इस संबंध में हमारे लिए संवैधानिक बाध्यता का महत्व रखते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी"। इसी के साथ यह कहा गया कि "इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी"।

हमारे संविधान के निर्माताओं ने आशा की थी कि पंद्रह वर्ष में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि 1965 में संघ शासन के सभी राजकाज हिंदी में होने लग जाएंगे। साथ ही उनको इस बात की आशंका भी थी कि शायद पंद्रह वर्ष की कालावधि में ऐसा हो पाना संभव न हो। इसलिए संविधान के इसी अनुच्छेद के खंड 3 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह इस कालावधि के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग के लिए अधिनियम पारित कर सकती है।

ज्यों-ज्यों 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने को आई त्यों-त्यों अंग्रेजी को कायम रखने का आन्दोलन भी तेज होने लगा। तमिलनाडु में इस आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। ऐसी स्थिति में संसद ने 1967 में 1963 के राजभाषा अधिनियम का संशोधन किया। इस संशोधन द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि जब तक संघ के सभी राज्य हिंदी को ही संघ की एकमात्र राजभाषा स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी भी संघ की सह-राजभाषा बनी रहेगी। इस तरह संघ की राजभाषा के क्षेत्र में देश ने द्विभाषिकता के दौर में प्रवेश किया और अभी हम इसी दौर से गुजर रहे हैं।

जब संविधान सभा में हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा था तब हिंदी-हिन्दुस्तानी का पुराना झगड़ा उठ खड़ा हुआ। वाद-विवाद के बाद अंत में जो निर्णय हुआ वह संविधान के अनुच्छेद 351 में उपबंधित है। यहां पर उसको उद्धृत करना आवश्यक है क्योंकि हिंदी के स्वरूप के बारे में उसकी संवैधानिक मर्यादा है।

> "351. हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

संविधान के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि हिंदी की प्रगति के लिए निम्नलिखित बातों पर अमल करना अनिवार्य है: (1) हिंदी ऐसी हो जो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके; (2) हिन्दी की आत्मीयता की रक्षा करनी चाहिए; (3) हिंदी में हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करना चाहिए; (4) आवश्यकता और वांछनीयता के आधार पर मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करना चाहिए।

यह विचारणीय विषय है कि संघ के राजकाज में जिस हिंदी का प्रगामी प्रयोग हो रहा है उसमें उपर्युक्त चारों तत्वों का ध्यान रखा जाता है या नहीं। सरसरी तौर पर ऐसा मालूम होता है कि आवश्यकता और वांछनीयता का विचार किए बिना ही संस्कृत से शब्द ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रबल है और बाकी बातें जाने-अनजाने उपेक्षित हो जाती हैं। इसके बारे में अन्तिम नतीजे पर पहुँचने के लिए राजकाज में जिस तरह की हिंदी का प्रयोग हो रहा है उसकी सम्यक समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है।

संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के स्वरूप के उपबंधित हो जाने के बावजूद उसके बारे में मतभेदों का अंत नहीं हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की प्रबल इच्छा थी कि संविधान के अंग्रेजी पाठ और हिंदी पाठ दोनों एक साथ स्वीकृत किए जाएं। लेकिन संविधान की हिंदी के स्वरूप के बारे में उपबंधित प्रावधान के रहते हुए भी मतभेद बने रहे। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजी पाठ 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकृत और पारित हो गया। लेकिन उसका हिंदी रूपांतर तब तक तैयार नहीं हो सका।

> "24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने संविधान के अंग्रेजी पाठ के साथ-साथ उसके हिंदी रूपांतर पर भी हस्ताक्षार किए और इस प्रकार इस रूपांतर को एक विशिष्टता प्रदान की" (संविधान के रजत जयंती हिंदी संस्करण के बारे में तत्कालीन विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री नीति राज सिंह चौधरी)

इसमें संदेह नहीं कि इससे संविधान के हिंदी संस्करण को विशिष्टता प्राप्त हुई। लेकिन इस विशिष्टता के बावजूद अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिकता प्राप्त हुई यह तथ्य संविधान के अंग्रेजी पाठ के आमुख के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है: "भारत के लोग .... दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

संविधान और संघ के राजकाज की हिंदी के बारे में जो मतभेद थे उनको संविधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने जिस तरह हल किया वह हमारे लिए विचारणीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय और मार्गदर्शक भी है। इसके बारे में उन्होंने स्वयं प्रथम हिंदी संस्करण के प्राक्कथन में जो कुछ कहा है उसको हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं:—

> "भारतीय संविधान सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया था कि मैं, अध्यक्ष की हैसियत से, संविधान का हिंदी अनुवाद, 26 जनवरी 1950 ई० तक तथा उसके बाद यथाशीघ्र अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद प्रकाशित करा दूं। मुझे यह

वांछनीय प्रतीत हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में संविधान के जो अनुवाद तैयार किए जाएँ उन सब में, अगर संभव हो तो, संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के लिए, जिनका कि विशेष सांविधानिक या कानूनी अर्थ है, एक ही पर्याय प्रयोग में लाए जाएं । इसलिए मैंने भाषा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया कि वह, जहां तक संभव हो, ऐसे पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत करें जो प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होते हों और जिनको हम विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले संविधान के अनुवादों में प्रयुक्त कर सकें और अंततोगत्वा **जिनको हम अन्य सरकारी, कानूनी, अदालती और शासन संबंधी कामों में भी प्रयुक्त कर सकें ।** (इससे मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ)—इस सम्मेलन ने संविधान में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का एक कोष तैयार किया और अनुवाद समिति ने, जिसे कि संविधान के हिंदी रूपांतर का काम सौंपा गया था, हिंदी अनुवाद करने में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है । **—आशा है कि जब भारतीय संघ और उसके अंगभूत राज्यों में सरकारी कामों के लिए हिन्दी बरती जाने लगेगी तो ये शब्द, जिनका कि इस अनुवाद में प्रयोग हुआ है, सरकारी कामों के लिए प्रामाणिक शब्द माने जाएंगे ।"** (इससे मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ)

भाषा साध्य नहीं, साधन है । संघ की राजभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र की साधक है । इस महान साधना की सार्थकता के लिए हिंदी को सुबोध और उदार होना चाहिए । इस देशभक्तिपूर्ण साधना में भाषाई उच्छृंखलता, जड़ता और अन्ध अनुवादीकरण की प्रवृत्तियाँ बाधक हैं । सजग, सचेत और सतत रूप से इन गलत प्रवृत्तियों से परहेज करके ही हिंदी अधिकाधिक सुबोध, मान्य और ग्राह्य होगी । □□□

[पृष्ठ 5 का शेष]

जिस दिन अहिन्दी भाषी स्वेच्छा से हिंदी सीख लेंगे। भाषा प्रेम की कड़ी है, इसे प्रेम से ही प्रचारित-प्रसारित करना है। मुझे संतोष है कि ऐसे कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए रेलों पर व्यापक रूप से हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और वे इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस सुविधा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए और रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे हिंदी में कामकाज के लिए सक्षम बन सकें।

मुझे पता चला है कि किन्हीं-किन्हीं कार्यों और क्षेत्रों में भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन भी हो रहा है। सभी सरकारी और रेलवे मुद्रणालयों को इस आशय के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी फार्म, नियम-पुस्तिका या संहिता केवल अंग्रेजी में नहीं छापी जाएगी। इस प्रकार का प्रत्येक मुद्रण-कार्य हिन्दी और अंग्रेजी-दोनों भाषाओं में साथ-साथ होगा । किन्तु कुछ मुद्रणालय इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. जो ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सतर्कता बरती जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इनके प्रति संवैधानिक अपेक्षाओं का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

रेलों पर हिंदी का कार्य बढ़ाने के लिए अनेक प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएँ चालू की गई है । इनमें व्यक्तिगत और सामूहिक पुरस्कार योजनाएं भी हैं। क्षेत्रीय रेलों को हिन्दी में उत्कृष्ट-कार्य के लिए दो पृथक शील्डें भी दी जाती हैं। इनमें एक हिन्दी-भाषी क्षेत्रों की रेलों के लिए और दूसरी अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों की रेलों के लिए है। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों की शील्ड पूर्वोत्तर रेलवे पिछले तीन वर्षों से लगातार जीतती आ रही है। इस वर्ष उसे अनवरत् उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति-पत्र दिया गया है। हिन्दी भाषी शील्ड प्रोत्साहन-स्वरूप पश्चिम रेलवे को दी गयी है। यह अन्य क्षेत्रीय रेलों के लिए प्रेरणाप्रद है। उन्हें यह चेष्टा करनी चाहिए कि अधिक से अधिक काम हिंदी में करें और शील्ड प्राप्त करने में सफल हों। रेलों पर परस्पर स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना से हिंदी में काम बढ़ेगा और वे पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य भी बनेंगी । मैं उन सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। जिनके प्रयत्न सफल हुए हैं और जिनकी रेलें पुरस्कृत हुई हैं। जो रेलें पुरस्कार पाने की प्रतियोगिता में किंचित पीछे रह गई हैं, उनके प्रयत्नों की भी मैं सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगी।

मैंने आपका पर्याप्त समय लिया लेकिन मुझे संतोष है कि मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप में आपके समक्ष रख सका। आप मुझसे सहमत होंगे कि भाषा राजनीतिक विवाद का विषय नहीं है और इस पर विचार करते समय किसी प्रकार की कटुता या मनमुटाव को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए । यह राष्ट्रीय कार्य है और इसमें सभी देशवासियों का सहयोग एवं सद्भाव अपेक्षित है । रेलों ने हर राष्ट्रीय चुनौती का साहस और विश्वास के साथ सामना किया है और सफल भी हुए हैं। मैं एक बार फिर आपसे यही आशा करता हूँ कि आप जहाँ रेलों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए यात्रियों की सुख-सुविधा और सुरक्षा तथा माल की ढुलाई का समुचित प्रबन्ध करें, वहीं राजभाषा के प्रयोग की भी आगे बढ़ाएँ और यश के भागी बनें। आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ । ****

अनुवाद की भाषा और हिंदी का स्वरूप

—कृपानारायण

सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार

(केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के चौबीसवें सत्र के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर दिनांक 27-12-79 को सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, श्री कृपानारायण ने अपने दीक्षांत भाषण में उपर्युक्त विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला। इसी सत्र से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम स्थान पाने वाले छात्र के लिए एक रजत पदक का भी सूत्रपात हुआ जिसे सचिव महोदय ने सहर्ष प्रदान किया। इस अवसर पर उनके भाषण का अविकल रूप सबकी जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है)।

मित्रो एंव सहयोगियो

आज मुझे यह अवसर मिला कि मैं आप लोगों के प्रशिक्षण-सत्र के उपरांत होने वाले इस समारोह में शामिल हो सका। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले छात्रों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। साथ ही यह ख्याल भी आता है कि हम लोगों के सामने सरकारी कामों के लिए हिंदी का प्रचार-प्रसार करने का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने में आप लोग बहुत भारी कड़ी हैं। यह कभी-कभी जरूर सोचता हूँ कि हम सभी अनुवादकों को प्रशिक्षण कब तक दे पाएंगे? निश्चय ही काफी समय लगेगा और अभी एक नई बात कही गई कि हमारे अधिकारी हिंदी अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देना चाहते हैं। यह अच्छा विचार है। काम बढ़ना ही चाहिए। किंतु मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि यदि हम एक ही संस्था के द्वारा इतने बड़े देश में इस काम को करवाना चाहेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा।

बहरहाल, कितना समय लगेगा यह बात तो विचारणीय है ही, उससे भी बड़ी बात यह है कि आप लोगों में से जो भी यहां प्रशिक्षण के लिए आते हैं, चाहे वे हिंदी अधिकारी हों,

सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री कृपानारायण रजत पदक समर्पित करते हुए

2 एच० ए०/80—4

चाहे अनुवादक, उनमें प्रशिक्षण के दौरान इतना आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाना चाहिए कि वे अपने विभाग में जाकर सरकारी कामों में हिंदी को बढ़ावा देने का काम स्वयं आगे बढ़कर कर सकें। बड़े-बड़े विभागों, निगमों आदि को हमें इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे पहले ऐसे चुने हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए भेजें जो अपने विभाग में लौटकर वहाँ भी प्रशिक्षण का काम बढ़ा सकें और उसको गति दे सकें। मेरा विचार है कि जहाँ हम ये-आंकड़े सामने रखें कि हमको कितने प्रशिक्षणार्थियों को एक बार में प्रशिक्षण देना है, वहाँ हम यह भी ख्याल रखें कि हम प्रशिक्षण का स्तर ऐसा बनाए रखें जिससे छात्रों में आत्मविश्वास पैदा हो। उनमें इतना आत्मबल आ ही जाना चाहिए कि वे अपने विभाग में जाकर इस काम को स्वयं आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकेगा। यदि हम यह सोचें कि सब के सब प्रशिक्षणार्थियों को यहां बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाए तो मेरे विचार से काम होने में बहुत समय लगेगा। यह काम अधिक सुविधा और सरलता से तभी हो सकता है जब छात्र अपने कार्यालयों में जाकर, प्रकाश-स्तंभ बनकर स्वयं भी प्रशिक्षण का काम कर सकें।

दूसरी बात, जिसे मैं प्रायः दुहराया करता हूँ, वह यह है, और मुझे इस बात की खुशी है कि सदा के समान इस सत्र में भी कुछ अहिंदी भाषी या अहिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रशिक्षणार्थी मौजूद हैं। हम लोगों पर, जो हिंदी का प्रचार करते हैं, यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम हिंदी को ऐसा रूप दें जिससे उसमें ऐसी शक्ति आ सके कि वह पूरे देश की भाषा बन जाए और लोग उसको उस रूप में स्वीकार करें। इसमें बड़ा भारी जिम्मा हम लोगों का है। बात यह है कि जिस हिंदी को हमने राजभाषा माना है, वह किसी राज्य या किन्हीं राज्यों की भाषा नहीं है और न उसका वह रूप है जिससे कि हममें से कुछ लोग परिचित हैं। राजभाषा के रूप में पूरे देश के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाना है उसका वह रूप उभरना चाहिए जिसे इस विस्तृत देश के सुदूर क्षेत्रों में फैले हुए लोग भी अपना समझ सकें। यह बात कहने में बहुत मुश्किल जान पड़ती है पर ऐसा है नहीं। मैं इधर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर गया था। आप जानते हैं वह बहुत दूर है। सच बात तो यह है कि निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम टापू बड़ा निकोबार ही भारतवर्ष का दक्षिणतम भाग है, कन्याकुमारी नहीं। यह भाग कन्याकुमारी से 2 अक्षांश दक्षिण में है और सुमात्रा से कोई 170 किलोमीटर दूर या पास जो भी आप कहना चाहें, है। वहां मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कार-निकोबार में अंग्रेजी और हिंदी का एक द्विभाषी शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। यही नहीं अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्टब्लेयर के बाजारों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे देखकर आप कह सकते हैं कि वह सचमुच लघु भारत है। उस द्वीप समूह में विविध क्षेत्रों से लोग आकर बसे हैं। जिन ऐतिहासिक कारणों से वे बसे हैं उनसे आप परिचित हैं। वहाँ लोग बंगाल से भी आएँ हैं, केरल से भी, पंजाब से भी, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी, तमिलनाडु से भी और गुजरात से भी। वे अपने घरों में तो वह भाषा बोलते हैं जो उनकी अपनी रही होगी परंतु पोर्टब्लेयर के बाजारों में सब लोग मिलजुलकर एक ऐसी हिंदी बोलते हैं जिसके अंदर कुछ और क्षेत्रीय भाषाओं का पुट भी मिल जाता है। हो सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश विशेषकर मेरठ के आसपास की बोली से बहुत परिचित होने वाले लोग उसमें व्याकरण की गलतियां निकालें। लेकिन मैं समझता हूं कि भाषा जब पनपती है तो वह केवल विद्वानों के जरिए नहीं पनपती। उस समय उसमें एक विशाल-हृदयता की, एक सर्वग्राह्यता की, आवश्यकता होती है। आपकी दृष्टि इतनी दूर की होनी चाहिए कि आप और लोगों को अपने साथ लेकर चल सकें। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि पोर्टब्लेयर के बाजार में ऐसी ही एक भाषा पनप रही है। मैं समझता हूँ कि भाषा का जो रूप वहां चल रहा है वह हिंदी का रूप बन जाए तो शायद सब लोग उसे स्वीकार करें। पर इसमें बड़ी भारी जिम्मेदारी आप लोगों की है क्योंकि आप अनुवाद का काम करते हैं।

आप सामग्री को अंग्रेजी से हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जैसा अनुवाद करते हैं उसमें कहीं कोई क्लिष्टता तो नहीं, कहीं कोई विद्वता की जरूरत से ज्यादा चमक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसके लिए वह कर रहे हैं वह उसके उपयोग की वस्तु न रहकर आपके पाण्डित्य-प्रदर्शन की वस्तु हो जाए। सच्चा पंडित तो वही है जो अपने पांडित्य को दबाकर उस चीज को आगे रख सके जिससे कि वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो जाए। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षण के दौरान भी इस बात पर जोर दिया जाता होगा और आप लोग भी यह समझकर चलते होंगे कि केवल तत्सम एवं क्लिष्ट शब्दों की जानकारी से यह तय नहीं किया जा सकता कि आपको भाषा का कितना अधिक ज्ञान है और आपका उस पर कितना अधिक अधिकार है।

सारे संसार में वही भाषाएँ आगे बढ़ी हैं, जिनमें और भाषाओं को पचाने की शक्ति है, औरों के शब्द लेने की शक्ति है, औरों को साथ लेकर चलने का साहस है। यदि आप बहुत अधिक लम्बे-लम्बे वाक्यों और अक्षरशः अनुवाद के चक्कर में पड़े, जिससे कि वाक्य दुरूह हो जाए, भाषा अटपटी हो जाए, तो उससे न तो आपका कोई लाभ होगा और न हिंदी का, और न ही उससे राजभाषा के रूप में सरकारी कामों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

और बातों को आप जाने दीजिए, मैं एक बात पर बहुत जोर दिया करता हूं, जिससे हमारे देश के हरेक नागरिक का संबंध है। वह यह कि अहिंदी भाषियों की हिंदी की साधारण भूलों को भूल न मानें। मैं यह भी चाहूँगा कि जब यह बात तय करें कि कौन सब से अच्छा प्रशिक्षणार्थी है तो अहिंदी क्षेत्रों से आने वाले लोगों और हिंदी क्षेत्र के लोगों

को एक तुला पर न तौलें । मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखते होंगे । पर आपको चाहिए कि आप लोग उसका कोई तरीका निकाल लें । मुझे उसका सबसे अच्छा तरीका तो यही लगता है कि आप अहिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए एक अलग पदक चालू करने पर विचार करें । कोई और तरीका भी निकल सकता है ।

मैं एक बात मानता हूँ । हो सकता है कि कुछ विद्वान लोग उसके पक्ष में न हों, पर मैं यह अवश्य मानता हूं कि जो लोग अहिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं उनकी लिंग की गलती को गलती नहीं मानना चाहिए । हिंदी में लिंग कुछ ऐसी विधा है जिसे हिंदी भाषी तो जन्म से ही सीखता है और जान जाता है पर औरों के लिए वह कठिन है । यद्यपि भाषा के सही ज्ञान की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि हिंदी के व्याकरण के अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाए लेकिन तब भी मैं समझता हूं कि हिंदी में लिंग विषयक थोड़ी-बहुत गलती चलती रहे तो हानि नहीं है । इससे जो हिंदी सीखने वाले हैं, वे निरुत्साहित नहीं होंगे । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हिंदी गलत लिखी जाए । यदि कोई चीज सीखी जा रही है तो उसे सही ही सीखना चाहिए । लोग जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, उनमें भी कठिनाइयाँ होती हैं और वे इन कठिनाइयों को पार करते हैं । हिंदी सीखने में आने वाली कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है । लेकिन यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय हमको अपनी भाषा को सरल तथा औरों के अधिक निकट लाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

वर्णमाला का भी एक प्रश्न है । अक्सर लोग कहा करते हैं कि देवनागरी की वर्णमाला पूर्ण है, यानी उसमें कुछ भी बचा नहीं है । लेकिन हममें से कम लोग जानते हैं कि यह बात सही नहीं है क्योंकि इसमें भी कुछ ध्वनियों के लिए वर्ण नहीं है । अपनी पूर्णता की तारीफ करना तो अच्छी बात है और यदि आप अपने को पूर्ण मानकर अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करते हैं तो यह भी ठीक माना जा सकता है, लेकिन यदि वैज्ञानिक रूप से किसी बात का विश्लेषण करें तो जो कमियां दिखाई पड़ें उन्हें स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए और उन्हें दूर भी करना चाहिए । अतः यदि देवनागरी का कोई ऐसा परिवर्धित रूप हो जिसमें उन सभी ध्वनियों के लिए भी स्थान हो जो हमारी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा । यदि किसी क्षेत्रीय भाषा को देवनागरी में लिखने का अवसर आएगा तो उसमें आपको आसानी होगी और एक बहुत बड़ी बात यह होगी कि वे लोग यह समझेंगे कि आपने उनकी ध्वनियों को समझने का प्रयत्न तो किया, आपने उनके हितों को ध्यान में रखकर अपनी लिपि में परिवर्तन करने का प्रयास तो किया । यह काफी बड़ी बात है । इस संबंध में कुछ कार्य हो भी रहा है ।

ऐसी लिपि को मैं तो "भारती" लिपि कहना चाहूंगा लेकिन आप चाहें तो इसे परिवर्धित देवनागरी लिपि कह लीजिए । मुझे कुछ ऐसा लगता है कि सारे देश की, भारत देश की भाषा का नाम यदि "भारती" रखा गया होता और लिपि का नाम भी "भारती" होता तो कुछ आसानी होती आप लोगों को समझाते रहिए कि हिंदी देश है लिहाजा

अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के चौवीसवें सत्र दीक्षांत समारोह का एक दृश्य

इसकी भाषा हिंदी है । ठीक है, आप समझा लेंगे। लेकिन नाम भी अपना महत्व तो रखता ही है । ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में नाम चाहे हिंदी दिया गया हो लेकिन हमें इसको "भारती" के रूप में ही लेकर चलना चाहिए जिससे हर भारतवासी अपने को इस भाषा के निकट पाए । हम इस दिशा में जितनी पहल कर पाएंगे उतनी ही हमें सफलता मिलेगी ।

दूसरी ओर मैं यह भी कहूंगा कि जो अहिंदी भाषी लोग यहाँ हैं उन पर भी भारी जिम्मेदारी है। उन पर यह जिम्मेदारी है कि वे खुद आगे बढ़कर हिंदी का प्रयोग करें मैं इसे ही सबसे ज्यादा अच्छा समझूंगा। हम उनसे यही आशा करेंगे कि वे पहले खुद कदम आगे बढ़ाएँ। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि हम हिंदी भाषी लोग उनके साथ व्यवहार में और बातचीत में हिंदी का प्रयोग करने में संकोच कर सकते हैं, हमें यह लग सकता है कि अहिंदी भाषी को असुविधा होगी अतः हम अंग्रेजी का ही प्रयोग क्यों न कर लें। पर यदि वे खुद आगे बढ़कर राजभाषा हिंदी का प्रयोग शुरू कर दें, पहले कदम स्वयं बढ़ाएं, तो हिंदी भाषी को बल मिलेगा, वह उत्साहित होगा। उसका यह खटका दूर हो जाएगा कि यदि हम हिंदी का अधिक प्रचार करेंगे तो उससे किसी को असुविधा होगी।

मैं समझता हूँ कि बहुत कहने का यह अवसर नहीं है। मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप जब भी अनुवादक के रूप में काम करें तो यह न समझें कि आप केवल अनुवादक हैं। आपके लिए काम करने की बहुत बड़ी दिशा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मुझे याद आता है कि जब हम बंगला के उपन्यास हिन्दी में पढ़ा करते थे तो कभी-कभी ऐसा भी होता था कि उसे पढ़कर दिमाग पर कोई विशेष छाप नहीं पड़ती थी। यहां तक कि शरत बाबू जैसे लेखक की भी कोई छाप नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर दूसरे अनुवाद को पढ़ते तो एकदम ऐसा लगता जैसे किसी और लेखक का ग्रंथ पढ़ा जा रहा हो। लेखक वही था किन्तु अनुवादक ने इतना बड़ा अंतर डाल दिया था। आप जानते हैं कि हिन्दी में शरत बाबू के साहित्य के कुछ इतने सुन्दर अनुवाद हैं कि वे मूल लेखक के बहुत निकट पहुँचा देते हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि जो लोग बंगला नहीं जानते उनको आनन्द मिल जाएगा जो बंगला जानने वाले को मिल सकता है। फिर भी शरत बाबू के उपन्यास जिन्होंने पढ़े हैं वे जानते हैं कि उनमें कितनी कशिश है, कितनी मनोवेदना है, कितनी तड़पन है। मेरा विचार है कि उनके जैसे नारी चरित्र तो अन्यत्र मिलेंगे ही नहीं। लेकिन शरत बाबू को, हिन्दी पाठकों के इतना निकट लाने का श्रेय कुछ अनुवादकों को ही है और उन्होंने अपने लिए भी एक अमर स्थान बना लिया है। मुझे विश्वास है कि आप अनुवादक के रूप में अनुवाद की शैली की दिशा में, वाक्य-विन्यास की दिशा में, और उसे सरल और सुबोध बनाने की दिशा में ऐसा प्रयत्न करेंगे कि अनुवाद की हुई हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के काफी निकट आ सके। उसका लाभ क्षेत्रीय भाषाओं को भी मिलेगा और हिन्दी को भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा करना अहिंदी भाषी अनुवादकों के लिए स्वभाविक भी होगा, और उन्हें कोई विशेष परिश्रम नहीं करना होगा। वे इसका थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो उनका काम देश की सब भाषाओं के हित में होगा।

मैं आप सबको जिन्होंने सफलता से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोग अपने-अपने क्षेत्र में जहां जाएंगे वहाँ यही समझ कर काम करेंगे कि आप वहां के लिए प्रकाश-स्तंभ हैं और आपका यह कर्त्तव्य है कि आप हिन्दी की विशालरूपता का ध्यान रखते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे हिन्दी सब लोगों के निकट आ सके और अन्य भाषाएं हिंदी के निकट आ सकें।

धन्यवाद ।

[पृष्ठ 7 का शेष]

शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष के स्वर गूंजे थे और आज भी विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष के स्वर सभी भाषाओं के साहित्य में मुखरित हो रहे हैं। हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश इस पारस्परिक आदान-प्रदान और पारस्परिक समन्वय पर ही आधारित है। हमारी सामान्य आस्थाओं ने और देववाणी-संस्कृत ने यह आदान-प्रदान सुलभ कराया। देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो आदान-प्रदान सहज सुलभ है, वह ज्ञान के क्षेत्र में भी होना चाहिए। आदान-प्रदान का यह निर्बाध क्रम प्रकाशन के क्षेत्र में भी चले। भाषाएं आदान-प्रदान से विकसित होती हैं, आदान-प्रदान का विरोध नहीं करतीं। हमारी भाषाओं ने कई शब्द विदेशी भाषाओं के अपनाए हैं और विदेशी भाषाओं ने हमारी भाषाओं के भी कई शब्द अपनाएं हैं। वैसा आदान-प्रदान प्रकाशन के क्षेत्र में भी अपेक्षित है। मैं यह नहीं कहता कि प्रकाशन के क्षेत्र में आदान-प्रदान चलता नहीं। चलता है, किन्तु उसे और गति मिलनी चाहिए।

प्रकाशन के क्षेत्र में आदान-प्रदान की समस्याओं, समाधानों और संभावनाओं की खोज करने वाली यह गोष्ठी स्वागत योग्य है। जो एकता और दृढ़ता हमें साहित्य दे सकता है, वह किसी और साधन से संभव नहीं है। यह किसी संकट के समय की, किसी अवसर विशेष की, आवेश की एकता नहीं होगी, यह एकता आत्मिक होगी जो अमर स्वरों के सूक्ष्म सूत्रों से हमें स्थायी स्नेह और सौहार्द के बंधनों में बाँधेगी। ○○○

दक्षिण भारत में हिंदी के पठन-पाठन की समस्याएँ

—प्रो० जी० सुंदररेड्डी
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय,
विशाखापट्टनम्

दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा और साहित्य का अध्ययन लगभग 1920 से चल रहा है। आरंभ में दक्षिण के साधारण जन-समाज में केवल राष्ट्रीय दृष्टि कोण से हिन्दी का अध्ययन और अध्यापन हुआ करता था किन्तु इधर पिछले 26 वर्षों से दक्षिण के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन और अध्यापन को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। उत्तर में, विशेष रूप से हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी साहित्य का अध्ययन लगभग अनिवार्य माना जाता है क्योंकि वहां हिन्दी प्रायः सभी छात्रों की मातृभाषा होती है। लेकिन दक्षिण में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी भाषा और साहित्य का या तो राष्ट्रीय महत्व है या शैक्षणिक महत्व। जहां तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों में अध्ययन और अध्यापन का प्रश्न है, हिन्दी को एक शैक्षणिक विषय मानकर चलना ही वांछनीय है। इस दृष्टि से उत्तर और दक्षिण में हिन्दी के अध्ययन और अध्यापन में एक-रूपता लाना भले ही संभव न हो फिर भी जहां तक हो सके स्तर की एकरूपता बनाए रखना वांछनीय है। कम से कम स्नातकोत्तर और अनुसंधान के स्तर पर उत्तर और दक्षिण के छात्रों की उपलब्धियों में विशेष अन्तर नहीं होना चाहिए क्योंकि दक्षिण के छात्रों के पास कम से कम दो भाषाओं की शब्द संपत्ति और साहित्यिक जानकारी होने के कारण हिन्दी के विकास में उनका योगदान अधिक मात्रा में संभव हो सकता है। फिर भी उत्तर और दक्षिण में भाषा और साहित्य की पृष्ठभूमि और स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए दक्षिण के स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तरों में प्रचलित पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक एवं वांछनीय प्रतीत होता है।

1947 के बाद दक्षिण के चारों भाषा-प्रदेशों के स्कूलों में हिन्दी का अध्यापन अनिवार्य बना दिया गया है। इसके पीछे केन्द्रीय सरकार की शिक्षा-नीति, हमारे संविधान में हिन्दी को दिया गया स्थान और दक्षिण में हिन्दी प्रचार-क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार की हुई पृष्ठभूमि-तीनों का सम्मिलित योगदान है। केन्द्र की यह नीति रही है कि दक्षिण के हर एक स्कूल में ही नहीं, हिन्दीतर प्रदेशों के हर एक स्कूल में भी हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति हो और उस अध्यापक के वेतन का पूरा भार उस की नियुक्ति से पाँच वर्षों तक केन्द्रीय सरकार ही वहन करे। तत्पश्चात् उसका सारा वेतन राज्य सरकार दे। इस नीति का परिणाम यह हुआ है कि आंध्र और केरल के करीब-करीब सभी प्राइमरी और हाईस्कूलों में हिन्दी का प्रवेश हो गया है और अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। किन्तु तमिलनाडु की स्थिति बिलकुल भिन्न रही है जिसकी वजह से तमिलनाडु के स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश नहीं हो सका है। परिणाम-स्वरूप यहां के कालेजों एवं विश्वविद्यालययों में भी वह वांछित स्थान नहीं पा सकी है। प्रसन्नता की बात है कि इस साल से मद्रास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया है।

अब रही अध्यापकों की ट्रेनिंग की बात। आंध्र, केरल और कर्नाटक में हिन्दी प्रशिक्षण-विद्यालय चल रहे हैं। इनके माध्यम से वहां के हाई स्कूलों के करीब-करीब सभी अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान में जो भी अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए उसका सारा व्यय अर्थात् उसके स्थान पर नियुक्त अध्यापक का वेतन और प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्ति की छात्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होनी चाहिए। यह बात खासकर दक्षिण भारत के लिए लागू हो। क्योंकि आर्य-भाषी अहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश की तुलना में द्रविड़ भाषा-भाषी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के पठन-पाठन की समस्याएं अधिक जटिल हैं। भारत सरकार अब तक सभी अहिन्दी भाषी प्रदेशों की हिन्दी सम्बन्धी समस्याओं को एक ही दृष्टि से देखती आ रही है। इस नीति में परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है।

स्कूलों में हिंदी

स्कूलों में हिन्दी-पाठन सामग्री का राष्ट्रीयकरण हो गया है। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कालेज इन तीनों की सम्मिलित समितियों द्वारा हिन्दी 'रीडरें' तैयार की जा रही हैं। इन रीडरों पर एन० सी० ई० आर० टी० की समालोचना भी प्राप्त की जा रही है। इन रीडरों को

निम्नलिखित सुझावों के आधार पर और भी अधिक वैज्ञानिक तथा प्रयोजनमूलक बनाया जा सकता है।

(1) प्रत्येक अहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश के लिए हिन्दी तथा तद्देशीय भाषा की समानार्थक शब्दावली को पृथक करके बुनियादी हिन्दी शब्दावली अलग-अलग तैयार की जाए। शिक्षण वेत्ता यह भी देखें कि प्रत्येक स्तर पर कितने नए शब्दों को पढ़ाया जाए और इन नए शब्दों की रीडर में कितनी बार आवृत्ति हो।

(2) हिंदी भाषा के लिखने में प्रत्येक प्रदेश के लड़के जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं, उन पर शोध-कार्य करके (जैसा कि केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में चल रहा है) प्रत्येक हिंदी रीडर के पाठों के अंत में विशेषतया वर्तनी, संबंधी अभ्यास दिए जाएं।

(3) हिंदी रीडर लिखने में हिंदी तथा तद्देशीय भाषा के व्यतिरेकी व्याकरण को दृष्टि में रखते हुए, संरचनात्मक पद्धति से समस्त पाठ लिखे जाएं। इस दिशा में केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर ने कुछ काम किया है, लेकिन वह स्कूलों के छोटे-छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। हां, वह काम स्कूल स्तर से ऊपर के छात्रों के लिए उपयोगी अवश्य है।

पी० यू० सी०/इंटर में हिन्दी :

एस० एस० एल० सी० या दसवीं कक्षा पास होने पर विद्यार्थियों का पी० यू० सी०/इंटर में प्रवेश होता है। केरल में एस० एस० एल० सी० में उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी के परचे में 35 प्रतिशत अंक पाना (संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए) आवश्यक है। आंध्र में ये अंक 35 प्रतिशत से बहुत कम हैं और कर्नाटक में तो नाम मात्र के लिए अंक पाना ही उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त होता है जिसके कारण पी० यू० सी०/इंटर में आने वाले हिंदी विद्यार्थियों का हिंदी-ज्ञान समान स्तर का न होकर भिन्न-भिन्न स्तरों का हुआ करता है। कई लड़के नागरी अक्षर तक शुद्ध नहीं लिख पाते, कई लड़के हिंदी पढ़ नहीं पाते, जब कि कई लड़के शुद्ध लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। ऐसे लड़कों को एक साथ बिठाकर एक वर्ग में पढ़ाना एक बड़ी समस्या बन जाती है। यदि विद्यार्थियों की संख्या काफी बड़ी हो तो उनकी हिंदी जानकारी के आधार पर अलग-अलग सेक्शन बनाए जा सकते हैं। किंतु उनकी संख्या मुश्किल से एक सेक्शन के लिए पर्याप्त होती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ये समस्याएँ हिंदी टीचर या हिंदी लेक्चरर के लिए हर घड़ी जिंदगी और मौत के प्रश्न पेश करती हैं। हमारे इन दिनों के एम० ए०, जो बी० एड्० या अन्य प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं पाए होते हैं, पी० यू० सी०/इंटर वर्ग में अध्यापक बनकर आते हैं। भिन्न-भिन्न स्तर वाले छात्रों को पढ़ाने का उनका ढंग हस्यास्पद सा लगता है। इसलिए दक्षिण में पी० यू० सी० और इंटर कक्षाओं में हिंदी कितनी और कैसे पढ़ाई जाए, इस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि उसी स्तर के लोग आगे चलकर डिग्री कक्षाओं में आते हैं।

मेरा सुझाव है कि दक्षिण भारत में इस स्तर के लड़कों को केवल खड़ी बोली के गद्य, पद्य और नाटक आदि ही पढ़ाए जाएं। इन्हें हिंदी का प्राचीन हाहित्य यानी ब्रज और अवधी के कवियों की रचनाओं को पढ़ाना किसी भी दृष्टि से आवश्यक और उचित प्रतीत नहीं होता। इनको बी० ए०, बी० एस० सी०, एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर में ही स्थान दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हिंदी के वार्तालाप की भाषा बिल्कुल रससिक्त होनी चाचिए। ऐसी पुस्तकें पाठ्यक्रम में रखी जाएँ जिनकी भाषा सजीव, स्वाभाविक एवं रोचक हो। सिनेमा के वार्तालाप बहुत ही सजीव और हदृयग्राही होते हैं, क्योंकि उनकी भाषा सामयिक, अत्यंत आकर्षक और हिदुस्तानी शैली में होती है। उत्तर भारत के अधिकतर हिंदी लेखकों के काव्य एवं नाटकों की भाषा प्राय: बोझिल, अस्वाभाविक, संस्कृतमय और हमारे लड़कों की चित्तवृत्ति की दृष्टि से बिलकुल ही अनाकर्षक हुआ करती है। यहां के लोग ऐसी ही पुस्तकों को चुनकर पाठ्यक्रम में रखते हैं जो हमारे लड़कों को नीरस लगती हैं।

व्याकरण के बारे में यह आवश्यक है कि पी० यू० सी०/इंटर के लिए लिखा गया व्याकरण अत्यंत व्यावहारिक हो। उसमें अभ्यास दिए गए हों। व्यतिरेकी पद्धति और तुलनात्मक पद्धति पर 'ने' का प्रयोग सिखाने वाले तीन चार पाठ व्याकरण में होने चाहिए।

गद्य की भाषा सरल, सरस एवं मुहावरेदार हो, पृष्ठों की संख्या कम हो, लेकिन एक-एक पाठ ऐसे हों जिन्हें देखते ही उनका उद्देश्य तुरंत मालूम हो जाए जिनकी समान संरचनाएं उस प्रदेश की मातृभाषा में नहीं है, उनको कम से कम चार पांच वाक्यों में बार-बार दिया जाए। जैसे स्टेशन जाते समय 'हमारे यहां से होते जाएँ। कालेज की गाड़ी 'हमारे यहां से भी गुजरे। आज 'हमारे यहां' भोजन के लिए आइए। इन तीन वाक्यों से हमारे यहां का प्रयोग स्पष्ट होगा। ऐसे ही अन्य वाक्यांशों का प्रयोग गद्य की रीडर (इंटर) में दिया जाना चाहिए और उनकी सूची रीडर बनाने के पहले ही तैयार कर ली जानी चाहिए।

मैं यह सब इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारी इंटर तक की रीडरें राष्ट्रीयकृत हैं। कभी कभी राष्ट्रीयकृत रीडरें नीरस और अनाकर्षक हुआ करती हैं। इसलिए रीडरों को सावधानी के साथ तैयार करना आवश्यक है।

डिग्री स्तर में हिंदी :

स्नातक कक्षा में हिंदी के पढ़ाए जाने का उउद्देश्य यह होना चाहिए कि साधारण डिग्री प्राप्त छात्र किसी भी

साधारण विषय पर चाहे वह साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा वाणिज्य संबंधी हो, हिंदी में अपना विचार अभिव्यक्त कर सके। इस उद्देश्य की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों की भाषा विषय के अनुरूप, महावरेदार और सविधान में उल्लिखित मिली जुली राष्ट्रीय भाषा शैली के ढंग की होनी चाहिए । द्वितीय भाषा हिंदी में गद्य अधिक और पद्य कम रखे जाने चाहिए और जो पद्य रखे जाएँ वे भी केवल खड़ी बोली के हों । हां, सरल दोहे और भजन का समावेश हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किंतु अपभ्रंश, राजस्थानी, मैथिली, और ब्रजभाषा एवं अवधी के क्लिष्ट साहित्य के समावेश के लिए डिग्री कक्षाओं में गुंजाइश नहीं है। हां, बी० ए० डिग्री के तीन वर्षीय वैकल्कि हिंदी के स्तर पर उक्त साहित्य का प्रवेश हो, यह वांछनीय है।

एम० ए० के स्तर पर हिंदी :

1954 में संपन्न अखिल भारतीय हिंदी प्राध्यापक सम्मेलन में निश्चय हुआ था कि हिंदी एम० ए० का स्तर सारे भारत में चाहे उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में एक सा हो, किंतु यह सर्वविदित है कि देश के सभी प्रदेशों में स्थिति एक-सी नहीं है । वहां की आवश्यकताएं भी अलग-अलग है। हिंदी भारत के एक बड़े भूभाग की मातृभाषा है। साथ ही वहां की साहित्यिक भाषा भी है । कई प्रदेशों में राजस्थानी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी और मैथिली भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं में साहित्यिक सर्जना भी शताब्दियों से होती आ रही है और आज भी हो रही है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि इसी साल केंद्रीय साहित्य अकादमी की तरफ से राजस्थानी में लिखित एक पुस्तक को पुरस्कृत किया गया है। हिंदीतर प्रांतों में सखासकर दक्षिण की बात बिलकुल अलग है। वहा आर्यभाषाओं से बिलकुल अलग चार द्राविड़ी भाषाएँ वहां की मातृभाषाएँ है, जिनका बहुत ही पुराना और समृद्ध साहित्य है। वहा की परिस्थितियां, एवं वहां के लोगों की आवश्यकताएं बिलकुल भिन्न हैं । इसलिए सारे भारत में हिंदी का स्तर एक सा-भले ही हो, लेकिन उनका रूप भिन्न होना चाहिए।

इन दिनों दक्षिण भारत में शोधार्थियों द्वारा प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी पर तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। यह प्रवृत्ति प्रोत्साहन देने योग्य है और इसका उत्तरोत्तर बढ़ना भी वांछनीय है। दूसरी प्रवृत्ति है प्रादेशिक भाषाओं की कृतियों का हिंदी में और हिंदी की कृतियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद। इन में कुछ अनुवाद उत्तम श्रेणी के होते हैं।

इन दोनों प्रवृत्तियों से हमारा हिंदी एम० ए० का पाठ्यक्रम असंपृक्त नहीं रहना चाहिए। उत्तर भारत के हिंदी एम० ए० में गद्य वाले प्रश्न पत्र में दक्षिण की चारों भाषाओं की एक-एक अनूदित कृति को पाठ्य-विषय क्यों न बनाया जाए, जिससे हिंदी में एम० ए० करने वाले छात्र को कम से कम दक्षिण भारतीय सायत्यि की किसी एक विधा की झांकी अवश्य मिल जाए। अखिल भारतीय साहित्य के माध्यम से आज हिंदी का जो विकास हो रहा है, उसके प्रति भी मेरा यही संकेत है।

दूसरी बात हिंदी साहित्य के इतिहास वाले भाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर 50 प्रतिशत अंक और दक्षिण के किसी साहित्य के इतिहास पर 50 प्रतिशत अंक रखे जाएं और प्रश्न पत्र का शीर्षक-हिंदी और तेलुगु साहित्य का इतिहास हिन्दी और तामिल साहित्य का इतिहास, आदि रखा जाए।

इन दिनों दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों में हिंदी एम० ए० के पाठ्यक्रमों में प्राय: समानता है। हाँ, कहीं कहीं कुछ अंतर भी है। दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हिंदी के प्राचीन साहित्य की मात्रा उत्तर भारतीय विश्वविद्यालयों की मात्रा से बहुत कम हो। वैकल्पिक विषय परिस्थितियों के और आवश्यकताओं के आधारा पर हों। हां, यह सब बातें इस पर निर्भर हों कि हमारे हिंदी एम० ए० वाले छात्र एम० ए० डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, और क्या कर सकते हैं और आर्थिक दृष्टि से अपनी जीविका चलाने के लिए, उनके लिए किस तरह की हिंदी आवश्यक है।

शोध स्तर पर हिंदी :

अब तक दक्षिण के आंध्र, मैसूर श्री वेंकटेश्वर, उसमानिया, कर्नाटक एवं कालीकट विश्वविद्यालयों से 125 से अधिक शोध छात्रों ने पी० एच० डी० की उपाधियाँ प्राप्त कर ली हैं। इनके अतिरिक्त करीब 300 शोध छात्र विभिन्न विषयों पर शोध-कार्य में लगे हुए है। यह देखने में आया है कि दक्षिण भारत के साहित्य की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य हो रहा है। अब समय आ गया है कि इस स्तर पर समस्त दक्षिण भारत की हिंदी में विद्यमान प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया जाए, भिन्न भिन्न प्रकार के तुलनात्मक शोध कार्य में समन्वय लाया जाए और इस दिशा में उच्चतम स्तर पर अधिकाधिक कार्य संपन्न हो जिससे दक्षिण भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के व्यतिरेकीकरण और साहित्यिक प्रवृत्तियों के अध्ययन पर शोध हो । इनमें यदि स्तर की बात ली जाए तो कहना पड़ेगा कि स्तर असंतोषजनक नहीं है। किंतु ये शोध-प्रबंध प्रकाशित हों और इन पर विद्वानों की आलोचना निकले, तब कुछ कहा जाए । अभी इस दिशा में केवल कदम रखा गया है. लेकिन हमारे शोध छात्र गुमराह न हों, उनका हिंदी साहित्यिक ज्ञान सर्वागीण हो और शोध-कार्य ठोस हो, इस दृष्टि से निम्नलिखित बातों पर विचार करना वांछनीय है:

(शष पृष्ठ 19 पर)

राजस्थान में राजभाषा वर्ष

—कलानाथ शास्त्री
निदेशक, भाषा विभाग, जयपुर, राजस्थान

वर्ष 1978-79 को राजभाषा वर्ष, के रूप में मनाए जाने से राजस्थान में राजभाषा हिंदी को समस्त प्रशासनिक कार्यों में पूर्णरूपेण प्रयोग करने के योजनाबद्ध कार्यक्रम को, विशेष गति प्राप्त हुई है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मार्च, 1978 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक राज्य द्वारा अपनी अपनी राजभाषा को पूर्ण प्रतिष्ठा दिलाने के लिए इस वर्ष को राजभाषा वर्ष के रूप में मनाया जाए। इसी क्रम में राजस्थान ने राजभाषा कार्यक्रम का प्रारंभ हिंदी दिवस (14 सितंबर, 1978) से ही कर दिया था। राजभाषा वर्ष समारोह का उदघाटन महामहिम राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक ने किया तथा तत्कालीन वित्त मंत्री एवं विधान सभाध्यक्ष ने इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठियों की अध्यक्षता की। हिंदी दिवस के दो दिन पूर्व राज्य के मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में हिंदी प्रयोग के एक चरणबद्ध कार्यक्रम की स्वीकृति दी थी, जिसमें कहा गया था कि सारी वित्तीय स्वीकृतियां, सारे कार्यवृत्त, सारी रिपोर्टें केवल हिंदी में ही मान्य मानी जाएगी। यह निर्णय भी लिया गया कि आदेश, परिपत्र आदि हिंदी में ही जारी होंगे। एक उच्चस्तरीय राजभाषा समिति तथा तकनीकी विभागों में हिंदी प्रयोग के लिए एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी। सचिवालय में हिंदी प्रयोग का सर्वेक्षण किया जाएगा और हिंदीकरण हेतु वांछित साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस निर्णय द्वारा अनेक कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य घोषित किया गया। इस प्रकार अब राज्य में विधान सभा में प्रस्तुत समस्त सामग्री में, सभी सरकारी कागजों में किए जाने वाले हस्ताक्षरों में, नियुक्ति, स्थानातरण, पद स्थापन, वेतन-वृद्धि, कार्य ग्रहण, सेवा-निवृत्ति आदि के प्रशासनिक आदेशों में, सभी रबड़ मोहरों में, जिला एवं सेशन न्यायालय तक सभी न्यायालयों में, वित्तीय स्वीकृतियों में, सरकारी कार्यवृत्तों तथा रिपोर्टों में, मुद्रित एवं साइक्लोस्टाइल प्रशासनिक सामग्री आदि में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो गया है।

सचिवालय के कुछ विभागों में अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। उसके स्थान पर हिन्दी के पूर्ण प्रयोग की दृष्टि से सचिवालय के विभागों का, भाषा-विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया तथा मुख्य सचिव जी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुख्य सचिव जी ने 17 अक्तूबर, 1979 को सचिवों एवं विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाकर हिंदी-प्रयोग पर विचार-विमर्श किया तथा प्रत्येक विभाग को यह दायित्व सौंपा कि वे विभिन्न कार्यों में अनिवार्यतः हिन्दी का प्रयोग करेंगे। वित्त विभाग ने बजट आदि कार्यों में अनिवार्यतः हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ भी कर दिया है।

वर्ष, 1979 के हिन्दी दिवस पर शिक्षा एवं भाषा मंत्री तथा शिक्षा राज्य मंत्री ने 13 सितम्बर, को समस्त विभागों के राजभाषा संपर्क अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया तथा भाषा विभाग के प्रकाशनों का विमोचन किया। इस अवसर पर राजभाषा निर्देशिका नामक पुस्तक भाषा विभाग ने प्रकाशित कर प्रत्येक विभाग को भेजी ताकि सभी विभागों में हिन्दी की देखरेख के लिए मनोनीत भाषाधिकारी राज्यादेशों के मुताबिक हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करा सकें।

सचिवालय के प्रमुख विभागों तथा कुछ विभागाध्यक्षों के विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया जो अपने-अपने विभाग में हिन्दी-प्रयोग का समय-समय पर जायजा लेती हैं। विधान सभा, वाणिज्यकर विभाग, गृह विभाग, परिवहन आदि विभागों की समितियों ने अपनी बैठकों की रिपोर्टें सरकार को भेजी हैं। राज्य के प्रमुख सचिव श्री शेरसिंह जी की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसकी बैठक 12 नवम्बर, 1979 को हुई और जिसमें तकनीकी विभागों में हिन्दी प्रयोग की योजना बनाई गई।

न्याय क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग की दृष्टि से राजस्थान अग्रणी माना जाता है। विधि एवं न्याय क्षेत्र में इस प्रगति की देखरेख के लिए न्याय मूर्ति पुरुषोत्तम दास कुदाल की अध्यक्षता में जो सतर्कता समिति बनी हुई है उसने भी 2 मार्च, तथा 26–27 नवम्बर, 1979 को अपनी बैठकों में विविध क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग की सिफारिशें कीं। इस अवसर पर राज्य के राजस्व मंत्री श्री पुरुषोत्तम मंत्री ने राजस्व मंडल में हिन्दी प्रयोग सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व विधि मंत्री, उद्योग मंत्री, सहकारिता मंत्री तथा यातायात मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में श्रम, सहकारिता, यातायात आदि न्यायधिकरणों में 1-4-79 से हिन्दी प्रयोग आवश्यक घोषित किया जा चुका था।

हिन्दी टंककों और शीघ्रलिपिकों के प्रशिक्षण को इस वर्ष विशेष गति दी गई। सचिवालय में हिन्दी शीघ्रलिपि एवं टंकण की 4 विशेष कक्षाएं संचालित की गई। निदेशालय में हिन्दी शीघ्रलिपि की 5 कक्षाएं एवं हिन्दी टंकण की एक कक्षा चलाई गई। इनमें लगभग 150 शीघ्रलिपिक और 50 टंकक प्रशिक्षित हुए। राज्य सरकार ने हाल ही में यह निश्चय किया है कि अब केवल हिन्दी शीघ्रलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही शीघ्रलिपिक पद पर नियुक्ति की जा सकेगी। इससे पूर्व हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में शीघ्रलिपि परीक्षा पास करना होता था। इस राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी विषय अनिवार्य है। सरकारी विभागों में अंग्रेजी टंकण यंत्रों की खरीद पर प्रतिवन्ध है। विश्व बैंक आदि की योजनाओं के लिए जहाँ अंग्रेजी प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है और यदि वहाँ के लिए अंग्रेजी टंकण यंत्र की खरीद करनी होती है तो इसके लिए भाषा विभाग की पूर्वानुमति लेनी होती है। इस अर्से के दौरान लगभग 1100 हिन्दी टंकण यंत्र केन्द्रीय भंडार क्रय संगठन, (वित्त विभाग) द्वारा विभिन्न विभागों को मुहैय्या कराए गए। भाषा विभाग द्वारा राजकीय विभागों को अंग्रेजी टंकण यंत्र के बदले में हिन्दी टंकण यंत्र दिए जाते हैं। इस अर्से में 36 टंकण यंत्र विनिमय में दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार 30 प्रकाशन, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, मानक प्रारूप, वित्तीय प्रारूप तथा अन्य सहायक सामग्री शामिल है, भाषा विभाग द्वारा प्रकाशित कर विभागों को निःशुल्क भेजी गई है। गत वर्ष से लिपिक वर्गीय समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दी में राजकाज करने का पाठ्यक्रम भी नियमित रूप से शामिल किया जा रहा है। टेलीफोन पर हिन्दी शब्द, अनुवाद आदि बताने की तथा शोध संदर्भ पुस्तकालय की, पत्र-पत्रिकाओं की और देश भर के राजभाषा संबन्धी समाचारों की जो सेवाएँ भाषा-विभाग द्वारा निरन्तर उपलब्ध कराई जा रही हैं इनके अतिरिक्त इस वर्ष विभागीय अनुवादकों ने लगभग 800 पृष्ठों की राजकीय सामग्री का अनुवाद तो किया ही है, विभिन्न विभागों तथा निगमों में जाकर तत्स्थल अनुवाद सेवा तथा हिन्दी में काम करने की सलाह सेवा भी निःशुल्क दी है।

भाषा विभाग में तीन राजभाषा गोष्ठयाँ आयोजित की गईं जिनमें शब्दावली, अनुवाद एवं विविध क्षेत्रों में हिन्दी प्रयोग की समस्या आदि पर विचार-विमर्श हुआ। भाषा विभाग में कार्यरत सतर्कता अनुभाग द्वारा हिन्दी पत्रों, अंग्रेजी विज्ञापनों तथा किसी भी विभाग से अंग्रेजी में जारी हुए आदेश, परिपत्र आदि पर निगरानी रखी जाती है तथा संबन्धित विभाग को तुरंत ही उस बारे में लिखकर चेतावनी दी जाती है। विभागों का नियमित निरीक्षण किया जाता है तथा हर तीन माह में उनके यहां से हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रयोग का विवरण मँगाया जाता है। उसके अनुसार जिला प्रशासन एवं न्यायालय स्तर पर हिन्दी का प्रयोग लगभग शत प्रतिशत हो रहा है। गैर तकनीकी विभागों में राजभाषा वर्ष के दौरान यह प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है और अधिकांश विभागों में 80 से 90 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

इस प्रकार हिन्दी दिवस, 1978 से लेकर अब तक चलाए गए राजभाषा वर्ष सम्बन्धी कार्यक्रमों से राज्य के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी को पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित करने की दिशा में विशेष गति मिली है।

(17 पृष्ठ का शेष)

(1) प्रत्येक शोध-छात्र को भारतीय साहित्य (हिंदी के माध्यम से) और भाषा विज्ञान का थोड़ा-सा ज्ञान अवश्य कराया जाए।

(2) उसे शोध पद्धति में दीक्षित किया जाए जिससे वह शोध की वैज्ञानिक प्रणाली से परिचित हो सके।

(3) दक्षिण के विश्वविद्यालयों में अधिकतर तुलनात्मक शोध के अंतर्गत हिंदी तथा द्रविड़ भाषाओं एवं उनके साहित्य के बीच तुलनात्मक शोध चल रहा है। इस संदर्भ में मेरा विचार है कि हिंदी तथा भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में प्राप्त होने वाली समानांतर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों का आकलन किया जाए ताकि भारतीय साहित्य की उपलब्धियों का संश्लिष्ट स्वरूप प्रकाश में आ सके। ऐसा करने से तुलनात्मक शोध का समग्र स्वरूप सामने आ सकेगा और भारतीय साहित्य की मूलभूत एकरूपता की झाँकी भी प्राप्त हो सकेगी। ○○○

सरकारी प्रकाशन तथा उनके वितरण की समस्याएँ

--डॉ० श्यामसिंह शशि
उप निदेशक, प्रकाशन विभाग,
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

जन सम्पर्क तथा जन संचार के माध्यमों में प्रकाशन की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। सरकार जहां आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य मीडिया द्वारा जन-जन तक सीधे पहुँचने का प्रयास करती है, वहां पोस्टरों, पत्र-पत्रिकाओं, पैम्फलैटों तथा पुस्तकों का प्रकाशन कर, समाज कल्याण एवं स्वस्थ साहित्य-सृजन के नए आयाम भी प्रस्तुत करती है। ये प्रकाशन केवल सूचना या प्रचार के लिए ही किए जाते हों, ऐसी बात नहीं है। हां, सोद्देश्य अवश्य होते हैं। केन्द्र, राज्य सरकारों तथा स्वायत्तशासी निगमों या आयोगों द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। हम यहाँ मुख्य रूप से हिन्दी प्रकाशनों की चर्चा कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार की प्रकाशन संस्थाओं में कुछ प्रमुख नाम हैं--प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नेशनल बुक ट्रस्ट, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, साहित्य अकादमी तथा ललित अकादमी। इन सभी संस्थानों के प्रकाशनों का एक मात्र वितरक है प्रकाशन विभाग। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करती है। प्रकाशन विभाग भारत का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है। इसने ज्ञान विज्ञान से लेकर साहित्य तक की अब तक 5,000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रकाशन विभाग के विशिष्ट प्रकाशनों में "भारत के निर्माता" तथा "हमारे देश के राज्य" सीरीज, भारत (वार्षिक संदर्भ ग्रंथ), और बच्चों की पुस्तकें हैं। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित बच्चों की पुस्तकों तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित बाल साहित्य में अन्तर है। व्यापारिक संस्थानों में जहां भूतप्रेत की कहानियां, परी कथाओं का बाहुल्य रहता है, वहां विभाग की पुस्तकें प्रायः चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता तथा देश-प्रेम आदि पर आधारित होती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट का बाल साहित्य भी इसी कोटि में आता है। प्रकाशन विभाग की भाँति उनकी दो सीरीज हैं--महापुरुषों की जीवनियां तथा प्रदेश और उसके निवासियों पर आधारित पुस्तकें। किन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं कि इन संस्थाओं में कोई पुनरावृत्ति वाली स्थिति है। वास्तव में प्रकाशन विभाग के भारत के निर्माता सीरीज की पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट की जीवनियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा खोजपूर्ण होती हैं, जबकि विभिन्न राज्यों पर प्रकाशित पुस्तकों की सामग्री नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों की अपेक्षा कम तथा सामान्य होती हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-पुस्तकें तैयार करती है जबकि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ऊँची कक्षाओं के लिए सामग्री तैयार करता है। विभिन्न विषयों पर पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का काम इसी संस्थान का उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं के कोश तैयार करना, महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद तथा लोकप्रिय प्रकाशनों के लिए वित्तीय सहायता देना आदि कार्य यह संस्थान बड़ी सफलता के साथ संपन्न कर रहा है। साहित्य अकादमी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य प्रकाशित करती है। हिन्दी की विभिन्न विधाओं का साहित्य इस संस्थान द्वारा प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आदि संस्थाएँ विषय-विशेष का साहित्य प्रकाशित करती हैं तथा राज्यों की अकादमियाँ अपने प्रदेश के साहित्य का प्रकाशन करती हैं।

सरकारी प्रकाशनों की पुनरावृत्ति के बारे में जब हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने कुछ पुस्तकें स्वतः आ जाती हैं। उदाहरणार्थ हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों पर प्रकाशन विभाग तथा नेशनल बुक ट्रस्ट दोनों ने ही पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसी प्रकार कुंदाकुरी वीरशालिंगम पर प्रकाशन विभाग, नेशनल बुक ट्रस्ट तथा साहित्य अकादमी तीनों केन्द्रीय प्रकाशन संस्थाओं ने पुस्तकें प्रकाशित की हैं। राजा राममोहन राय पर भी प्रकाशन विभाग तथा साहित्य अकादमी ने पुस्तकें छापी हैं। सरोजनी नायडू पर प्रकाशन विभाग ने तथा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सी० एफ० एंड्रयूज', को प्रकाशन विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट ने अंग्रेजी में छापा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केवल सी०एफ० एंड्रयूज ही ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक द्वय श्री बनारसीदास चतुर्वेदी और मैंजोरी साईवस हैं। इस पुस्तक को छोड़कर अन्य सभी पुस्तकों के लेखक अलग-अलग हैं और उनकी विषय सामग्री भी कई दृष्टियों से अलग-अलग है। कुंदाकुरी वीरशालिंगम पुस्तक प्रकाशन विभाग ने अंग्रेजी में छापी है तथा नेशनल बुक ट्रस्ट ने हिन्दी में और साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी तथा तमिल में। 'राजा राममोहन राय' प्रकाशन विभाग ने बंगला तथा अंग्रेजी में छापी है तथा साहित्य अकादमी ने उसे अंग्रेजी तथा तेलगु में प्रकाशित किया है। वास्तव में यह बात कुछ अंशों में ठीक ही है कि एक ही विषय पर भिन्न भिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा पुस्तकें प्रकाशित करना पुनरावृत्ति का परिचायक है किन्तु इस बात का ध्यान तो रखा

हो जाता है कि पुस्तक का पाठक कितनी तथा कैसी सामग्री पसंद करता है। निजी संस्थानों में तो यहां तक देखने में आया है कि एक ही विषय पर सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। कहीं-कहीं तो लेखक भी एक ही है। अतः यह कहना औचित्यपूर्ण नहीं है कि सरकारी प्रकाशन संस्थानों में पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है।

हाल ही में इन संस्थानों की एक समन्वय समिति का गठन हुआ है और उनकी समय-समय पर बैठकें भी हुई हैं जिनमें मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर विचार किया गया है:—

1. पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। एक ही विषय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा साहित्य प्रकाशित करने की प्रवृत्ति को रोका जाए।
2. देश के भीतर पुस्तकें पढ़ने की अभिरुचि का विकास किया जाए।
3. पुस्तकों की बाजार में खपत बढ़ाने के लिए मार्केट रिसर्च की आधुनिक पद्धतियों का प्रश्रय लिया जाए।

स्पष्ट है कि पुस्तकों की इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यह संस्थान कटिबद्ध है। किन्तु इस समस्या का अंत केवल यहीं नहीं हो जाता। राज्य सरकारों की साहित्य अकादमियों के प्रकाशनों के लिए भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि यह पुनरावृत्ति केन्द्र से राज्यों की ओर अथवा राज्य से केन्द्र की ओर न बढ़ती जाए। कुछ पुस्तकें ऐसी भी देखने में आई हैं जो कि राज्य सरकारों की साहित्य अकादमियों ने प्रकाशित की हैं और उन्हीं विषयों पर साहित्य अथवा अन्य संस्थानों ने भी छापी हैं। इस दिशा में भी कोई राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति तैयार की जानी चाहिए जो पुस्तकों के विषय चयन करते समय न केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी प्रकाशनों से भी सम्पर्क स्थापित कर सके।

राज्य सरकारों के प्रकाशनों में उत्तर प्रदेश की हिन्दी समिति का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस संस्था ने साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान, मानविकी आदि अनेक विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनका वितरण समिति स्वयं करती है। इसी प्रकार बिहार और हरियाणा की ग्रंथ अकादमियां मानविकी और वैज्ञानिक विषयों पर साहित्य प्रकाशित कर रही हैं। इन संस्थाओं की वितरण समस्याएं भी लगभग केन्द्र की तरह ही हैं। अतः यदि केन्द्र की समस्याओं का निराकरण हो जाता है तो इन प्रादेशिक प्रकाशन संस्थाओं की समस्याएँ भी सुलझ जाएंगी।

यह आम शिकायत है कि सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य सस्ता होते हुए भी व्यापारिक संस्थानों की, अपेक्षा कम बिकता है और कम चर्चित होता है। वास्तव में यह बात सभी सरकारी पुस्तकों पर लागू नहीं होती। एक ओर पाठ्य पुस्तकों की खपत दिनों दिन बढ़ने के कारण उनका अभाव सुनने में आता है तो दूसरी ओर नेशनल बुक ट्रस्ट का 'नेहरू बाल पुस्तकालय' लाखों में बिकता है। प्रकाशन विभाग का 'भारत' रेफरेंस (एनुअल) जैसा विशद ग्रंथ 20,000 तक बिकता है। इसी विभाग का बाल साहित्य बड़ी संख्या में बिकता है किन्तु 'गांधी वाङमय' की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आश्चर्य है कि यह साहित्य सस्ता होते हुए भी कम बिकता है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पारिभाषिक शब्दकोश के विक्रय की स्थिति भी संतोषजनक है। स्वयं प्रकाशन विभाग पूरे भारत में एक करोड़ से अधिक की पुस्तकें प्रतिवर्ष बेचता है।

प्रकाशन विभाग चूंकि इन केन्द्रीय प्रकाशन संस्थानों की एकमात्र वितरण संस्था है, अतः उसकी विक्रय प्रणाली पर भी कुछ और प्रकाश डालना समुचित होगा। इस संस्थान के बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली आदि में एम्पोरिया हैं। मद्रास में एक क्षेत्रीय वितरण कार्यालय है जिसको एम्पोरिया के रूप में परिवर्तित करने की योजना है। इस वितरण संस्थान के पास इस समय पूरे देश के 3,500 एजेंट हैं। ये एजेंट तीन प्रकार के हैं :—

1. थोक विक्रेता:—इन्हें सवा तैंतीस प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। इन्हें 500 रुपए सिक्योरिटी जमा करानी होती है और 6,000 रु० की पुस्तकों की क्रय की गारंटी देनी होती है।

2. फुटकर विक्रेता :—इनको 25 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति 25 रुपए जमा करा कर एजेंट बन सकता है।

3. विदेशी एजेंटों के लिए यह कमीशन विदेशी मूल्य का 45 प्रतिशत होता है। यह विभाग किसी को भी उधार पर पुस्तकें नहीं देता। लेकिन सरकारी संस्थान बुक एडजस्टमेंट से भुगतान कर सकते हैं।

बिक्री की उपर्युक्त शर्तों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह वितरण प्रणाली व्यापारिक संस्थाओं की वितरण प्रणाली की अपेक्षा कम आकर्षण लगती है क्योंकि निजी संस्थान 40 से 50 प्रतिशत तक कमीशन देते हैं और उनके पास अग्रिम राशि जमा कराने की भी कोई खास शर्त नहीं होती। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि सरकारी पुस्तकें प्रायः निजी प्रकाशनों की अपेक्षा अधिक सस्ती होती हैं।

प्रसंगतः एक और जटिल समस्या उपस्थित होती है कि सरकारी नीरस पुस्तकों को पाठक क्यों पढ़ें? उसे तो सनसनीखेज उपन्यास चाहिए, फिल्मी प्रणय पर आधारित रंगीन कहानियां चाहिए और पाकेट बुक के रूप में मारधाड़ से भरपूर अथवा सामान्य रुचि का सस्ता साहित्य चाहिए। पर क्या सरकार ऐसा कर सकती है? इस परिप्रेक्ष्य में वितरण की समस्या जानने से पूर्व पाठकीय अभिरुचि पर भी एक दृष्टिपात करना जरूरी है। हमारे देश में पुस्तक या पत्रिका खरीदकर पढ़ने के बजाय माँग कर पढ़ना ज्यादा

सरल लगता है। एक बार आपने अपने किसी प्रिय पाठक मित्र को अपनी पुस्तक दे दी तो वह बस उसकी हो गई। लौटकर आने का सवाल ही नहीं उठता। 'लेखनी, पुस्तिका, भार्या, पर हस्ते गते गता' शायद यह पुरानी परम्परा रही हो। एक बात और, मां बाप सैकड़ों रुपए का सामान सुपर मार्केट से एक बार में खरीद लेंगे और बच्चे को तीन रुपए की मिल्क चाकलेट भी ले देंगे किन्तु दो ढाई रुपए की पुस्तक नहीं, यह दयनीय स्थिति है। वैसे भी जो साहित्य यहां खरीदकर पढ़ा जाता है, वह प्रायः स्तरीय नहीं होता।

स्पष्ट है कि सबसे अधिक क्रय संख्या पाठ्य-पुस्तकों की है। अन्य संस्थानों के प्रकाशनों का वितरण-विक्रय इतना कम क्यों है या प्रकाशन विभाग की समस्याएँ क्या हैं, इस संबन्ध में हमने कुछ तथ्य एकत्र किए हैं, जो इस प्रकार हैं:—

1. प्रकाशन विभाग की वितरण-मशीनरी व्यापारिक संस्थानों की अपेक्षा कम है।
2. मार्केट रिसर्च के लिए यहाँ कोई एकक नहीं है।
3. देशव्यापी सीधा सम्पर्क नहीं है।
4. थोक क्रय के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों के आदेश प्रायः नहीं मिलते या कम संख्या में मिलते हैं।
5. कहीं-कहीं तत्परता का अभाव है।
6. शिक्षाप्रद या रोचक साहित्य सस्ता होने के बावजूद सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य हल्की जनरुचि के कारण व्यापारिक साहित्य की अपेक्षा कम संख्या में बिकता है।
7. यह साहित्य विज्ञापित कम होता है।
8. एंटरटेनमेंट जैसी सुविधाएं सरकारी संस्थानों के पास नहीं होती।
9. प्रमाणिकता की खोज में तथा विभिन्न सरकारों द्वारा पांडुलिपियों की स्वीकृति समय पर न मिलने के कारण कुछ पुस्तकें सामयिक उपयोगिता खो देती है।
10. कुछ पुस्तकें अनुवाद अच्छा न होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो पातीं। कहते हैं कि अनुवाद ठीक उस पत्नी की तरह है जो सुन्दर होगी तो वफादार नहीं और यदि वफादार है तो उसे सुन्दर नहीं होना चाहिए। पर यह बात अब पुरानी पड़ गई है। भारतीय पत्नी को तो सुन्दर होने के साथ-साथ वफादार भी होना पड़ता है फिर अनुवाद के साथ ज्यादती क्यों?

सरकारी प्रकाशन के सम्पादकों तथा व्यापारिक संस्थानों के पत्रों के सम्पादकों के वेतनमानों की यदि तुलना की जाए तो उनमें बड़ी विषमता मिलेगी। सरकारी प्रकाशनों के सम्पादकों के पद पर ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, ऐसा कहना भ्रामक है। सेंट्रल इनफार्मेशन सर्विस में नियुक्तियाँ समय-समय पर योग्यता के अनुसार होती रहती हैं जिसमें प्रोफेशनल सम्पादकों को भी आवेदन पत्र देने की खुली छूट है और इस समय सरकारी प्रकाशनों में काम करने वाले कई व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले स्वतंत्र पत्र-पत्रिकाओं में काम कर चुके हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व पत्रकार अथवा सम्पादक रह चुके हैं।

कुछ विशेषज्ञों का मत है कि प्रचार साहित्य को नगण्य मूल्य पर वितरित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के भाषणों के प्रकाशन अल्प मूल्य पर वितरित किए जाने चाहिए। यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रीय नेताओं के भाषणों के प्रकाशन ऐतिहासिक महत्व की वस्तु नहीं हैं? प्रकाशन विभाग ने भूतपूर्व राष्ट्रपतियों डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० राधाकृष्णन, डॉ० जाकिर हुसैन तथा माननीय वी०वी० गिरि पर एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों श्री जवाहर लाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषणों के संकलन प्रकाशित किए हैं और सुभाषचन्द्र बोस, सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के भाषणों को भी पुस्तक रूप में प्रकाशित किया है। इन प्रकाशनों में कई पुस्तकें बड़े आकार की हैं। क्या ही अच्छा हो कि ये पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित कर अल्प मूल्य पर जन जन तक पहुँचाई जाएँ।

पुस्तक प्रदर्शनियों की रूपरेखा की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस समय नेशनल बुक ट्रस्ट ही संभवतः एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय संस्था है जो देश-विदेश में पुस्तक प्रदर्शनियों के लिए सरकारी संस्थान में सर्वाधिक कार्य कर रही है। किन्तु यदि इस कार्य में सभी प्रकाशन संस्थान और राष्ट्रीय प्रकाशन/संस्थान भरपूर सहयोग दें तो यह कार्य और अधिक आगे बढ़ सकेगा। यहां यह कहना भी उपयुक्त होगा कि राज्य तथा सरकार की कोई वितरण संस्था हो जिनके मुख्य कार्यालय प्रत्येक राज्य की राजधानी में हो और उनकी शाखाएं, उपशाखाएँ नगर तथा कस्बे तक में हों। इस व्यवस्था से पुस्तकों को जनमानस तक पहुँचाना संभव होगा।

इस समय सरकारी क्षेत्र में लगभग 460 प्रकाशन संस्थान हैं जबकि निजी प्रकाशन संस्थानों में 200 बड़े स्तर के, 200 बीच के स्तर के और 8,000 छोटे प्रकाशन गृह हैं। सरकारी प्रकाशन संस्थानों के कुछ और नाम इस प्रकार हैं—केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, श्रम और आवास मंत्रालय का प्रकाशन विभाग, तरक्कीए-उर्दू बोर्ड, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भारत सरकार का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, भारतीय

(शेष पृष्ठ 41 पर)

राजभाषा संबंधी समितियाँ और उनके प्रमुख निर्णय

गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति :
21वीं बैठक के प्रमुख निर्णय

14 मई और 23 मई, 1979 को क्रमशः तत्कालीन गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 21 वीं बैठक हुई थी; जिसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(1) प्रशिक्षण प्राप्त टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों के प्रशिक्षण का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए

श्री गंगाशरण सिंह ने सुझाव दिया कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रशिक्षण का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने यह विचार प्रकट किया कि यदि प्रत्येक हिन्दी भाषी अधिकारी प्रतिदिन अपने काम का कुछ अंश हिन्दी में लिखे या हिन्दी में डिक्टेशन दे और प्रत्येक अहिन्दी भाषी अधिकारी प्रतिदिन कम से कम कुछ पंक्तियां हिन्दी में लिखें या हिन्दी में डिक्टेशन दे तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों के प्रशिक्षण का समुचित लाभ उठाया जा सकेगा।

(2) सभी विभागीय पुस्तकालयों में हिंदी की पुस्तकें पर्याप्त संख्या में खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए समुचित राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए

श्री हिमांशु जोशी ने बताया कि गृह मंत्रालय के कार्यालयों के पुस्तकालयों के निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कुछ कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकों की संख्या लगभग नगण्य है। साथ ही, कई जगह अंग्रेजी की ऐसी पुस्तकें खरीदी गई हैं जिनका कार्यालय के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी की पुस्तकों की खरीद एक उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन से की जानी चाहिए और पुस्तकों के चयन में साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, राज्यों की हिन्दी समितियाँ आदि सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त सुझाव से सहमति प्रकट करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी की अधिक पुस्तकें खरीदी जानी चाहिए।

(3) प्रशिक्षण संस्थानों की पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों आदि को हिंदी में तैयार करने की व्यवस्था

तथा

पुलिस संगठन के विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से दिया जाना

श्री गंगाशरण सिंह तथा श्री ओम प्रकाश त्यागी ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को हिन्दी में साइक्लोस्टाइल करवाकर वितरित किया जाए। श्री हिमांशु जोशी ने सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई जाए जिसमें हिन्दी में प्रशिक्षण देने के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाए। जैसे हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं और इन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। इस बैठक की सिफारिशों को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

समिति की आम राय यह थी कि पुलिस संगठनों के प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।

सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण साहित्य अभी रोमन लिपि में लिखी गई हिन्दी में होने पर सदस्यों ने असंतोष व्यक्त किया और आग्रह किया कि ऐसे सभी साहित्य को अविलंब देवनागरी लिपि में तैयार किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि जो भी प्रशिक्षण साहित्य अभी रोमन हिन्दुस्तानी में है, उसे तत्काल देवनागरी लिपि में तैयार किया जाए।

प्रशिक्षण साहित्य और इससे संबंधित संदर्भ साहित्य के बारे में श्री गंगाशरण सिंह ने सुझाव दिया कि पुलिस संगठनों के सभी प्रशिक्षण साहित्य के बारे में निम्नलिखित

सूचना एकत्र कर समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो सके:—

(1) कुल कितना प्रशिक्षण साहित्य है ? (सूची भी दें)

(2) इसमें से कितनी सामग्री अंग्रेजी में है ? (सूची भी दें)

(3) इसमें से कितनी सामग्री हिन्दी में है ? (सूची भी दें)

(4) इसमें से कितनी सामग्री रोमन हिन्दुस्तानी में है ? (सूची भी दें)

(5) इन्हें हिन्दी में तैयार करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

(4) गृह मंत्रालय में तथा उसके अन्य विभागों में नियमानुसार हिन्दी में काम किया जाना

मंत्रालय द्वारा किए गए हिन्दी पत्र व्यवहार के पिछले तीन वर्ष के आंकड़े देते हुए अध्यक्ष महोदय ने समिति को बताया कि हिन्दी पत्र व्यवहार में निरन्तर वृद्धि हो रही है और नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी हिन्दी के प्रयोग में प्रगति हो रही है ।

श्री नवाबसिंह चौहान और श्री ओम प्रकाश त्यागी ने कहा कि राजभाषा नियमों के अनुसार 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्यों की सरकारों और 'क' क्षेत्र की जनता को सभी पत्र हिन्दी में भेजे जाने चाहिए । इन नियमों का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए । यदि किसी कारण से कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो बाद में तुरंत उस पत्र का हिन्दी रूपांतर भेजा जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय ने इन सुझावों से सहमति व्यक्त करते हुए निदेश दिया कि इन नियमों को पुनः सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए और इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जानी चाहिए । यदि कोई पत्र तात्कालिक महत्व का हो, और उसे अंग्रेजी में भेजा जाना बहुत जरूरी हो, तो तुरंत बाद में उसका हिन्दी रूपान्तर भेजा जाना चाहिए ।

(5) गृह मंत्रालय के अन्तर्गत अर्ध सैनिक संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं को हिन्दी में निकालने की व्यवस्था

श्री ओम प्रकाश त्यागी ने कहा कि हिन्दी भारत की प्रमुख राजभाषा है और अंग्रेजी सहभाषा है परन्तु अर्ध सैनिक संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी के लेखों को पत्रिका के अंत में छापा जाता है तथा उसमें हिन्दी के लेखों का अनुपात भी बहुत कम होता है । आवरण, विषय सूची, आदि से प्रतीत होता है कि पत्रिका मुख्यतः अंग्रेजी की है । उन्होंने सुझाव दिया कि अर्ध सैनिक संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में हिन्दी को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए । उनके आवरण, विषय सूची, आदि द्विभाषिक होने चाहिए और उनमें पहले हिन्दी के, फिर अंग्रेजी के लेख छापे जाने चाहिए ।

(6) पुलिस संगठनों में राजभाषा नियमों के अनुपालन में बरती जा रही ढील को समाप्त करना

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि पुलिस संगठनों के अध्यक्षों को निदेश दिए जाएं कि वे अपने कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाएँ तथा उसे तत्परता से पूरा करें । यह भी कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएं तथा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्यों को और 'क' क्षेत्र की जनता को सभी पत्र हिन्दी में भेजे जाएं ।

(7) संघ शासित क्षेत्रों में राजभाषा नियम का पालन किया जाना ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी ने बातया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का सरकारी कामकाज पहले हिन्दी में होता था परन्तु, अब सरकारी काम काज में अंग्रेजी का उपयोग किया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि वस्तुस्थिति का पता लगाया जाए ।

श्री ओम प्रकाश त्यागीने सुझाव दिया कि अरुणाचल प्रदेश और गोवा में सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं । श्री त्यागी ने यह भी बातया कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की बोलियों की कोई लिपि नहीं है । यदि उनकी बोलियों का साहित्य देवनागरी लिपि में बानाया जाए तो वे हिन्दी भाषा में भी रुचि लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय ने बाताया कि अरुणाचल प्रदेश की बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग करने के बारे में एक स्कीम बनाई गई है । इस स्कीम में एक प्रशिक्षण केन्द्र का प्रावधान है । इस स्कीम पर विचार हो रहा है ।

(8) अन्य मदें

श्री गंगाशरण सिंह ने सुझाव दिया कि टाइपराइटरों का आर्डर देते समय आर्डर की एक प्रति राजभाषा विभाग को भी भेजी जानी चाहिए ताकि उन्हें यह ज्ञात होता रहे कि किन-किन कार्यालयों में कितने कितने हिन्दी टाइपाराइटर खरीदे जा रहे हैं और केन्द्रीय हिन्दी समिति के आदेशानुसार नए टाइपराइटर खरीदे जा रहे हैं या नहीं । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समिति की अगली बैठक में यह सूचना दी जाए कि इस वर्ष कितने टाइपराइटरों का आर्डर दिया गया, और कितने टाइपराइटरों की सप्लाई हुई, और कितने टाइपराइटरों के आर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं ।

[शेष पृष्ठ 36 पर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति: 14 वीं बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 14वीं बैठक 28 अप्रैल, 1979 को हुई। बैठक में नीचे लिखे प्रमुख निर्णय लिए गए :—

(1) आकाशवाणी और दूरदर्शन के केंद्रों से हिंदी में कार्यक्रम :

प्रारम्भ में मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को देखा है। वे काफी अच्छे होते हैं। यदि कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र से हिंदी में मनोरंजन के कार्यक्रम भी शुरू किए जाएं तो ये कार्यक्रम बहुत सफल होंगे क्योंकि वहां काफी लोग हिंदी जानते हैं। सदस्यों का विचार था कि दूरदर्शन तथा रेडियो पर प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा सरल होनी चाहिए।

(2) मंत्रालय में हिंदी का प्रयोग :

यह देखने के लिए कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत बने राजभाषा नियम, 1976 का ठीक से पालन हो रहा है अथवा नहीं, मंत्रालय तथा इसके विभिन्न विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि नियमों के अनुसार हिंदी पत्रों का उत्तर तो हिंदी में दिया ही जाना चाहिए साथ ही 'क' क्षेत्र के राज्यों को सभी मूल पत्र हिंदी में ही भेजे जाने चाहिए। यदि इन राज्यों से पत्र अंग्रेजी में आते हैं तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देना भी बहुत आवश्यक है इसलिए जब तक यह नहीं होता तब तक कार्यालयों में हिंदी का विकास अवरुद्ध रहेगा। इसलिए इस ओर पूरा ध्यान दिया जाए। श्री मोटूरि सत्यनारायण ने सुझाव दिया कि हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को हिंदी में काम करने का मौका भी दिया जाना चाहिए। वे यह भी चाहते थे कि भविष्य में यह भी बताया जाए कि कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि सहित हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मुनीश गुप्त ने सूचित किया कि प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व राजभाषा विभाग का है। इसके लिए सारे देश में 168 पूर्णकालिक और 147 अंशकालिक केन्द्र खोले गए हैं। इनके अतिरिक्त 18 आशुलिपि तथा टंकण प्रशिक्षण केन्द्र हैं। कुछ अन्य केन्द्र खोलने पर भी विचार किया जा रहा है।

(2) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा द्विभाषिक रूप में विज्ञापनों को जारी करना :

यह बताया गया कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पास जो विज्ञापन आते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं :—

(1) वर्गीकृत या क्लासीफाइड
(2) सजावटी, तथा
(3) मिलेजुले यानी वर्गीकृत तथा सजावटी

जहाँ तक सजावटी तथा मिलेजुले विज्ञापनों का संबंध है उनके लिए शतप्रतिशत हिंदी पर निर्भर किया जाता है। सजावटी विज्ञापनों की सजावट भी की जाती है। इस प्रकार के सभी विज्ञापन हिंदी में भी जारी होते हैं परन्तु वर्गीकृत विज्ञापनों की संख्या बहुत होती है इसलिए इस ओर पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई है। इसमें दिक्कत यह है कि विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त होने वाले अधिकांश विज्ञापन केवल अंग्रेजी में ही प्राप्त होते हैं और निदेशालय में इनके अनुवाद के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। बहुत से विज्ञापन ऐसे भी आते हैं जिन्हें थोड़े समय में विज्ञापित/प्रकाशित करना होता है। इसलिए अनुवाद का प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी पिछले वर्ष विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने वर्गीकृत (क्लासीफाइड) विज्ञापनों को हिंदी में जारी करने में काफी प्रगति की है। फिर भी यह सुझाया गया कि सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाए कि वे डी० ए० वी० पी० को भेजे जाने वाले विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजें क्योंकि एक ही विज्ञापन का अलग-अलग पत्रों में अलग-अलग ढंग से अनुवाद किए जाने पर उसमें काफी अंतर हो जाने की संभावना रहती है। सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि हिंदी समाचार पत्रों को विज्ञापन हिंदी में दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय का यह मत था कि यदि डी० ए० वी० पी० सजगता से कार्य नहीं करेगा तो भाषांतर से बहुत अंतर पड़ सकता है। अतः इस बारे में डी० ए० वी० पी० को पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए और जो दिक्कतें हैं वे दूर की जानी चाहिए।

(3) आकाशवाणी की भाषा :

इनके बाद कार्य सूची की अन्य मदों के स्थान पर सदस्यों की इच्छानुसार आकाशवाणी की भाषा के संबंध में सरदार पटेल तथा श्री आर० आर० दिवाकर के बीच हुए पत्र व्यवहार पर विचार विमर्श हुआ। इस पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि सभी सदस्यों को पहले ही भेज दी गई थी। इस संबंध में सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। इस चर्चा से जो जो बातें उभर कर सामने आई उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:--

हिंदी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी। दोनों के विकास में अंतर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रभाषा का कार्य करने के लिए भाषा को संकुचित दायरे में बांधकर नहीं रखा जा सकता। उसका विस्तार तभी संभव है जब उसमें सभी क्षेत्रों की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाए क्योंकि राष्ट्रभाषा को बनाने में किन्हीं प्रदेशों विशेष का हाथ नहीं है। इसमें देश के सभी भागों का सहयोग है। हमारे देश में अच्छी और समृद्ध भाषाएं है उनकी सामाजिक एवं साहित्यिक समृद्धि से हिंदी लाभ उठा सकती है। ये भाषाएं हिंदी को विकासमान बनाने में सहायक हो सकती है। इन भाषाओं के शब्दों को किस तरह से हिंदी में लिया जाए इसके लिए एक अनुसंधान संस्थान बनाया जाना चाहिए। समय समय पर इस संस्थान को इस दिशा में की गई अपनी उपलब्धियों को प्रकाशित करना चाहिए। इससे हिंदी में स्वाभाविक गति आएगी और वह राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकेगी।

समाचार सेवा प्रभाग एक बहुत शक्तिशाली और बड़ा मीडिया है। इसके द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सामान्य लोगों की समझ में आ जाए। समाचारों में सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे लोग जब रेडियो से समाचार सुनें तो उन्हें ऐसा लगे कि वे अपनी भाषा में समाचार सुन रहे है।

अनुवाद से भाषा नहीं बनेगी। भाषा स्वाभाविक रूप से बनेगी। हिंदी में भारतीय भाषाओं के अधिक से अधिक शब्दों को खपाया जाना चाहिए। भाषा का एक बृहत्तर कोश बनाया जाना चाहिए जिससे राजभाषा के रूप में सुधार करने में सहायता मिल सके। हिंदी की दो शैलियां हों, हिंदी के जितने कार्यक्रम हैं उनमें साहित्यिक शैली हो और जहां तक समाचारों का संबंध है उनमें एक तरह से बोल चाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। समाचारों की भाषा और उनकी समीक्षा सरल और संप्रेषणयुक्त होनी चाहिए।

समाचारों के लिए विशेष रूप से एक हिंदी समाचार कक्ष बनाया जाए। टेलीविजन पर हिंदी के कार्यक्रमों में अंग्रेजी के ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जो आम बोलचाल के नहीं होते। इसलिए वे कर्णकटु लगते हैं। अनुवाद पर निर्भरता कम की जाए क्योंकि इससे हिंदी का मूल रूप में विकास नहीं हो पाता।

अंत में यह सुझाव दिया गया कि 300 वर्षों का हिंदी का बृहत्तर साहित्य कोष बनाया जाए जिसमें अहिंदी भाषाओं के आम प्रयोग के शब्द भी लिए जाएँ। इस तरह चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि आम बोलचाल के वे शब्द जो हिंदी में आ गए हैं और जिन्हें हिंदी ने अपनी प्रकृति के अनुसार अपना लिया है उसे छोड़ा नहीं जा सकता और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की भाषा साहित्यिक न हो कर आम आदमी की भाषा होनी चाहिए।

ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग में हिंदी : कुछ प्रमुख निर्णय

ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवीं बैठक 13-12-79 को हुई। बैठक में नीचे लिखे अनुसार निर्णय लिए गए :--

(1) हिंदी टाइप मशीनों की आपूर्ति

इस मंत्रालय में फिलहाल 10 हिन्दी के टाइपराइटर हैं और 7 नए टाइपराइटरों के लिए मांगपत्र पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को भेजा गया है। वर्तमान टाइपराइटरों में से कुछ को प्रशासनिक स्वरूप तथा तकनीकी स्वरूप के अनुभागों तथा कुछ को हिन्दी आशुलिपिकों को उपलब्ध कराया गया है और जो टाइपराइटर नए खरीदे जा रहे हैं उन्हें भी शेष प्रशासनिक अनुभागों को उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि इन अनुभागों में कम से कम 30-40 प्रतिशत कार्य हिन्दी में कराया जा सके।

(2) हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट

कार्यालय पद्धति (मैनुअल) में, रिपोर्टों तथा विवरणिकाओं के बारे में, यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुभागों द्वारा रिपोर्ट समय से प्रस्तुत की जाएँ। अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और वे व्यक्तिगत रूप से यह देखें कि उनके अनुभाग की रिपोर्ट समय से हिन्दी अनुभाग को भेजी जा रही है अथवा नहीं। उप सचिव (ए० एम०) ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित की गई हर महीने की 5 तारीख उपयुक्त नहीं है। इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए महीने की 15 तारीख निर्धारित करने की सलाह दी। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे यह नोट कर लें कि जिनके अनुभागों की रिपोर्टें हिन्दी अनुभाग को अभी तक नहीं भेजी गई हैं,

वे एक सप्ताह के अन्दर अन्दर उन्हें भिजवा दें और भविष्य में हर तिमाही की रिपोर्ट उसके अगले महीने की 15 तारीख तक अवश्य भिजवाते रहें।

(3) हिंदी कक्षाओं में अनुपस्थिति की रोकथाम

यह बताया गया कि हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित कई कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं में पढ़ने नहीं आ रहे हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि जिन अधिकारियों के अधीन उपर्युक्त व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, वे उन्हें हिन्दी कक्षाओं में शीघ्र प्रवेश लेने के लिए अनुदेश जारी करें। चूंकि हिन्दी प्रशिक्षण भी सरकारी कार्य का ही अंग है, अतः एकांतर दिनों पर एक-एक घंटे के लिए समय निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है।

(4) हिंदी कार्यशालाएँ

समिति को हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करने के बारे में अवगत कराया गया। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि इस समय कार्यशालाएं कई विभागों में चलाई जा रही हैं और उन्हीं के प्रतिमान पर इस मंत्रालय में भी आयोजित की जा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि कार्यशालाओं के बारे में शीघ्र कार्यवाई की जाएगी।

(5) गहन प्रशिक्षण हिंदी पाठ्यक्रम

गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हर सत्र में इस मंत्रालय से कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। इसलिए अगले सत्र में नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जगह एवजी की व्यवस्था करने के लिए समय से निर्णय लिया जाए।

(6) हिंदी में टिप्पण तथा आलेखन की नकद पुरस्कार योजना

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन की नकद पुरस्कार योजना को शुरू करने के लिए केवल उन्हीं लोगों की बैठक बुलाई जाए जो हिन्दी में कार्य कर रहे हैं। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितना प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है और कितने लोग हिन्दी में कार्य करने की रुचि रखते हैं। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि नकद पुरस्कार योजना आरंभ करने के लिए एक लाख शब्दों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की हुई है। मंत्रालय/विभाग अपने अनुसार इस सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और जो लोग इस समय हिन्दी में कार्य कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर पुरस्कार दिए जा सकते हैं।

(7) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिन अनुभागों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है, उन अनुभागों का सर्वेक्षण करके यह पता लगाया जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और किन परिस्थितियों में किया है। इसके अलावा, उन्हें पुनः यह आदेश जारी किए जाएँ कि वे भविष्य में हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में न दें क्योंकि ऐसा करना राजभाषा अनुदेशों की अवहेलना है। जो लोग इस प्रकार के आदेशों की अवहेलना करें उनका मामला सचिव महोदय के सामने रख दिया जाए।

(8) हिंदी में तार भेजना

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के महामंत्री ने कहा कि मूल पत्रों में तार भी शामिल हैं अतः तार भी हिन्दी में भेजे जाने चाहिए। परिषद ने हिन्दी तारों के 300 नमूने तैयार किए हैं जिनकी सहायता से यह मंत्रालय अपने यहां तारों के हिन्दी मसौदे तैयार कर सकता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त नमूने परिषद से मंगवा लिए जाएं। साथ ही उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से यह अनुरोध किया कि हिन्दी भाषी राज्यों को मूल पत्र, जिनमें तार भी शामिल हैं, हिन्दी में जारी किए जाएं। उन्होंने हिन्दी अधिकारी को भी यह आदेश दिया कि वे इस बात का सर्वेक्षण करें कि अधिकतर तार किस प्रभाग/अनुभाग से जारी होते हैं और वे किस स्वरूप के होते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तार का मतलब जल्दी से होता है और हो सकता है कि अनुभाग समय की कमी से इन्हें अंग्रेजी में जारी करते हों लेकिन यदि हिन्दी जानने वाले अधिकारी अपने स्तर पर ही तार भेजने का प्रयास करें तो नीचे के कर्मचारियों को इसमें आसानी हो जाएगी। निदेशक (एफ० डब्ल्यू० पी०) ने कहा कि हिन्दी अनुभाग की ओर से हिन्दी टाइप तथा हिन्दी डिक्टेशन की सहायता हर समय उपलब्ध रहती है अतः तारों को हिन्दी में टाइप कराने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि सभी अधिकारी अंग्रेजी में ही कार्य करने के अभ्यस्त हैं, अतः वे अंग्रेजी में तार भेजना अधिक आसान समझते हैं, लेकिन हिन्दी में काम करने का अभ्यास होने पर तार हिन्दी में भेजना आसान हो सकता है। वैसे अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी में तार भेजना अधिक आसान है और ये सस्ते भी पड़ते हैं।

(ख) हिंदी में चैक बनाना

चैक कम्युनिकेशन की श्रेणी में आते हैं अतः यह उचित होगा कि मंत्रालय के 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के व्यक्तियों आदि को दिए जाने वाले चैक हिन्दी में बनाए जाएं क्योंकि बैंकों में केवल व्यक्ति का नाम और रकम ही हिन्दी में लिखनी होती है और इनको हिन्दी में बनाए जाने में कोई व्यावहारिक कठिनाई भी नहीं है। फिलहाल बैंकों में अधिकारियों के जिस प्रकार के हस्ताक्षर हैं, उसी प्रकार के रहने दिए जाएं। उन्हें हिन्दी में बदले जाने की आवश्यकता नहीं है।

(9) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में कार्य कर रहे हैं उनका अलग से विवरण तैयार

कर लिया जाए और उन्हीं के आधार पर पुरस्कार योजना शुरू की जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सचिव महोदय के इन आदेशों से भी अवगत कराया कि उपसचिव के स्तर तक अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जाना चाहिए। इन आदेशों का अनुपालन सभी हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को करना है। चूंकि मंत्रालय बनने पर स्टाफ की स्थिति बदल चुकी है। पहले भूतपूर्व ग्राम विकास विभाग में 80 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होने के कारण उसे गजट में अधिसूचित किया गया था। अतः अब पुनर्गठित मंत्रालय को भी गजट में अधिसूचित कराने के लिए कार्रवाई की जाए।

(10) हिंदी आशुलिपि/हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग

विभाग में, फिहाल 9 आशुलिपिकों तथा 7 अवर श्रेणी लिपिकों को क्रमश. हिन्दी आशुलिपि और टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन कर्मचारियों की सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए इन्हें हिन्दी जानने वाले अधिकारियों के साथ तैनात किया जाए। उप सचिव (प्रशा०) ने बताया कि हिन्दी जानने वाले अधिकारी यह मांग करते हैं कि उन्हें दोनों भाषाओं का आशुलिपिक दिया जाए लेकिन जो आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किए गए हैं उन्हें हिन्दी आशुलिपि का काम न मिलने पर उनका इस कला का अभ्यास जाता रहता है। अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग के उप सचिव से कहा कि इन बदली हुई परिस्थितियों में टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों को पहले से ही हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि में क्वालीफाई कराना चाहिए। राजभाषा विभाग को स्वयं यह व्यवस्था करनी चाहिए कि नौकरी में आने से पहले जिस तरह अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में हिन्दी का एक पर्चा होता है जिसे पास करना अनिवार्य है उसी तरह इन लोगों के लिए भी हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय पर ठोस निर्णय लिया जाए ताकि मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि की कोई दिक्कत न होने पाए। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि यदि अधिकारीगण रोजाना हिन्दी में एक-एक पत्र भी लिखवाएं तो हिन्दी आशुलिपिकों की गति बनी रह सकती है। अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी जानने वाले अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे कम से कम एक पत्र हिन्दी में अवश्य लिखवाएं।

(11) हिंदी में अनूदित मानक फार्मों तथा मानक मसौदों का प्रयोग

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि हिन्दी अधिकारी द्वारा अनुभागों में जाकर यह देखा जाए कि हिन्दी में अनूदित किए गए फार्मों का प्रयोग हो भी रहा है या नहीं और ऐसे अनुभागों का पता लगाया जाए जहां हिन्दी फार्म उपलब्ध होने के बावजूद अंग्रेजी के फार्मों को ही प्रयोग में लाया जा रहा है और उसकी सूचना उन्हें दी जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अनुभागों द्वारा अनूदित फार्मों/मसौदों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

(12) सामान्य आदेशों को द्विभाषिक रूप में जारी करना

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि मंत्रालय में सामान्य आदेशों को द्विभाषिक रूप में जारी करने के लिए चैक प्वाइंट बनाए जाएं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी अधिकारी समय-समय पर रोनियो आपरेटर के पास जाकर यह देखें कि कौन-कौन से अनुभाग सामान्य आदेशों को अंग्रेजी में ही जारी कर रहे हैं और यदि सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में ही साइक्लोस्टाइल हो रहे हों तो उन्हें वहां से उठा लिया जाए और उसके बारे में संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि सामान्य आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे सामान्य आदेशों को तब तक जारी न होने दें जब तक कि उनका हिन्दी अनुवाद तैयार न करा लिया जाए।

(13) राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद में हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था

यह सुझाव रखा गया कि राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद के प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान भी कराया जाए जिससे कि उन्हें अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी में काम करने की सुविधा हो। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में की गई है।

(14) हिंदी "कुरुक्षेत्र" पत्रिका

यह कहा गया कि हिन्दी की "कुरुक्षेत्र" पत्रिका को अंग्रेजी की कुरुक्षेत्र पत्रिका की भांति ही पाक्षिक बना जाए। इस विषय को चलते कई वर्ष हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस विषय में प्रकाशन प्रभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने नए निदेशक (बेसिक लिटरेचर) से कहा कि वे इस विषय को स्वयं देखें। संपादक "कुरुक्षेत्र" (हिन्दी) ने बताया कि प्रकाशन प्रभाग ने हिन्दी कुरुक्षेत्र को पाक्षिक बनाने की अपेक्षा इस मास के अन्त में पत्रिका के चार पृष्ठ और कम कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी पत्रिका में छपने के लिए जो लेख अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं उनकी प्रतियां उन्हें भी मिलनी चाहिए। निदेशक (बु० सा०) ने कहा कि भविष्य में ऐसा ही होगा।

(15) हिंदी अनुभाग को सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव

चूंकि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय बन गया है, इसलिए कृषि मंत्रालय की तरह इसमें भी हिन्दी के 2 अनुभाग रखे जाएँ—एक अनुभाग अनुवाद आदि का कार्य देखे तथा दूसरा अनुभाग हिंदी कार्यान्वयन का। □□□

हिंदी के बढ़ते चरण

बैंकों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग

---डॉ० विश्वदेव शर्मा, उप निदेशक (हिंदी
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग)

आज के अर्थ प्रधान युग में बैंकिंग प्रणाली का महत्व स्वयं सिद्ध है। देश का सम्पूर्ण अर्थचक्र बैंकों से, विशेष रूप से, प्रभावित होता है। यद्यपि भारत में देशी रूप में बैंकिंग व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है किन्तु उसका वर्तमान स्वरूप पश्चिम की देन है और इसी से आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में अंग्रेजी का वर्चस्व भी बराबर बना रहा है।

स्वाधीनता के बाद और, विशेषकर 1969 में देश के प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक व्यवसाय को राष्ट्रीय चेतना के अधिक निकट लाने का प्रयास आरम्भ हुआ। इस बीच, राजभाषा अधिनियम के साथ भारत सरकार की राजभाषा नीति भी एक विशेष स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। फलतः भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में भी राजभाषा हिंदी का क्रमिक प्रयोग आरम्भ हुआ।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का बैंकिंग प्रभाग, देश के केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, के अलावा भारतीय स्टेट बैंक और उसके 7 सहायक बैंकों* तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों** और अखिल भारतीय सावधिक ऋण देने वाली प्रमुख वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी० बी०आई०) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ० सी०आई०) में सरकार के राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी, जिनकी सं० इस समय 60 है, इसकी परिधि में आ जाते हैं।

सबसे पहले तत्कालीन बैंकिंग विभाग में एक राजभाषा कार्यान्वियन समिति का गठन हुआ था और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रधान कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन समितियों का क्रमशः गठन हुआ। इनके अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों, विशेषतः हिन्दी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यविन्यन समितियों का गठन हुआ। रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डी०बी०ओ०डी०) में भी एक राजभाषा कार्यविन्यन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के माध्यम से सभी बैंकों आदि में राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वियन का काम किया जा रहा है। इस कार्य की विराटता का कुछ अनुमान इस तथ्य से लग सकता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूरे देश में फैली हुई कोई तीस हजार से अधिक शाखाएँ हैं, जहाँ सरकारी राजभाषा नीति के यथोचित उपबंधों को लागू किया जाना

***भारतीय स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों के नाम इस प्रकार हैं:**—स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ़ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर।

****चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक निम्नलिखित हैं** :— सेंन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनारा बैंक, यूनाइटेट बैंक आफ इण्डिया, देना बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र और इण्डियन ओवरसीज बैंक।

इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के कुल बैंकों की संख्या 22 है।

है। इस समय वित्त मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति भी स्थापित है जो वित्त मंत्रालय के अधीन अन्य विभागों आदि के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर भी नजर रखती है। सभी बैंकों आदि के प्रधान कार्यालयों और अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी कक्षों की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें पर्याप्त संख्या में हिन्दी अधिकारियों, अनुवादकों, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, हिन्दी टाइपिस्टों, हिन्दी स्टेनोग्राफरों आदि की व्यवस्था की गई है। इन कक्षों को काफी संख्या में हिंदी टाइपराइटर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंकों में हिंदी का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने हुए नियमों तथा समय समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर बैंकों में राजभाषा के प्रयोग के विषय में अनेक निर्णय किए गए हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निर्णयों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:—

1. हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना

बैंकों द्वारा इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर सदैव हिन्दी में ही दिए जाएं। अनेक बैंकों ने इस आशय के पोस्टर भी अपने यहां लगाए हैं कि हम हिन्दी में भरे हुए फार्म आदि स्वीकार करते हैं और हिन्दी पत्रों का जबाब हिन्दी मे देते हैं।

2. हिंदी के चैकों को स्वीकार करना

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक हिंदी में लिखे और हस्ताक्षर किए चैक बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के स्वीकार करते हैं। बैंकों के कार्यालयों के बैंकिंग हालों में इस आशय की सूचना भी लिख कर लगाई गई है कि वहां हिन्दी में लिखे और हस्ताक्षर किए चैक स्वीकार किए जाते हैं। सरकारी कार्यालयों के आहरण अधिकारियों को भी यह सुविधा दे दी गई है कि वे हिन्दी में अपने नमूने के हस्ताक्षर भेज सकें और आहरण के लिए हिन्दी के हस्ताक्षरों का प्रयोग कर सकें।

3. आधिकारिक प्रलेखों पर हिंदी में हस्ताक्षर

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों को अनुमति दे दी गई है कि वे वित्तीय स्वरूप के (इनमें बिल भी शामिल हैं) और आधिकारिक प्रलेखों पर भी हिंदी में हस्ताक्षर कर सकते हैं।

4. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित प्रलेख

बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित प्रलेखों के लिए अनिवार्यतः हिंदी और अंग्रेजी का साथ साथ प्रयोग करें। इनमें संकल्प, सामान्य आदेश, प्रेस विज्ञप्तियाँ, नोटिस, रिपोर्टें, अधिसूचनाएँ और करार तथा संविदाएं आदि आ जाते हैं। बैंक इन कार्यों के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं।

5. विज्ञापनों का द्विभाषिक रूप में जारी किया जाना

अखिल भारतीय प्रचार या हिंदी-भाषी क्षेत्रों के लिए उद्दिष्ट सभी विज्ञापन बैंकों द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किए जाते हैं।

6. वार्षिक रिपोर्टों का द्विभाषीकरण

बैंकों आदि की वार्षिक रिपोर्टे बराबर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी की जाती हैं। उनमें आलोच्य वर्ष के दौरान हिन्दी में की गई प्रगति से संबंधित एक अलग अध्याय अथवा खंड भी रहता है।

7. लेखन सामग्री का द्विभाषीकरण

निर्णय किया गया है कि बैंकों के सभी फार्म, पत्र शीर्ष, रजिस्टर, फाइल कवर आदि स्टेशनरी द्विभाषिक हों; मुद्राओं और रबड़ की मोहरों को भी द्विभाषिक रूप दिए जाएँ। साथ ही वे जो डायरियाँ, दीवार कैलैण्डर, डैस्क कैलैण्डर और अन्य भेंट वस्तुएं आदि तैयार करें उन पर भी जो कुछ लिखा जाए वह द्विभाषिक हो। इस विषय में पर्याप्त प्रगति हुई है।

8. नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड, काउंटर बोर्ड, साइन बोर्ड आदि

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम बोर्ड, साइन-बोर्ड, काउंटर बोर्ड, आदि द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी) अथवा त्रिभाषिक (क्षेत्रीय/भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी) रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। पदनाम बोर्ड भी, विशेषतः क्षेत्र 'क' और क्षेत्र 'ख' में, द्विभाषिक रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं।

9. निमंत्रण पत्र, आंतरिक परिपत्र और कार्यालय आदेश

आधिकारिक उत्सवों के निमंत्रण पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं। साथ ही यथाआवश्यक रूप से क्षेत्रीय भाषा का समावेश करके उन्हें त्रिभाषिक रूप देने की व्यवस्था है। परिपत्रों और कार्यालय आदेशों को भी अधिकाधिक मात्रा में द्विभाषिक रूप में जारी करने की व्यवस्था की जाती है।

10. अखिल भारतीय सम्मेलनों की कार्यसूची की टिप्पणियाँ/ कार्यवाहियाँ

जनहित के जिन अखिल भारतीय सम्मेलनों में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ क्षेत्र 'क' के मंत्री और गैर अधिकारी उपस्थित होते हैं उनकी कार्य-सूची की टिप्पणियां और कार्यवाहियां द्विभाषिक रूप में जारी करने का निर्णय किया गया है।

11. द्विभाषिक प्रकाशन

बैंक जनता से सम्पर्क के जो भी प्रकाशन, पैम्फ्लैट, पोस्टर आदि निकालते हैं उन्हें प्रायः या तो द्विभाषिक छापा जाता है अथवा उनके हिन्दी संस्करण भी साथ ही प्रकाशित किए जाते हैं।

12. पास बुकों में हिंदी

हाल ही में निश्चय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हिन्दी क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण शाखाएँ बचत बैंक की पास बुकें हिन्दी में भर कर दिया करेंगे।

13. गृह पत्रिकाओं में हिंदी खंड

बैंक आदि द्वारा जो गृह पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं, उनमें से प्रायः सभी में हिन्दी खंडों का समावेश कर दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि यह अंश बराबर बढ़ता जाए ताकि कर्मचारियों में हिन्दी में पढ़ने लिखने की रुचि बराबर बढ़ती जाए।

14. हिंदी पुस्तकालय

जिन कर्मचारियों ने हाल ही में हिन्दी सीखी है अथवा जो पहले ही से हिन्दी जानते हैं उन्हें हिंदी का अभ्यास बनाए रखने में सहायता देने के लिए और सामान्यतः हिन्दी में उनकी रुचि जागृत करने के लिए, अधिकांश बैंकों में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं जिनमें सामान्य रुचि की हिन्दी पुस्तकें रखी जाती हैं।

प्रशिक्षण योजनाएँ

सरकारी क्षेत्र के बैंक आदि जहाँ एक ओर अपने कामकाज में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग का प्रयत्न कर रहे हैं वहीं वे अपने कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए सक्षम बनाने की दिशा में भी बराबर प्रयत्न-शील हैं। वे गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा चलायी जा रही हिंदी शिक्षण योजना और पत्राचार के माध्यम से तो अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने की व्यवस्था करते ही हैं, अधिकांश बैंकों ने हिन्दी सिखाने की अपनी योजनाएं भी आरम्भ की हैं। अधिकांश बैंकों के ट्रेनिंग कालेजों में हिन्दी को एक विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक एक बैंकोन्मुख हिन्दी पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है जो अन्य बैंकों द्वारा भी चलाया जाएगा। हिन्दी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण देने के लिए भी बैंकों ने व्यवस्था की है जिसमें गृह मंत्रालय की योजना का लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी योजनाएं चलाना भी शामिल है। सभी बैंकों ने यह भी व्यवस्था की है कि हिंदी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने पर कर्मचारियों को उपयुक्त पुरस्कार और प्रोत्साहन दिया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स (आई० आई० बी०) द्वारा जो बैंकोन्मुख हिन्दी प्रश्न पत्र शुरू किया गया है उसे पास करने पर भी बैंक समुचित आर्थिक प्रोत्साहन देते हैं। जो व्यक्ति हिन्दी जानते हैं या सीख गए हैं उन्हें अपना काम हिन्दी में करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है, जहां टिप्पण और आलेखन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

हिंदी मे काम करने के लिए शील्ड

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में हिन्दी के काम को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रतियोगिता आयोजित करे और 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में सबसे अधिक काम करने वाले बैंकों अथवा संस्थाओं को प्रति वर्ष "गवर्नर राजभाषा शील्ड" प्रदान किए जाएं। आशा है इससे बैंकों में राजभाषा में काम करने की गति और तेज होगी। रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों की प्रतियोगिता के लिए भी ऐसे ही शील्ड की व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है।

बैंकिंग व्यावसाय मुख्यतः जनता से संबंधित व्यवसाय है और यह उचित ही है कि इसमें अधिक मात्रा में ऐसी भाषा का प्रयोग हो जिसे जनता आम तौर से समझती है। ऐसा होने पर ही देश का जन सामान्य यह अनुभव कर पाएगा कि बैंक आदि उसके अपने हैं और उनसे वह निःसंकोच मदद ले सकता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को इसी दृष्टि से बराबर बढ़ाया जा रहा है। बैंक आदि इसे अपनी ग्राहक सेवा का एक अंग मानने लगे हैं। बैंकिंग व्यावसाय पूरे देश में फैला हुआ है और कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आ सकते हैं जहां राजभाषा विषयक सभी अपेक्षाओं की पूर्ति न हो पा रही हो। इसके लिए आवश्यक है कि सामान्य जन इन कमियों को बैंकों के प्रधान कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ताकि उसमें आवश्यक सुधार के उपाय किए जा सकें। आशा है समय के साथ बैंकिंग व्यवसाय और जन सामान्य के बीच राजभाषा हिंदी एक सुदृढ़ सेतु का रूप ग्रहण कर लेगी। □□□

राष्ट्रीय बचत संगठन में हिंदी

—क्षेत्रपाल शर्मा
राष्ट्रीय बचत संगठन, नागपुर

1948 में स्थापित राष्ट्रीय बचत संगठन वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) का एक सम्बद्ध कार्यालय है। इसका मुख्यालय नागपुर में है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य मितव्ययिता को जनजीवन का एक अनिवार्य अंग बनाना है। राष्ट्रीय बचत पत्र, विकास बांड, महिला प्रधान क्षेत्रीय योजना, संचयिका, आवर्ती जमा, संचयी सावधि जमा, मियादी जमा एवं डाकघर बचत बैंक खाता, इसकी प्रमुख योजनाएं हैं। अन्य वित्तीय संगठनों एवं बैंकों के मुकाबले ये योजनाएं कहीं अधिक सुविधाजनक हैं। बचत, मूलतः राष्ट्रीय विकास के कार्यों पर ही खर्च की जाती है। राशि इकट्ठा करने के लिए संगठन ने तहसील और ब्लाक स्तर पर एजेंट्स नियुक्त किए हैं। सार्वजनिक कल्याण के इस पुनीत उद्देश्य को लेकर संगठन आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय बचत संगठन के कार्यालय सारे भारत में फैले हुए हैं। प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उसके नीचे उप-क्षेत्रीय निदेशक, सहायक क्षेत्रीय निदेशक और जिले में जिला बचत अधिकारी हैं। मुख्यालय में प्रशिक्षण इकाई के अतिरिक्त 6 शाखाएं हैं। आम लोगों का संगठन से प्रायः पत्र-व्यवहार होता रहता है। हिंदी में पाए पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं। जुलाई से सितंबर, 1979 के दौरान मुख्यालय में 425 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए इसमें से 204 का उत्तर हिंदी में दिया गया, 4 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया, और शेष पत्रों पर फाइल में टिप्पणी हिंदी में की गई। कुल 12312 मूल पत्र जारी हुए इनमें 432 पत्र हिंदी में थे।

मुख्यालय ('ख' क्षेत्र) में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले पत्रों को यथासंभव द्विभाषिक रूप में ही छपाया जारी किया जाए। विज्ञापन मुख्यतया डी०ए० वी०पी० द्वारा सभी भाषाओं में दिए जाते हैं। कैलेण्डर, चार्ट आदि हिन्दी में भी तैयार किए गए हैं। प्रचार सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग उपलब्ध कराई जाती है। विविध भारती से संगठन का प्रचार कार्यक्रम 'कालयंत्र' प्रति रविवार को हिन्दी में प्रसारित होता है। संगठन के कार्यालयीन उपयोग के लिए सेल्स मैटर और न्यूजलेटर द्विभाषिक रूप में जारी होते हैं तथा प्रेस विज्ञप्तियां भी द्विभाषिक रूप में समाचार पत्रों को भेजी जाती है।

शब्दकोश एवं समेकित प्रशासन शब्दावली की एक एक प्रति शाखाओं को दैनिक कामकाज में सहायता के लिए दी गई है। मुख्यालय म कुल 56 कर्मचारी हैं उनमें से 36 को हिंदी की आवश्यक योग्यता प्राप्त है और 13 प्राज्ञ आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं। कुल 17 टाइपिस्ट और 2 स्टेनो हैं, इनमें 5 टाइपिस्ट हिंदी टंकण परीक्षा पास कर चुके हैं। इस कार्यालय को अगस्त 78 में हिन्दी में काम करने वाले कार्यालय के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है। मुख्यालय में प्रायः सभी रबर की मुहरे द्विभाषिक बन गई हैं और यह प्रक्रिया जारी है। कार्यालय के बोर्ड, नेम प्लेटें और स्टाफ कार प्लेटें द्विभाषिक हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवापंजियों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं।

मुख्यालय में हिंदी का एक टाइपराइटर है। दूसरा खरीदने की तैयारी हो रही है। हिंदी अनुवादक के दो पद हैं। इनमें एक पद 27-1-78 से भरा जा चुका था। हिंदी टाइपिस्ट का पद भी हाल ही में भरा गया है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही चल रही है। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वियन समिति का गठन हो चुका है जिसमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। जनवरी 78 से समिति की नियमित रूप से बैठक होती है।

सभी राज्यों के क्षेत्रीय निदेशकों को निदेश दिए गए हैं कि विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी विषय/माध्यम रखने का विकल्प दिया जाए एवं उन्हें यह भी निदेश दिए गए हैं कि 'हिंदी में कामकाज आसान है, आप शुरू तो कीजिए' लिखकर कार्यालय में टंगवाएं और अपने अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वियन समितियों का गठन कर हिंदी में काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन दें।

केन्द्रीय कार्यालय के 4 कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग और प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद/एकमुश्त पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन प्रदान किए गए।

संपूर्ण संगठन के हिसाब से जून 79 में 38/32 प्राप्त हिंदी पत्रों में से 1957 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं इसी अवधि में 4380 मूल पत्र हिंदी और 35591 अंग्रेजी में भेजे गए। समस्त संगठन में हिंदी अनुवादक के दो पद और हिंदी टाइपिस्ट का एक पद है जब कि संगठन के 'क' क्षेत्र में 10, 'ख' क्षेत्र में 7, और 'ग' क्षेत्र में 14, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। समस्त संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटरों की कुल संख्या 11 है। स्पष्ट है कि हिन्दी टाइपराइटर पर्याप्त संख्या में अभी कार्यालय में नहीं है और क्षेत्रीय कार्यालयों में अभी एक भी अनुवादक नहीं है। संगठन की 1978 की वार्षिक रिपोर्ट पहली बार हिंदी में भी तैयार हुई और मानक मसौदे द्विभाषिक रूप में तैयार किए गए।

बी० एच० ई० एल०, भोपाल में हिंदी की प्रगति: एक झलक

—डॉ० भगवान दयाल श्रीवास्तव,
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों और भारत सरकार द्वारा हिन्दी के बारे में समय-समय पर जारी की गई हिदायतों का पालन करने के लिए बी० एच० ई० एल० मैनेजमेंट ने प्रभावी कदम उठाए हैं हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि हिन्दी का प्रयोग हमारे दैनिक कामकाज में अधिक से अधिक किया जाए और खास तौर से उन विभागों में जिनके साथ आज कर्मचारियों और जनता का सीधा संबंध है। चूंकि हमारा कारखाना "क" क्षेत्र में स्थित है इसलिएं हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि नियमों के उपबंधों को अधिक से अधिक लागू किया जाए। हमारे यूनिट में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति संक्षेप में इस प्रकार है :–

1. हिंदी केन्द्र की स्थापना:

कानूनी उपबंधों और सरकारी आदेशों को लागू करने के लिए हमारे यहाँ हिन्दी केन्द्र की स्थापना की गई है। कारखाने के विभिन्न स्थानों पर हिन्दी एकक भी स्थापित किए गए हैं जो हिंदी केन्द्र के मार्गदर्शन में कारखाने का कार्य करते हैं। वर्ष 1976–77 में हिंदी स्टाफ की संख्या 12 थी जो बढ़कर अब 28 हो गई है। इस समय हमारे यहाँ एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, एक वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक (हिंदी), एक हिंदी अनुदेशक, 15 अनुवादक/सहायक अनुवादक, 8 हिंदी टंकक और 2 हिंदी स्टेनोग्राफर हैं। इन कर्मचारियों को कारखाने के विभिन्न विभागों में तैनात किया गया है ताकि वहाँ हिंदी का कार्य तत्काल निपटाया जा सके।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा प्रभागीय/विभागीय हिंदी समितियाँ

इस यूनिट में राजभाषा कार्यान्वयन समिति वर्ष 1973 से कार्यरत है। इस समिति में विभिन्न विभागों के हिंदी तथा गैर–हिंदी भाषी 19 सदस्य हैं। कारखाने के दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों/प्रभागों में 60 हिंदी समितियाँ कार्यरत हैं। इन समितियों में कुल 7 सदस्य होते हैं और इस समिति का अध्यक्ष संबंधित विभाग का वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक होता है। इनका संपर्क हिंदी केन्द्र से बराबर बना रहता है। समय–समय पर इनके सचिवों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है ताकि उनकी हिंदी कार्यान्वियन संबंधी कठिनाइयों का समाधान किया जा सके और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

3. कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण:

अहिंदीभाषी कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करने के लिए इस यूनिट में हिन्दी शिक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। अब तक प्रबोध पाठ्यक्रम के अंतर्गत 303 और प्रवीण के अंतर्गत 443 तथा प्राज्ञ के अंतर्गत 315 कर्मचारी उत्तीर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा जून, 1979 में 54 लोग परीक्षा में बैठे थे जो सभी उत्तीर्ण हो गए हैं। इन परीक्षाओं में सरकारी मानक के अनुसार निर्धारित अंक प्राप्त करने पर कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन दिया जाता है। हिंदी भाषी कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करने के लिए कार्यशालाएँ भी चलाई जाती हैं। अब तक ऐसी 3 कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं जिनके अंतर्गत 72 कर्मचारियों को डाक, आवती तथा प्रेषण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान में चल रही कार्यशाला के अंतर्गत 30 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजभाषा वर्ष में यह भी तय किया गया है कि गैर कार्यपालक कर्मचारियों के साथ ही सभी कार्यपालकों को भी अनिवार्य रूप से हिंदी की परीक्षाएँ पास कराई जाएँ। कार्यालयीन समय के अतिरिक्त मैनेजमेंट राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति को टाउनशिप में सायंकाल हिंदी कक्षाएँ चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदान देता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 3000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अशिक्षित और अर्ध–शिक्षित कर्मचारियों को अपनी नौकरी में उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए दी जाने वाली साक्षरता तथा व्यवसाय दक्षता ट्रेनिंग भी हिंदी के माध्यम से दी जाती है। इसके अंतर्गत अब तक 83 कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसके वर्तमान सत्र में 32 कर्मचारी प्रशिक्षण पा रहे हैं।

4. हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के लिए प्रोत्साहन योजना:

यूनिट में कार्यरत लिपिकों/आशुलिपिकों को हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना चालू की गई है जिसके अंतर्गत 150 और 300 रु० की एक मुश्त राशि उन लिपिकों/आशुलिपिकों को देने की व्यवस्था है जो इसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण के पश्चात् इन कर्मचारिय

को क्रमशः 25 रु० तथा 40 रु० प्रतिमाह देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

अंग्रेजी आशुलिपिकों को नई नियुक्ति के समय दिए जाने वाले प्रस्ताव पत्र में अब यह शर्त लगा दी गई है कि उन्हें कम्पनी की सेवा में आने के तुरन्त बाद हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि सीख लेना आवश्यक है । इस यूनिट में हिंदी टाइपराइटरों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है। वर्ष 1976-77 में हिंदी टाइपराइटरों की संख्या केवल 7 थी जो अब बढ़कर 70 हो गई है।

5. चेक प्वाइंट्स और गार्ड फाइलें:

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सांविधिक उपबंधों और सरकारी हिदायतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रोटा प्रिंट अनुभाग, लकड़ी कार्य अनुभाग, लेखन सामग्री एवं मुद्रण अनुभाग, साइकिलोस्टाइल अनुभाग, जैसे स्तरों पर चेक प्वाइंटों की व्यवस्था की गई है । विभागों/प्रभागों से गार्ड फाइलें (जिसमें हिंदी से संबंधित सभी प्रकार के अनुदेश होते हैं) रखने का अनुरोध भी किया जाता है ।

6. हिंदी के प्रयोग के लिए आवश्यक साहित्य:

रोजमर्रा के कार्य में हिंदी के प्रयोग में सुविधा देने की दृष्टि से समस्त प्रभागों/विभागों को प्रशासनिक, तकनीकी, इंजीनियरी, वाणिज्यिक, लेखा तथा लेखापरीक्षा, विधि आदि की शब्दावलियाँ जैसे उपयोगी एवं आवश्यक साहित्य दिए गए हैं । इसके साथ ही भारत सरकार के केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित समेकित प्रशासन शब्दावली और केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा प्रकाशित कार्यालय सहायिका की प्रतियाँ भी मँगाकर बाँटी गई हैं ।

राजभाषा कार्यान्वियन समिति की सिफारिश पर कर्मचारियों के उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, प्रशिक्षण शाला और हिंदी केन्द्र के पुस्तकालयों में सभी प्रकार के शब्दकोष, शब्दावलियाँ, हिंदी व्याकरण आदि उपलब्ध कराए गए हैं ।

7. हिंदी में विज्ञापन:

सभी सार्वजनिक विज्ञप्तियाँ अर्थात् प्रेस नोट्स आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जारी किए जाते हैं। कंपनी के उत्पादों की जानकारी देने और उसके प्रति लोकमत निर्माण करने के सभी विज्ञापन मूलतः अंग्रेजी में निकालकर उन्हें बाद में हिंदी तथा देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया जाता है । वर्गीकृत विज्ञापन अर्थात् रिक्त पद नोटिस, निविदा, सूचनाएँ आदि आवश्यकतानुसार अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में जारी किए जाते हैं ।

8. अनुवादकों का प्रशिक्षण:

भारत सरकार की नीति के अनुसार हिंदी केन्द्र में कार्यरत नौ कर्मचारियों को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय नई दिल्ली में अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया था । यह उल्लेखनीय है कि हमारे अनुवादक प्रारंभ के दोनों सत्रों में सर्वप्रथम रहे । इसी प्रकार प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत हिंदी अनुदेशक को भी केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा भेजा गया था जहाँ वे भी प्रशिक्षण में सर्वप्रथम रहे । इस यूनिट के अनुवाद के कार्य में लगे हुए अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। अब तक हमारे यहाँ अनुवाद काम में लगे 85 प्रतिशत कर्मचारी अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ।

9. विभागीय जाँच में हिंदी :

अपचारी कर्मचारी के विकल्प पर विभागीय जाँच हिन्दी में संचालित की जाती है और इस स्थिति में कर्मचारियों को आरोप पत्रों और दिन प्रतिदिन होने वाली जांच कार्रवाइयों को हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाता है।

10. तकनीकी और इंजीनियरी क्षेत्र में हिंदी :

निम्नलिखित के लिए हिन्दी और अंग्रेंजी दोनों का प्रयोग किया जाता है :–;

1. विभिन्न प्रकार की मशीनों की रेटिंग प्लेट्स ।
2. मशीन सम्बन्धी हिदायतें ।
3. शाप फ्लोर/कार्यस्थल के सम्बन्ध में सुरक्षा हिदायतें ।
4. अग्निशमन प्रभाग के लिए हिदायतें ।

11. अनुवाद तथा शब्दावली:

यूनिट में प्रचलित पत्रों/फार्मों/नियमों/विनियमों आदि का अनुवाद हिन्दी केन्द्र द्वारा किया जाता है। हमने अब तक 36 नियम/विनियम, 15, मैनुअल 1500 फार्म और 100 लैक्चर हैंड आउट्स का अनुवाद किया है । विभिन्न विभागों की पदनाम शब्दावली तथा एक प्रशासकीय शब्दावली का प्रकाशन भी द्विभाषिक रूप में किया जा चुका है ताकि यूनिट में काम आने वाले शब्दों में विभिन्न स्तरों पर एकरूपता रखी जा सके। इसी तरह सभी विभागों की अलग-अलग शब्दावली भी तैयार की जा रही है।

12. नोटिंग और ड्राफ्टिंग में हिंदी का उपयोग :

यूनिट के प्रशिक्षण विभाग, नगर प्रशासन विभाग, चिकित्सा विभाग, सुरक्षा विभाग, प्रचार एवं जनसंपर्क विभाग, लेखा विभाग तथा हिन्दी केन्द्र आदि में नोटिंग और ड्राफ्टिंग के कार्य में हिन्दी का प्रयोग बराबर बढ़ रहा है ।

13. बैठकों की कार्यसूची तथा उनके कार्यवृत्त :

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड राजभाषा कार्यान्वियन समिति तथा विभागीय हिंदी समितियों की कार्यसूचियाँ

तथा उनके कार्यवृत्त हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जारी किए जाते हैं। यूनिट की अन्य अन्तर-विभागीय बैठकों आदि की कार्यसूचियां और कार्यवृत्त हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जारी करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

14. कम्पनी के तार-पते तथा फ्रैंकिंग मशीन में हिंदी का उपयोग :

कम्पनी का तार का पता अब हिन्दी में भी "भारतइलेक" रजिस्टर्ड करा दिया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय डाक अनुभाग की फ्रैंकिंग मशीन में भी हिन्दी का प्रयोग किया जाता है।

15. चिकित्सा, नगर प्रशासन एवं प्रशिक्षण विभाग में हिंदी :

हमारे चिकित्सा प्रभाग में भी हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। विभिन्न आपरेशन करवाने वालों और अन्य चिकित्सीय जांच करवाने वालों को हिदायतें हिन्दी में दी जाती हैं। संक्रामक रोगों से बचाव संबंधी साहित्य भी हिंदी में प्रदान किया जाता है।

नगर प्रशासन विभाग में कर्मचारियों और जनता की सारी व्यथाएँ/शिकायतें हिन्दी में ही निपटाई जाती हैं। क्वार्टरों, दुकानों आदि के आवंटन और उनके निरस्तीकरण सम्बन्धी सभी कार्य हिन्दी में किए जाते हैं।

इसी प्रकार प्रशिक्षण प्रभाग में व्यवसाय (ट्रेड) और वाणिज्य शिक्षुओं आदि को प्रशिक्षित करने के दौरान निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

1. व्यवसाय (ट्रेड) और वाणिज्य शिक्षुओं को हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. वाणिज्य शिक्षुओं को पर्चे हिन्दी में दिए जाते हैं।
3. भर्ती के समय व्यवसाय (ट्रेड) शिक्षुओं को विभिन्न व्यवसायों (ट्रेडों) से सम्बन्धित प्रश्नपत्र हिन्दी में दिए जाते हैं।
4. व्यवसाय (ट्रेड) और वाणिज्य शिक्षुओं को समस्त परीक्षाओं में हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने की छूट रहती है। इसके अपवाद वे पाठ्यक्रम हैं, जहाँ बिना अंग्रेजी के काम नहीं चल पाता।
5. शिक्षुओं को प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित फार्म हिन्दी में दिए जाते हैं

16. कम्पनी के विभागों/प्रभागों, उद्योगनगरी की सड़कों आदि के नामपट्ट :

ब्लाकों, कार्यालयों, प्रभागों, कारखाना और उद्योगनगरी की सड़कों के प्रायः सभी नामपट्ट और बोर्ड हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दर्शाए गए हैं। कम्पनी की बसों में भी कम्पनी का नाम हिन्दी में दर्शाया गया है।

17. हिंदी के प्रकाशन :

(1) कम्पनी का प्रवक्ता साप्ताहिक पत्र "संदेश" हिन्दी में निकलता है। कर्मचारियों के बीच इसकी 13,000 प्रतियाँ प्रति सप्ताह वितरित की जाती हैं।

(2) कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों से हिन्दी में प्रकाशित की जा रही है।

(3) "हमारा प्रतिष्ठान" नामक पुस्तिका हिन्दी में प्रकाशित की गई है।

(4) सुरक्षा बुलेटिन पिछले 3 वर्षों से प्रतिमास हिन्दी में निकाली जा रही है।

(5) प्रशिक्षण, संकर्षण मोटर तथा प्रचार एवं जनसंपर्क विभाग की अनुविभागीय तथा विभागीय गतिविधियों के सार-संक्षेप हिन्दी में निकाले जाते हैं।

(6) कम्पनी उत्पादों से सम्बन्धित साहित्य हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है।

(7) चिकित्सा विभाग में रोगियों को दी जानेवाली सलाह आदि का साहित्य हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है।

(8) हिन्दी केन्द्र, हिन्दी से सम्बन्धित जानकारी द्विभाषिक रूप में विभिन्न विभागों को "विवरणिका" के रूप में समय-समय पर भेजता है।

18. "राजभाषाओं का वर्ष" के दौरान आयोजित अन्य कार्यक्रम :

(1) हिंदी दिवस का आयोजन :

कर्मचारियों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने और उसके प्रचार करने की दृष्टि से हमारी यूनिट की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों के आधार पर हर वर्ष हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष "राजभाषा का वर्ष" होने के कारण हिन्दी दिवस का आयोजन "राजभाषा सप्ताह" के रूप में विशाल पैमाने पर किया गया जिसके अन्तर्गत हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी वादविवाद, हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग, हिन्दी टाइपिंग एवं हिन्दी स्टेनोग्राफी, उत्पादकता से सम्बन्धित हिन्दी स्लोगन्स तथा महिला तात्कालिक हिन्दी भाषण प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इसके साथ ही कर्मचारियों से हिन्दी के कार्यान्वयन पर सुझाव आमंत्रित किए गए। इसके अलावा राजभाषा सप्ताह की ओर आकृष्ट करने के लिए कवि कर्मचारियों की एक सरस कवि गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों को हिन्दी का अधिक से अधिक

प्रयोग करने के लिए समुचित रूप से प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया गया। इस आयोजन में उन विभागों को भी सम्मानित किया गया जिनमें वर्ष के दौरान अधिक से अधिक हिन्दी का कार्य किया गया था। कारखाने के सभी विभागों में कार्यरत हिन्दी समितियों के सचिवों का सम्मेलन भी इस अवसर पर आयोजित किया गया।

(5) पुरस्कार वितरण समारोह :

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ परीक्षाओं में भारत सरकार के निर्धारित मानक के अनुसार अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को नकद पुरस्कार वितरित कर प्रोत्साहित किया गया।

(6) हिंदी प्रदर्शनी :

बाल वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित बाल मेला में एक हिन्दी प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें हमारे संस्थान में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के सम्बन्ध में किए गए उपायों, हासिल की गई उपलब्धियों और विभिन्न कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी से हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार करने के प्रयत्नों को बढ़ावा मिला।

(7) अहिंदी भाषी प्रशिक्षणार्थियों का कारखाने में अध्ययन-दौरा :

अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के एक दल को कारखाने के तकनीकी एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में कैसे हिन्दी लागू की गई उन बातों से अवगत कराया गया और उन्हें दैनिक जीवन में राष्ट्रभाषा प्रयोग के महत्व को बताया गया। साथ ही कारखाने के प्रशिक्षण विभाग में अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए चलाई जाने वाली कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम, पुस्तकों, श्रव्य-दृश्य सामग्रियों, सहायक चार्टों आदि को भी उन्हें दिखाया गया।

(9) हिंदी कार्यशालाएँ :

संस्थान के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने की दृष्टि से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से हिंदी में प्रारूपण, टिप्पण, पत्र आदि लिखने का अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही उन्हें हिंदी में प्राप्त पत्रों की प्राप्ति और प्रेषण संबंधी पद्धति से भी अवगत कराया गया।

21. भावी योजनाएँ :

यूनिट की राजभाषा कार्यान्वयन समिति हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में अपनी होने वाली बैठकों में बराबर विचार-विमर्श करती रहती है और इस बात का भी ध्यान रखती है कि कारखाने में बिना किसी अवरोध और अहिंदी भाषी कर्मचारियों को बिना किसी कठिनाई के हिंदी के बारे में भावी योजनाएँ बनाई जाएं इस संबंध में वर्ष 1980-81 के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :—

(1) आम कर्मचारियों और जनता से सीधा संबंध रखने वाले सभी विभागों में हिंदी का पूरा प्रयोग शुरू कर दिया जाए;

(2) तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़नों की आवश्यक शब्दावलियाँ तैयार कर उनमें हिन्दी के और अधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए;

(3) हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक शर्त रखी जाए कि हिंदी परीक्षा पास करने के बाद वे अपने-अपने विभागों में अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करें और उसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट हिंदी केन्द्र को भेजें। इस तरह अभ्यास करते रहने से उनके हिंदी ज्ञान में वृद्धि होगी और वांछित लक्ष्य भी हासिल किया जा सकेगा।

[पृष्ठ 24 का शेष]

श्री विष्णुकांत शास्त्री ने कहा कि समिति के नए सदस्यों को संबंधित मंत्रालय और उसके विभिन्न विभागों के कार्य-कलाप की पूरी जानकारी न होने के कारण वह समिति की बैठकों में पूरा योगदान दे पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस प्रसंग में श्री गंगाशरण सिंह ने सुझाव दिया कि समिति के नए सदस्यों को राजभाषा नियमों और हिंदी के प्रयोग की प्रगति के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम की जानकारी दी जानी चाहिए। संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने आश्वासन दिया कि सदस्यों को राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और वार्षिक कार्यक्रम की एक-एक प्रति भेज दी जाएगी।

□ □ □

कुद्रेमुख में राजभाषा वर्ष : एक विवरण

—डॉ० सुरेंद्र अरोड़ा

कुद्रेमुख आयरन और कंपनी ने अपनी स्थापना के तीन वर्षों में ही जहां देश के खनन उद्योग में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है, वहीं राजभाषा वर्ष के दौरान हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए अनेक कार्यक्रमों को लागू करके और हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में अनुकरणीय प्रभाव भी छोड़ा है।

हिंदी शिक्षण की व्यवस्था :

कंपनी के प्रधान कार्यालय में जनवरी, 1978 से कंपनी के कर्मचारियों को सेवा कालीन हिंदी शिक्षण दिया जा रहा है, किंतु 'राजभाषाओं के वर्ष' के दौरान कंपनी के परियोजना-निर्माण स्थल पर हिंदी शिक्षण योजना लागू करने की योजना बनाई गई और कुद्रेमुख परियोजना स्थल पर हिंदी शिक्षण योजना का कोई कार्यालय न होते हुए भी केन्द्रीय विद्यालय के सहयोग से प्रबोध पाठ्यक्रम की एक कक्षा आरंभ कर दी गई। इनके अतिरिक्त नवंबर, 1979 से कंपनी के मेंगलोर कार्यालय में भी हिंदी प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया गया है। विभिन्न हिंदी परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को भी 25-25 रुपए के विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार देने की योजना लागू की गई। इससे कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन मिला है और हिंदी सीखने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

हिंदी निबंध प्रतियोगिता :

राजभाषाओं के वर्ष के अवसर पर मई, 1979 में कंपनी के अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए एक हिंदी निवंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कंपनी के अहिंदी भाषी कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उनका जाना-पहचाना निबंध का विषय रखा गया—'कुद्रेमुख में बाल विकास कार्यक्रम।' इसके परिणामस्वरूप कंपनी के कर्मचारियों ने इसमें सोत्साह भाग लिया। विजेताओं को क्रमशः 51 रुपए, 21 रुपए और 11 रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए।

'कुद्रेमुख' केन्द्रीय विद्यालय द्वारा बाल वर्ष के अवसर पर बच्चों के लिए आयोजित हिंदी निबंध तथा वाक प्रतियोगिताओं तथा अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कंपनी की ओर से कन्नड़ और संस्कृत के साथ-साथ हिंदी की बालोपयोगी पुस्तकें भेंट की गईं।

कम्पनी की गृह पत्रिका में अहिन्दी भाषी कर्मचारियों की रचनाओं को विशिष्ट स्थान देना :

यह निर्णय किया गया कि कंपनी की गृह पत्रिका के हिंदी खंड में अहिंदी भाषी कर्मचारियों की रचनाओं को विशिष्ट स्थान दिया जाए क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर रचनाकार किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है और उसे जगाने का प्रयास करना तथा उसकी रचना को सुधार-सँवार कर पत्रिका में प्रकाशित करना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है। इससे कर्मचारियों में जहां रचनात्मक भाव बोध की वृद्धि होगी वहीं उनकी हिंदी में अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होगा। इसके अतिरिक्त पत्रिका के हिंदी खण्ड में अनुवाद की अपेक्षा मौलिक सामग्री प्रकाशित करना हिंदी को अधिकाधिक बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस कदम समझा गया। हिंदी खंड में मौलिक सामग्री के प्रकाशन से कंपनी की गृह पत्रिका के हिंदी खंड की अपनी अलग पहचान बन गई है और साथ ही उसके पाठकों की संख्या भी बढ़ी है, जिनमें अहिंदी भाषी कर्मचारी अधिक हैं।

विज्ञापन :

पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कंपनी के विज्ञापन अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी प्रकाशित कराए गए हैं। विज्ञापनों की विषय-वस्तु, परियोजना से संबंधित होने के साथ-साथ सामयिक विषयों तथा प्रचलित और सुप्रसिद्ध आख्यानों को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है। इस तरह के हिंदी विज्ञापनों ने सामान्य पाठकों के अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारियों को भी आकर्षित किया है।

हिंदी वाचनालय की स्थापना :

राजभाषाओं के वर्ष के अवसर का लाभ उठाकर कंपनी के अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए, विशेष रूप से उनके लिए जो हिंदी सीख रहे हैं हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं जैसे, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, सारिका, दिनमान तथा बाल पत्रिकाएं—नंदन, पराग और चंदामामा मँगाई जाने लगी हैं। इसका सुखद परिणाम यह रहा है कि उनमें हिंदी साहित्य, लेख आदि पढ़ने तथा उसे समझने और उसका रसास्वादन करने का धीरे-धीरे अभ्यास हो रहा है और स्वतः हिंदी भाषा के व्यवहार की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है।

सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा हिन्दी प्रदर्शनी का आयोजन :

राजभाषा वर्ष के अवसर पर कंपनी के सचिव प्रभाग द्वारा रोज़मर्रा के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी हिंदी वाक्यांशों और शब्दावली तथा कंपनी के विभागों/प्रभागों एवं पदनामों की अंग्रेजी-हिंदी सूचियों का एक संकलन भी प्रकाशित किया गया।

2. इस अवसर पर कंपनी का सूचना साहित्य भी पुस्ताकार रूप में हिंदी में प्रकाशित किया गया, जिसमें परियोजना संबंधी तकनीकी जानकारी सरल और सुबोध हिंदी में दी गई है।

[शेष पृष्ठ 62 पर]

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ : नियम और योजनाएँ

--जगदीश प्रसाद शर्मा,
कार्यालय सचिव अ० भा० हि० संस्था संघ
75, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली

देश में पिछले 60 वर्षों में राष्ट्रभाषा के नाते हिन्दी का प्रचार करने के लिए हर प्रदेश की आवश्यकता और समय की अनुकूलता के अनुसार अनेक संस्थाएँ स्थापित हुईं और उन्होंने जनता में हिन्दी के प्रति आस्था और अनुकूलता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी प्रशिक्षण, परीक्षाओं के संचालन, पाठ्य सामग्री के प्रकाशन तथा इसी तरह के भिन्न-भिन्न उपयोगी क्रियाकलापों द्वारा इन संस्थाओं ने प्रशंसनीय कार्य किया और आज भी कर रही हैं इनके कार्य और आपसी सम्बन्ध में सहयोग, समानता, समन्वय और एकसूत्रता लाकर देश में हिन्दी प्रचार के लिए राष्ट्रीय मंच स्थापित करना बहुत आवश्यक था। इस दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर प्रयत्न होते रहे। अंततः 4 अगस्त, 1964 को ये प्रयत्न साकार हुए और एक अखिल भारतीय हिन्दी संस्था की स्थापना हुई। संस्था संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है :---

उद्देश्य :

1. संविधान की धारा 351 के अनुसार हिंदी के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय मंच की स्थापना ;

2. हिंदी के प्रचार तथा विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत की विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना ;

3. विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं के स्तर में एकरूपता स्थापित करना ;

4. भारत सरकार तथा राज्य सरकारों अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा संघ को भेजे गए हिन्दी के प्रचार और विकास से सम्बन्धित किसी भी मामले पर सलाह और सहायता देना ; और

5. ऐसे किसी भी अन्य कार्य-कलाप को हाथ में लेना, जो संघ की राय में हिन्दी के प्रचार और कार्य में सहायक हो।

संघ के सदस्य :

1. उन स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के दो-दो प्रतिनिधि, जिनकी परीक्षाओं को एस० एल० सी० या उसके समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा के स्तर पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा भारत सरकार संघ के परामर्श से भविष्य में जिनकी परीक्षाओं को मान्यता दे ;

2. प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र का एक-एक प्रतिनिधि ;

3. भारत सरकार के दो प्रतिनिधि (एक शिक्षा मंत्रालय का तथा दूसरा गृह-मंत्रालय का) ; और

4. सहयोजित सदस्य।

कार्य समिति को अधिकार होगा कि हिन्दी के कार्य से सम्बद्ध किसी संस्था या संस्थाओं को एक-एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदान कर दे अथवा उक्त कार्य से सम्बद्ध किसी प्रमुख व्यक्ति को संस्था के सदस्य के रूप में सहयोजित कर ले, किन्तु ऐसे प्रतिनिधि और सहयोजित व्यक्ति संघ के सहयोजित सदस्य समझे जाएंगे, जिनकी संख्या कुल मिलाकर चार से अधिक नहीं होगी और उनका कार्यकाल एक साथ तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा। जिन संस्थाओं को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाएगा उनसे भी संस्थाओं की तरह सदस्यता शुल्क लिया जाएगा, किन्तु सहयोजित व्यक्तियों द्वारा शुल्क देय न होगा।

संघ का प्रत्येक सदस्य, उसे नामजद करने वाली संस्था जब तक चाहेगी तब तक, सदस्य बना रहेगा। किन्तु यदि भारत सरकार सम्बन्धित संस्था की परीक्षा की मान्यता को रद्द करदे तो वह सदस्य संघ का सदस्य नहीं रहेगा।

कार्यकारिणी समिति :

संघ के कार्य संचालन के लिए संघ द्वारा गठित एक कार्यकारिणी समिति होगी। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। अगली समिति के गठित न होने पर समिति अगली समिति के गठित होने तक कार्य करेगी। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

1. सभापति--संघ का अध्यक्ष समिति का सभापति होगा।

2. सचिव--संघ का सचिव समिति का सचिव होगा।

3. कोषाध्यक्ष।

4. सदस्य :---

(1) संघ से सम्बन्धित प्रत्येक स्वैच्छिक हिंदी संस्था का एक-एक प्रतिनिधि, किन्तु उन स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा जिनके प्रतिनिधि अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर होंगे।

(2) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारी-बारी से एक वर्ष की अवधि के लिए तीन प्रतिनिधि। बारी का निर्णय केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा।

(3) भारत सरकार के गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि।

1. प्रचारात्मक कार्य :—

अ—संघ की ओर से पूर्व, पश्चिम, और दक्षिण भारत की स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के कार्य-कलाप का अध्ययन करने, उनकी समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान करने, हिन्दी के प्रचार और प्रसार की दृष्टि से आवश्यक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय प्रचारकों, कार्यकर्ताओं के शिविरों का आयोजन।

आ—अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी कार्यकताओं के सम्मेलन तथा शिविरों का आयोजन।

इ—हिन्दी तथा हिंदीतर प्रदेशों के विद्वानों के भाषणों की व्यवस्था।

ई—हिंदीतर भाषी वरिष्ठ साहित्यकारों की हिंदी प्रदेशों में सद्भावना यात्राएं।

उ—स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

ऊ—हिंदी भाषी हिंदी लेखकों की पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन।

शिक्षण कार्य :

अ—हिंदी परीक्षा के माध्यम द्वारा होने वाले प्रचार कार्य का मूल्यांकन।

आ—हिंदीतर प्रदेशों में शिक्षण और शिक्षकों की कठिनाइयों के बारे में विचार-विनिमय।

इ—संस्थाओं द्वारा होने वाले हिंदी प्रचार और शिक्षणात्मक कार्य-नीति के सम्बन्ध में विचार-विनिमय।

साहित्यिक कार्य :

अ—हिंदीतर भाषी हिंदी लेखकों की संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन।

आ—हिंदी भाषी हिंदी लेखकों तथा छात्रों का अभिनन्दन।

इ—हिंदी भाषी हिंदी लेखकों की रचनाओं का संस्थाओं के सहयोग से प्रकाशन।

आदर्श पाठ्यक्रम :

संघ ने स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं के स्तर को दृष्टि में रखते हुए एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। संस्थाएं इस पाठ्यक्रम से उच्च पाठ्यक्रम रखना चाहें तो रख सकती हैं परन्तु आदर्श पाठ्यक्रम के स्तर से नीचे नहीं रख सकती। इन पाठ्यक्रमों को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। संस्थाएं इसका कार्यान्वियन कर रही हैं।

परीक्षा नियमावली :

संघ ने स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की परीक्षाओं का स्तर ऊँचा करने, उनमें अधिक व्यवस्था लाने, आवश्यक नियम बनाने तथा कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक परीक्षा नियमावली तैयार की, उसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। संघ से सम्बन्धित संस्थाएं इस परीक्षा नियमावली के अनुसार अपनी परीक्षाओं का संचालन कर रही हैं।

संस्थाओं की परीक्षाओं को मान्यता :

संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को मान्यता देने के लिए प्रारम्भिक विचार और सलाह संघ द्वारा दी जाती है। संघ सम्बन्धित संस्था से मान्यता सम्बन्धी प्रोफार्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। आवश्यक होने पर संस्था का निरीक्षण भी किया जाता है। संस्था की जानकारी संतोषजनक पाई जाती है तो संघ भारत सरकार को अपनी सिफारिश भेजता है। संघ की सिफारिश के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, प्रादेशिक सरकार के प्रतिनिधि, संघ के प्रतिनिधि और एक विशेषज्ञ की समिति संस्था का निरीक्षण करती है और मान्यता के सम्बन्ध में सिफारिश करती है। संघ ने परीक्षाओं की मान्यता के सम्बन्ध में संस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोफार्मा तथा मार्गदर्शनात्मक नीति निर्धारित की है।

संघ अपनी ओर से किसी परीक्षा का संचालन नहीं करता। लेकिन सदस्य संस्थाओं की भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में अधिकाधिक समानता और एकरूपता लाने की दिशा में संघ प्रयत्नशील है। इसके लिए संघ ने एक परीक्षा उप-समिति के माध्यम से पाठ्यक्रम, परीक्षाओं का ढांचा, परीक्षाओं का स्तर और समकक्षता, प्रवेश तथा संचालन सम्बन्धी नियम पद्धति आदि के बारे में विचार-विमर्श किया है।

भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समितियों में संघ के प्रतिनिधि :—

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों तथा केन्द्रीय समिति में संघ के प्रतिनिधि नामित हैं।

संघ भारत सरकार, राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्र, सदस्य संस्थाओं, शिक्षा मंत्रालय आदि के साथ सहयोगी सम्पर्क रखकर कार्य करता है।

राष्ट्रीय मंच की स्थापना :

संघ के उद्देश्यों में राष्ट्रीय मंच स्थापित करना एक है। मंच की स्थापना के लिए संघ की ओर से 1972 में प्रथम राजभाषा सम्मेलन तथा 1976 में द्वितीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। केन्द्र में हिन्दी को तथा प्रदेशों में वहां की प्रादेशिक भाषाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए मंच की स्थापना की गई। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस मंच पर सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक क्षेत्र के जाने माने कार्यकर्ता और नेतागण आएँ तथा देश में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सहयोग दें। राष्ट्रीय मंच की आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात में "राज्य भाषा प्रचार समिति" नाम से शाखाएं स्थापित की गई हैं

अन्य प्रदेशों में राष्ट्रीय मच की शाखाएँ स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

हिंदीतर भाषी वरिष्ठ साहित्यकारों की हिंदी प्रदेशों में सदभावना यात्राएँ :

हिंदीतर भाषी मूर्धन्य विद्वानों के हिंदी प्रदेशों में भ्रमण का कार्यक्रम बनाया गया है। जिससे भारतीय भाषाओं के वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों, कलाकारों तथा विद्वानों से मिलकर-विचार विनिमय कर भारत की सांस्कृतिक एकता की दिशा में दिशा-दर्शन करा सकें। इस प्रकार की यात्राएं अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा विहार में आयोजित की जा चुकी हैं। इन यात्राओं में भारतीय भाषाओं के वरिष्ठ साहित्यकार मराठी के प्रसिद्ध कवि, कथाकार तथा नाटककार श्री पुरुषात्तम शिवराम रैगे, तमिल के प्रसिद्ध उपन्यासकार आलोचक श्री का०ना० सुब्रह्माण्यम, गुजराती के कथाकार तथा नाटककार स्व० चुन्नीलाल मड़िया तथा हिंदी के प्रसिद्ध कवि स्व० रामधारी सिंह दिनकर, तेलुगु के कवि सम्राट स्व० विश्वनाथ सत्यनारायण, उड़िया के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि श्री कालिंदीचरण पाणिग्रही, कन्नड़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री आर० एस० मुगली, सिन्धी के प्रसिद्ध कवि एवं समालोचक श्री एच० आई० सदारंगाणी, कश्मीरी भाषा के विद्वान श्री जयालाल कौल, तमिल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री अखिलन, मलयालम के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री एन० वी० कृष्णावारियर तथा बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री विमल मित्र आदि विद्वान भाग ले चुके हैं। उक्त चारों राज्यों में सद्भावना मण्डल के सदस्यों को सरकारी अतिथि बनाया गया।

संघ की सदस्य संस्थाएँ :

1. असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी
2. उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, पुरी।
3. कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बेंगलूर
4. केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम।
5. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
6. बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई।
7. मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल
8. महाराष्ट्र राष्ट्राभाषा सभा, पूना।
9. मैसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति, वेंगलूर
10. मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बेंगलूर।
11. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास
12. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा।
13. सौराष्ट्र हिन्दी प्रचार समिति, राजकोट
14. हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वम्बई।
15. हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद
16. हिन्दी विद्यापीठ, देवघर।.
17. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद।

संघ के पदाधिकारी तथा कार्यसमिति के सदस्य :

1. श्री गंगाशरण सिंह, अध्यक्ष, हिन्दी विद्यापीठ, देवधर।
2. श्री रामलाल परीख, संसद सदस्य, सचिव, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।
3. श्री गो० प० नेने, कोषाध्यक्ष, महाराष्ट्र भाषा सभा, पूना
4. श्री शंकरराव लोंढे, सदस्य, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा।
5. श्री वे० आंजनेय शर्मा, सदस्य, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास।
6. श्री मो० दि० पराड़कर, सदस्य, वम्वई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई।
7. श्री ए० वि० श्रीनिवासमूर्ति, सदस्य, मैसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति, बेंगलूर।
8. श्री पी० रामब्रह्म, सदस्य, हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद।
9. श्री एस० आर० शर्मा, सदस्य, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई।
10. श्री एम० के० वेलायुधन नायर सदस्य, केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम।
11. श्री श्यामकृष्ण पाण्डेय, सदस्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद।
12. श्री बी० राम संजीवय्या, सदस्य, मैसूर, हिन्दी प्रचार परिषद, बेंगलूर।
13. श्री नरेन्द्र अंजारिया, सदस्य, सौराष्ट्र हिन्दी प्रचार समिति, राजकोट।
14. श्री भागवत देव शर्मा, सदस्य, मणिपुर हिंदी परिषद, इम्फाल।
15. श्री नरसिंह नन्द शर्मा, सदस्य, उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, जगन्नाथ धाम, पुरी।
16. श्री महेश्वर महन्त, सदस्य, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी।
17. श्रीमती बी० एस० शांताबाई, सदस्य, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बेंगलूर।

संघ द्वारा जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए उनमें विभिन्न संस्थाओं तथा उनके कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग रहा है। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय और अखिल भारतीय दोनों स्तर पर आयोजित किए गए। इससे अन्तर प्रादेशिक और अन्तर, संस्थागत स्नेह और सहयोग बढ़ा। इस प्रकार के अयोजनों से अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाएँ एक दूसरे के अधिक निकट आई हैं और कार्यकर्ताओं में हिन्दी के प्रति सद्भावना, रुचि तथा प्रोत्साहन पैदा करने में काफी सफलता मिली है। इस प्रकार हिन्दी के प्रचार, सद्भावना वृद्धि और हिन्दी के लिए मंच तैयार करने में संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केंद्रीय सरकार के अधिसूचित कार्यालय

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) की व्यवस्था के अनुसार उन कार्यालयों के नाम जिनके 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भारत सरकार के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाना है। अब तक इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के 47 मंत्रालय/विभाग अधिसूचित किए जा चुके हैं।

इसी तरह विभिन्न मंत्रालयों विभागों ने 31-3-80 तक, नीचे लिखे अनुसार, अपने-अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में से 1008 कार्यालयों को अधिसूचित कर दिया है :–

1	राजस्व विभाग	13
2	श्रम मंत्रालय	37
3	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	170
4	नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग	7
5	पूर्ति और पुनर्वास विभाग	7
6	रेल मंत्रालय	85
7	वाणिज्य मंत्रालय	12
8	उद्योग मंत्रालय	8
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	40
10	डाकतार महानिदेशालय	271
11	पर्यटन और नागर विमानन विभाग	11
12	निर्माण और आवास मंत्रालय	92
13	इस्पात विभाग	8
14	भारी उद्योग विभाग	6
15	संचार मंत्रालय	11
16	व्यय विभाग	37
17	आर्थिक कार्य विभाग	18
18	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	4
19	ग्राम विकास विभाग	2
20	पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक विभाग	5
21	रक्षा मंत्रालय	24
22	कृषि विभाग	5
23	शिक्षा विभाग	4
24	संस्कृति विभाग	15
25	खान विभाग	1
26	योजना मंत्रालय	6
27	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1
28	गृह मंत्रालय	84
29	राजभाषा विभाग	1
30	विधि कार्य विभाग	10
31	खाद्य विभाग	13
		1008

(पृष्ठ 22 का शेष)

सर्वेक्षण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, ज्योलाजिकल सर्वे आदि। इनके अलावा आन्ध्र, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा सिक्किम आदि प्रदेशों के अपने अपने संस्थान हैं।

प्रत्येक विभाग की अलग-अलग समस्याएँ हैं, किन्तु प्रकाशन विभाग की वितरण प्रणाली ने एकाधिकार प्रवृत्ति को तोड़ा है। आज राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकें सभी पुस्तक विक्रेताओं को मिलती हैं। सुनने में आता है कि कुछ पुस्तक विक्रेता अपने यहां स्टाक जमा कर लेते हैं और फिर मनमाने दामों पर पाठ्य पुस्तकें बेचते हैं। यहां किसी भी पक्ष पर अथवा पक्ष की ओर से दोषारोपण करना हमारा मंतव्य नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि इन समस्याओं का सही समाधान निकल सके। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि सरकार निजी प्रकाशनों को कई प्रकार से सहायता देकर प्रोत्साहित करती है। शिक्षा मंत्रालय इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सरकारी वितरण मशीनरी में विभिन्न खामियाँ होने के बावजूद वितरण कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। प्रकाशन विभाग की तरह राज्य सरकारों ने भी अपनी वितरण प्रणाली में सुधार किए हैं और उनके भंडार भी अब जन-जन तक पहुँच रहे हैं। आम आदमी तक साहित्य पहुंचाने के लिए ये संस्थाएँ कृतसंकल्प हैं।

और एक अंतिम प्रश्न। युनेस्को के अनुसार संसार के 8 देश पुस्तक प्रकाशन में सबसे आगे हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। अमरीका, रूस, जर्मन गणराज्य, जापान, इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, युगोस्लाविया और इस श्रृंखला में नौवाँ देश है भारत जिसकी एक और भी विशेषता है कि अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में वह संसार में तीसरे नम्बर पर आता है। पहले दो राष्ट्र हैं अमरीका और इंग्लैण्ड और तीसरा अंग्रेजी में सबसे बड़ा प्रकाशन देश भारत। काश! हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ भी इस श्रेणी में आ पातीं।

□□□

आदेश-अनुदेश :

भारतीय भाषाओं का देवनागरी लिप्यंतरण तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण :

भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण तथा हिन्दी भाषा के मानकीकरण की समस्याओं पर विचार कर ने के लिए भाषा विशेषज्ञों की एक बैठक 5 और 6 फरवरी 1980 को केन्द्रीय निदेशालय में प्रोफेसर हरवंश लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई । बैठक में निम्नलिखित विद्वान, भाषाविद् और अधिकारी उपस्थित थे:—

1. प्रोफेसर देवेन्द्रनाथ शर्मा, अध्यक्ष, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना ।
2. डॉ० विद्यानिवास मिश्र, निदेशक, क० मुं०, हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा ।
3. डॉ० बालगोविंद मिश्र, निदेशक, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ।
4. डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, भाषा विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
5. डॉ० हरदेव बाहरी, इलाहाबाद ।
6. डॉ० भोलानाथ तिवारी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
7. डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया, अध्यक्ष, भारतीय भाषा विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ।
8. डॉ० इंद्रनाथ चौधरी (बंगला विशेषज्ञ), हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
9. डॉ० एम० के० जेतली, सिंधी विभाग, दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली ।
10. श्री अशोक कालरा, केन्द्र प्रभारी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली ।
11. प्रो० कृष्णगोपाल रस्तोगी, रष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ।
12. श्री मोहन लाल सर (कश्मीरी विशेषज्ञ), केन्द्रीय संस्थान, नई दिल्ली ।
13. डॉ० ई० पांडुरंगराव (तेलुगु विशेषज्ञ, विशेषधिकारी) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
14. डॉ० जे०एल० रेड्डी, (तेलुगु विशेषज्ञ), दयाल सिंह कालेज, नई दिल्ली ।
15. श्री अबुल फजल (उर्दू विभाग), सहायक निदेशक, तरक्की-ए-उर्दू ब्यूरो, नई दिल्ली ।
16. श्री नंदकुमार अवस्थी, संचालक, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ ।
17. श्री हरिबाबू कंसल, भूतपूर्व उप सचिव, राजभाषा विभाग ।

मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी :

राजभाषा विभाग

1. श्री मुनीश गुप्त, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।
2. श्री राजकृष्ण बंसल, उप सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
4. श्री काशीराम शर्मा, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
5. श्री राजमणि तिवारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।

विधायी विभाग :

6. श्री व्रज किशोर शर्मा, संयुक्त सचिव, विधायी विभाग (राजभाषा खंड), नई दिल्ली ।

शिक्षा मंत्रालय :

7. श्री केवलकृष्ण सेठी, निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
8. श्री विजय वैद, डेस्क अधिकारी (भाषा), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

इनके अतिरिक्त केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे :—

1. डॉ० रणवीर रांगा, प्रधान संपादक
2. श्री देवेन्द्रदत्त नौटियाल, सहायक निदेशक
3. डॉ० नरेन्द्र व्यास, सहायक निदेशक .
4. श्री नीलकंठन नम्पूतिरि, सहायक निदेशक
5. श्री अजीत लाल गुलाटी, अनुसंधान सहायक
6. श्री भगवती प्रसाद निदारिया, अनुसंधान सहायक ।

बैठक में उपस्थित विद्वानों का स्वागत करते हुए प्रो० हरवंश लाल शर्मा ने भारतीय भाषाओं में लिप्यंतरण और हिंदी के मानकीकरण की समस्याओं के विविध आयामों पर प्रकाश डाला । तत्पश्चात गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मुनीश गुप्त ने भाषाविदों के इस समागम पर हर्ष प्रकट करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके मार्गदर्शन में लिप्यंतरण और मानकीकरण की बहुत सी गुत्थियां सुलझ सकेंगी । इसके बाद प्रधान संपादक डॉ० रणवीर रांगा ने देवनागरी को भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण के लिए सक्षम बनाने की दिशा में हुए प्रयासों का विवरण दिया और कहा कि विशेषज्ञों के विचार्थ प्रस्तुत देवनागरी वर्णमाला और भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक लिप्यंतरण चार्ट उन प्रयासों का एक प्रकार संमेकित रूप ही है।

लिप्यंतरण की समस्या का गहराई से विश्लेषण-विवेचन करते हुए प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, डॉ० रवीन्द्र श्रीवास्तव, डॉ० बालगोविंद मिश्र तथा डॉ० विद्या निवास मिश्र ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि लिप्यंतरण की समस्या पर लिप्यंकन के परिप्रेक्ष्य में भी विचार करना समीचीन होगा और इसके लिए देवनागरी के प्रत्येक लिपि चिन्ह का स्वनिक मूल्य स्थिर करना होगा। इस पर प्रो० हरवंश लाल शर्मा ने कहा कि यह बैठक निदेशालय की कोश-योजनाओं को ध्यान में रखकर मुख्यतः लिप्यांतरण की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित. की गई है और चर्चा को अभी वहीं तक सीमित रखना उचित होगा, पर भारतीय भाषाओं के लिप्यंकन के लिए उनके ध्वनि-चिन्हों के स्वन-मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्वन वर्णमाला (आर०पी० ए०) के समक्ष देवनागरी में स्वन वर्णमाला के निर्माण के लिए अलग से एक समिति का गठन किया जाएगा ।

तत्पश्चात् बैठक की कार्यसूची पर मदवार विचार हुआ और निम्नलिखित निर्णय किए गए :

1. भारतीय भाषाओं के लिए परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला :

संयुक्त व्यंजन 'क्ष', 'त्र', 'ज्ञ', 'श्र' के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई । कुछ विद्वानों का विचार था कि 'त्र' 'त्' और 'र' का ही संयुक्त रूप है, अतः इसे अलग से वर्ण-माला में रखना आवश्यक नहीं है। अन्य विद्वानों ने कहा कि यही बात 'क्ष', 'ज्ञ' और 'श्र' पर भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटर कुंजी पटल में 'त्र' स्वीकृत होने के कारण भी इसे संयुक्त व्यंजनों में रहने देना ही ठीक होगा ;। यह भी निर्णय हुआ कि अलग से शीर्षक देकर इन संयुक्त व्यंजनों को इसके अंतर्गत रखा जाए।

विशेषज्ञ चिन्हों के अंतर्गत स्वरों में 'ए' के ह्रस्व रूप को 'ऍ' के बजाय 'ए़' रूप में लिखा जाए। कश्मीरी के अत्यल्प 'इ' और 'उ' को हटा दिया जाए, क्योंकि कश्मीरी में भी इसके लिए कोई चिह्न नहीं है। व्यंजनों के अधीन

तमिल और **मलयालम**

दोनों के लिए

रखने का प्रस्ताव मान लिया गया। उर्दू ऐन को व्यंजन मानते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसी के साथ मात्रा चिह्न लगाए जाएँ। जैसे—अ़िबारत, अ़ीद, अ़ैब आदि।

इस प्रकार परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला चार्ट का जो रूप स्वीकृत हुआ वह परिशिष्ट 1 में देखा जा सकता है।

2. हिंदी के संख्यावाचक युग्मों की एकरूपता :

उन्तीस-उनतीस, तिरपन-त्रेपन आदि द्विरूपी संख्यावाचक युग्मों की एकरूपता पर विचार करने के बाद एक से सौ तक, दस-दस की प्रत्येक श्रेणी पर विचार किया गया संख्या वाचक शब्दों में एकरूपता निर्धारित करते समय वैज्ञानिकता के साथ-साथ प्रयोग-बाहुल्य का भी ध्यान रखा गया । विचार-विमर्श के बाद इन संख्यावाचक शब्दों का जो रूप स्वीकार किया गया वह परिशिष्ट-2 में देखा जा सकता हैं ।

3. शब्दकोशों आदि की प्रविष्टियों में अनुस्वारयुक्त वर्णों का क्रम निर्धारण :

हिंदी के कोशों मे प्रचलित वर्णक्रम को स्वीकार करते हुए अनुस्वारयुक्त प्रविष्टियों का स्थान वर्णक्रम में सबसे पहले रखने का निर्णय किया गया ।

4. पुस्तकों आदि में अंग्रेजी के A B C, a b c आदि के लिए क, ख, ग आदि का प्रयोग :

अंग्रेजी की पुस्तकों में A B C शीर्षकों में प्रयुक्त होते हैं और पाठ में अन्यत्र बिना कोष्ठकों के इनका प्रयोग होता है । a b c का प्रयोग प्रायः कोष्ठकों में होता है । अतः इनके लिए हिन्दी में क, ख, ग आदि का प्रयोग किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त क, ख, ग आदि को आवश्यकता के अनुसार कोष्ठक में भी रखा जा सकता है । अंतर्राष्ट्रीय अंकों अर्थात् 1, 2, 3 आदि का प्रयोग तो हिन्दी में हो ही रहा है । इनके अलावा रोमन के i, ii, iii, iv, आदि का प्रयोग भी हिंदी में किया जा सकता है ।

प्रो० हरवंश लाल शर्मा ने बैठक का समाहार करते हुए इस गंभीर और उपयोगी विचार-विनिमय के लिए उपस्थित विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कि अब 'परिवर्तित देवनागरी' पुस्तिका का नए सिरे से प्रकाशन हो सकेगा ।

परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला

देवनागरी वर्णमाला

स्वर	:	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ए	ऐ
मात्राएँ	:		ा	ि	ी	ु	ू	ृ	ॄ	े	ै
स्वर	:	ओ	औ	अं	अः						
मात्राएँ	:	ो	ौ	ं	ः						

व्यंजन :

क	ख	ग	घ	ङ		
च	छ	ज	झ	ञ		
ट	ठ	ड	ढ	ण	ड़	ढ़
त	थ	द	ध	न		
प	फ	ब	भ	म		
य	र	ल	व			
श	ष	स	ह			

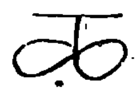

संयुक्त व्यंजन: क्ष त्र ज्ञ श्र

हल् चिह्न : ्

विशेषक चिह्न

स्वर :
(i) ह्रस्व ए और ओ .... ऍ ऑ
मात्राएँ .... ॅ ॉ
(ii) कश्मीरी के विशिष्ट स्वर .... उं ऊं अं आं अँ आँ
मात्राएँ ....

व्यंजन :
(i) कश्मीरी चवर्ग .... च़ छ़
(ii) सिंधी अंतःस्फुट व्यंजन .... ग॒ ज॒ ड॒ ब॒
(iii) तमिल और मलयालम 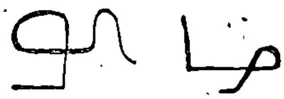 .... ऴ
(iv) बंगला असमिया .... य़
(v) दक्षिण भारतीय भाषाओं के 'र' का कठोर उच्चारण ऱ
(vi) तमिल, मलयालम 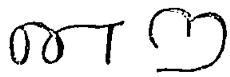 ऩ
(vii) फारसी-अरबी अंग्रेजी से
गृहीत स्वन .... क़ ख़ ग़ ज़ झ़ फ़
(viii) उर्दू ग़ैन .... अ़
स्थिति के अनुसार .... आ़ (आ़दत), अि़ (अि़बादत), अ़ी (अ़ीद),
अ़ु (अ़ुमर), अ़ै (अ़ब), अ़ौ (अ़ौरत) आदि

एक से सौ तक संख्यावाचक शब्द

एक	दो	तीन	चार	पाँच	छह	सात	आठ	नौ	दस
ग्यारह	बारह	तेरह	चौदह	पंद्रह	सोलह	सत्रह	अठारह	उन्नीस	बीस
इक्कीस	बाईस	तेईस	चौबीस	पच्चीस	छब्बीस	सत्ताईस	अठाईस	उनतीस	तीस
इकतीस	बत्तीस	तैंतीस	चौंतीस	पैंतीस	छत्तीस	सैंतीस	अड़तीस	उनतालीस	चालीस
इकतालीस	बयालीस	तैंतालीस	चवालीस	पैंतालीस	छियालीस	सैंतालीस	अड़तालीस	उनचास	पचास
इक्यावन	बावन	तिरपन	चौवन	पचपन	छप्पन	सतावन	अठावन	उनसठ	साठ
इकसठ	बासठ	तिरसठ	चौंसठ	पैंसठ	छियासठ	सड़सठ	अड़सठ	उनहत्तर	सत्तर
इकहत्तर	बहत्तर	तिहत्तर	चौहत्तर	पचहत्तर	छिहत्तर	सतहत्तर	अठहत्तर	उनासी	अस्सी
इक्यासी	बयासी	तिरासी	चौरासी	पचासी	छियासी	सत्तासी	अठासी	नवासी	नब्बे
इक्यानवे	बानवे	तिरानवे	चौरानवे	पंचानवे	छियानवे	सतानवे	अठानवे	निन्यानवे	सौ

संख्या 1/13011/1/80-रा०भा० (क-1)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली 110001, दिनांक 26 मार्च, 1980
कार्यालय ज्ञापन

विषय—संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में वर्ष 1980-81 (31 मार्च, 1980 तक) के कार्यक्रम

गृह मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी, 1968 को जारी किए गए संकल्प (संख्या 5/8/65-रा० भा०) में की गई व्यवस्था के अनुसार संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग हर साल एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है। इस सिलसिले में, "क" क्षेत्र (अर्थात्, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान (हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्य और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र) में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए वर्ष 1979-80 का वार्षिक कार्यक्रम इस विभाग के 19 अप्रैल, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/33011/1/79-रा०भा०(क-1) द्वारा जारी किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि "ख" क्षेत्र (अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) और "ग" क्षेत्र (अर्थात् अन्य अहिंदी भाषी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों) में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम 1978-79 के लिए जारी किया गया था वह कार्यक्रम 1979-80 के लिए भी लागू रहेगा।

2. वर्ष 1980-81 के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में इस विभाग के 10 जनवरी, 1980 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया था कि यदि वे कार्यक्रम में कोई नया विषय शामिल करवाना चाहें तो इस विभाग को सूचित कर दें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वर्ष 1979-80 के कार्यक्रम के कार्यान्वियन की प्रगति को देखते हुए यदि किन्हीं मदों के अन्तर्गत तथ्य पूरे न किए जा सके हों तो ऐसी मदों को वर्ष 1980-81 के कार्यक्रम में दोहराए जाने के संबंध में भी वे अपने सुझाव इस विभाग को भेज दें। कई मंत्रालयों/विभागों ने यह सुझाव दिया है कि क्योंकि वर्ष 1979-80 के कार्यक्रम में शामिल विभिन्न मदों में निर्धारित लक्ष्य अभी पूरे नहीं किए जा सके हैं, इसलिए यह उपयुक्त होगा कि पिछले वर्ष का कार्यक्रम ही वर्ष 1980-81 में भी लागू रखा जाए। इस विभाग के विचार में भी अभी तक पिछले वर्ष के कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं और सरकारी कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम के अनुरूप उपलब्धि नहीं हो पाई है। अतः यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 1979-80 के लिए जो कार्यक्रम जारी किया गया था वही कार्यक्रम वर्ष 1980-81 के लिए भी लागू रहेगा। संदर्भ की सुविधा के लिए "क", "ख", तथा "ग", तीनों क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए अद्यतन कार्यक्रम की एक-एक प्रति संलग्न है;

3. वित्त मंत्रालय, आदि से अनुरोध है कि वे अपने सभी संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों, उपक्रमों, आदि को आवश्यक अनुदेश जारी कर दें और संगत कार्यक्रम की प्रति भेजते हुए उनसे कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को वर्ष 1980-81 में पूरा किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध करें।

4. जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति सूचना के लिए राजभाषा विभाग को भी भेज दें।

ह०/- राजकृष्ण बंसल,
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग।
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक।
4. निर्वाचन आयोग।
5. सतर्कता आयोग।
6. राजभाषा विभाग और गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।

संख्या 1/13011/1/80-रा भा (क-1), दिनांक 26 मार्च, 1980

प्रतिलिपि सूचना के लिए प्रेषित:—

1. सरकारी उद्यम कार्यालय, वित्त मंत्रालय;
   अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को भारत सरकार के सभी उपक्रमों में अग्रिम जानकारी के लिए प्रचालित किया जाए।
2. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली (5 प्रतियां)।
3. केन्द्रीय सचि० हिन्दी परिषद्, एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
4. संपादक "भाषा" केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वेस्ट ब्लाक, नं० 7, आर० के० पुरम, नई दिल्ली।
5. अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 75 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, , नई दिल्ली-2
6. राजभाषा विभाग और गृह मंत्रालय के सभी डेस्क/अनुभाग।
7. अनुसंधान और विश्लेषण एकक, राजभाषा विभाग (5 प्रतियां)।
8. पत्रिका एकक, राजभाषा विभाग।

ह/- राजकृष्ण बंसल,
उप सचिव, भारत सरकार

"क" क्षेत्र अर्थात हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए वर्ष 80-81 का कार्यक्रम :

1. निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाना :

"क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय यह सुनिश्चित करने का यत्न करें कि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाए :

(क) "क" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य, संघ शासित क्षत्र या कार्यालय (केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अलावा) या व्यक्ति से पत्र व्यवहार के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाए। यदि अपवाद स्वरूप कोई पत्र अंग्रेजी में जारी किया जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद साथ भेजा जाए।

संदर्भ:—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का नियम 3(1)।

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच भेजे जाने वाले पत्रों में से दो तिहाई हिंदी में हों। [नियम 4(ख)]

(ग) "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच (मंत्रालय तथा विभागों को छोड़ कर) पत्र व्यवहार हिंदी में किया जाए। [नियम 4(ग)]

(घ) "ख" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य, संघ शासित क्षेत्र या कार्यालय (केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को छोड़कर) से सामान्यतः हिंदी में पत्र व्यवहार किया जाए। यदि कोई पत्र उन्हें अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ हिन्दी में अनुवाद भेजा जाए। [नियम 3(2)]

(ङ) हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएँ। [नियम-5]

(च) हिंदी में दिए गए या हस्ताक्षर किए हुए, आवेदन अपील या अभिवेदन के उत्तर हिंदी में दिए जाए। [नियम 7(2)]

(छ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। [नियम 10(4)]

(ज) जिन अधिसूचित कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी काफी संख्या में हैं उन्हें नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए। [नियम 8(4)]

(झ) "ज" में उल्लिखित कार्यालयों के अतिरिक्त, अन्य कार्यालयों में भी, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

2. निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना :

(क) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए :

संदर्भ:—राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)

(1) संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्तियां ;

(2) संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, सूचनाएँ और निविदा प्रारूप ;

(3) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र।

(ख) निम्नलिखित प्रक्रिया साहित्य तथा स्टेशनरी आदि के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही द्विभाषिक रूप में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए (नियम-11)

1. मैनुअल, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक रूप में, यथास्थिति, मुद्रित किया जाए साइक्लोस्टाइल किया जाए और प्रकाशित किया जाए।
2. फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष हिंदी और अंग्रेजी में हों।
3. नाम-पट्ट, सूचना-पट्ट, पत्र-शीर्ष और लिफाफों पर छपे या उत्कीर्ण लेख तथा स्टेशनरी की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में हों।

(ग) अखिल भारतीय स्तर के या "क" क्षेत्र में जारी किए जाने वाले विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी में समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए एक साथ जारी किए जाएं। इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित है :—

(1) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय "क" क्षेत्र के कार्यालयों के विज्ञापन तभी स्वीकार करें

जब विज्ञापन की सामग्री उसे हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए ।

(2) अन्य क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से यदि अपवाद के रूप में सामग्री केवल अंग्रेजी में स्वीकार की जाती है, तो उसका हिंदी रूपान्तर निदेशालय स्वयं तैयार करें ताकि विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी हो सकें ।

3. **"क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच तार देवनागरी नागरी में भेजना :**

कार्यालयों से भेजे जाने वाले तार भी पत्र व्यवहार के अंतर्गत आते हैं इसलिए पत्र व्यवहार के समान ही "क" क्षेत्र में उनका केवल हिंदी में भेजा जाना अपेक्षित है । लेकिन, इस बारे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक दम से सभी तार हिंदी में भेजना कठिन होगा । इसलिए, प्रस्ताव है कि वर्ष 1980-81 में "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच भेजे जाने वाले तार कम से कम 25 प्रतिशत देवनागरी में हों ।

4. **हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों की व्यवस्था :**

वर्ष 1980-81 के लिए "क" क्षेत्र के कार्यालयों के लिए निश्चय किया गया है कि :—

(क) जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक भी टाइप-राइटर नहीं हैं उन सभी कार्यालयों में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर खरीद लिया जाए । इसके लिए 1 जुलाई, 1980 तक खरीद का आर्डर दे दिया जाए ।

(ख) जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक या अधिक टाइपराइटर पहले से हैं, वे कार्यालय वर्ष 1980-81 में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से से कम 50 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी के खरीदें ।

(ग) विभिन्न कार्यालय देवनागरी टाइपराइटर खरीदने के अतिरिक्त रोमन लिपि के उपलब्ध टाइपराइटरों में से कुछ को आवश्यकतानुसार देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों में बदलवा लें ।

5. **अधीनस्थ सेवाओं तथा पदों के लिए की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग :**

यह सुनिश्चित करने का यत्न किया जाए कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ सेवाओं और गैर-तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अनिवार्य रहते हुए भी शेष विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाए । प्रश्न पत्र भी हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएँ ।

6. **प्रशिक्षण केंद्रों में हिंदी के वैकल्पिक माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था :**

विभिन्न मंत्रालय, विभाग, निगम, उद्यम आदि अपने कर्मचारियों की भर्ती के बाद उनके लिए कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं । ऐसे अधिकांश पाठ्यक्रमों में अभी तक अंग्रेजी के माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्तमान राजभाषा नीति के अनुसार प्रस्ताव है कि इन प्रशिक्षणों के लिए वर्ष 1980-81 में "क", क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र हिंदी माध्यम से भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें ।

7. **विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग :**

यह सुनिश्चित करने का यत्न किया जाए कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त अन्य प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएँ और उन प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाए ।

8. **कुछ विशिष्ट नगरों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सघन प्रयास :**

प्रस्ताव है कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, देहरादून, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, पटना, रांची, धनबाद, अम्बाला, हिसार, और शिमला में स्थित कार्यालयों के कामकाज में हिंदी का गहन रूप से प्रयोग किया जाए और इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । उपर्युक्त नगरों के अतिरिक्त जिन नगरों में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन निगमों, उद्यमों, आदि के 10 या अधिक कार्यालय हों, उन नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए, उन्हें सक्रिय तथा प्रभावी बनाया जाए और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ ।

9. **आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जाँच बिन्दु (चैक प्वाइंटों) की स्थापना :**

अक्सर देखा गया है कि राजभाषा संबंधी अधिनियम, नियमों, आदेशों, अनुदेशों के उपबंधों का कार्यालयों में समुचित अनुपालन नहीं हो पाता । इस व्यवस्था पर निगाह रखने के लिए सभी कार्यालयों में यथावश्यक जांच-बिंदु बनाए जाने चाहिए इनकी सूची नमूने के लिए संलग्न है । अनुरोध है कि वर्ष 1980-81 में सभी कार्यालय इस प्रकार के जाँच बिन्दु बनाएं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करें जिससे राजभाषा संबंधी आदेशों का उचित अनुपालन हो सके ।

10. **कार्यालयों का निरीक्षण :**

अधिकारी जब दौरे पर जाते हैं तब उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वे देखें कि अन्य आदेशों के समक्ष राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन किस सीमा तक किया

जा रहा है। अक्सर मंत्रालय और विभाग इस प्रकार के निरीक्षण नहीं करवा पाते। सुझाव है कि वर्ष 1980-81 में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग "क" क्षेत्र के कम से कम पांच नगरों में स्थित अपने कार्यालयों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाएँ और इस बात का अध्ययन कराएं कि वहां राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, अनुदेशों तथा इस वार्षिक कार्यक्रम का किस सीमा तक अनुपालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय अधिकारी यह भी देखें कि नियमों और आदेशों आदि के उपबंधों के अनुपालन पर निगाह रखने वाले जांच बिन्दु किस सीमा तक काम कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान देखी गई कमियों को दूर करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाएँ।

राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए बनाए जाने वाले जाँच बिन्दुओं की प्रस्तावित सूची:

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावकारी जाँच बिन्दु बनाए। कुछ जांच बिन्दु पहले से ही काम कर रहे हैं, जहाँ ऐसे जाँच बिन्दु नहीं बनाए गए हैं, वहाँ पर उन्हें बनाने की, और जहाँ पहले से हैं, उन्हें प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है।

इस समय जो जाँच बिन्दु काम कर रहे हैं अथवा जो और बनाए जा सकते हैं उनका विवरण निम्नलिखित है:—

1. फार्मों, कोडों, मैनुअलों और गजट की सामग्री की द्विभाषी रूप में छपाई:

निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के प्रेस इस बात का ध्यान रखते हैं कि (क) भारत के गजट में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प तथा (ख) कोड, मैनुअल, फार्म तथा रजिस्टरों के शीर्षक आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों। जो सामग्री इस प्रकार की नहीं होती उसे मुद्रण निदेशालय संबंधित विभाग को वापस कर देता है। इस प्रकार के जांच बिन्दु भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के अधीन मुद्रणालयों के लिए भी बनाए जाने चाहिए, जिससे ऐसी सामग्री केवल अंग्रेजी में न छपे।

2. देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद:

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों और उनके अधीन कार्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वर्ष में खरीदे जाने वाले कुछ टाइपराइटरों में से निर्धारित प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी लिपि के खरीदें। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय अपने यहाँ प्राप्त होने वाले इंडेंटों की जांच करके यह देखता है कि क्या निर्धारित अनुपात में देवनागरी टाइपराइटरों के आर्डर दिए गए हैं या नहीं। जो विभाग या उपक्रम अपने कार्यालयों के लिए टाइपराइटरों की खरीद पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की मार्फत नहीं करते और सीधे खरीद करते हैं, उन्हें भी इस प्रकार के जांच बिन्दु बना लेने चाहिए। उनका जो अधिकारी टाइपराइटर खरीदने के लिए आर्डर देता है उसे भी खरीद करते समय यह देख लेना चाहिए कि क्या वर्ष के दौरान निर्धारित प्रतिशत के अनुसार देवनागरी लिपि के टाइपराइटर मंगाए जा रहे हैं।

3. सामान्य आदेश आदि को द्विभाषी रूप में जारी करना:

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी सामान्य आदेश आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए। इसके लिए उस अनुभाग को, जहाँ परिपत्र आदि साइक्लोस्टाइल किए जाते हैं, जांच बिन्दु बना दिया जाए और ऐसे परिपत्र जो सामान्य आदेश की परिभाषा में आते हैं, तभी साइक्लोस्टाइल किए जाएं, जब उनका हिंदी रूपान्तर भी साथ हो। साथ ही जो अनुभाग परिपत्रों, आदि के प्रेषण का काम करता है, वही यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रकार के परिपत्र तथा अन्य सामान्य आदेश हिंदी में भी साथ साथ जारी हो रहे हैं। विशेष परिस्थिति में यदि कोई सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी करना आवश्यक हो तो उसके लिए पहले से निश्चित किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाए : लेकिन ऐसे प्रलेखों का भी हिंदी रूपान्तर अधिक से अधिक एक सप्ताह में जारी कर दिया जाए।

4. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों को जाने वाले पत्र:

प्रेषण अनुभाग को जाँच बिन्दु बनाकर उनसे कहा जाये कि वे "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों को जाने वाले पत्रों को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करें जब वे हिंदी में हों या उनका हिंदी अनुवाद साथ लगा हो। इन राज्यों को पत्र अंग्रेजी में भेजने की अनुमति देने के लिए किसी उच्च स्तर के अधिकारी को नामित किया जाए और वह अधिकारी देखें कि इस प्रकार की अनुमति विशेष परिस्थितियों में ही दी जाए सामान्य रूप से नहीं।

5. लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना:

प्रेषण अनुभाग को इसके लिए जांच बिन्दु बनाया जाए कि "क" क्षेत्र को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में लिखे जाएं।

6. रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनवाना:

जो अनुभाग इन वस्तुओं को बनवाने का काम देखता है, उसके प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित वस्तुएं हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अर्थात् द्विभाषी रूप में बनवाई जा रही हैं।

7. सर्विस बुक में प्रविष्टियाँ :

जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सर्विस बुकों में प्रविष्टियां करने का काम होता है उसके प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में काम करने वाले "ग" तथा "घ" श्रेणी के कर्मचारियों की सर्विस बुकों में की गई प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही है । इस बात की पड़ताल सर्विस बुक में प्रविष्टि करते समय या उस पर हस्ताक्षर करते समय कर ली जाए।

8. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना :

जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्र जारी होता है, उसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाए।

9. सामन्य जिम्मेवारी :

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिंदी में या हिंदी-अंग्रेजी में जारी होने चाहिए या जो प्रलेख हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार हों, वे उसी रूप में जारी होते हैं, यह देखने की जिम्मेदारी पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की रहनी चाहिए । यदि हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा इस बारे में कोई चूक हो जाए तो उपर्युक्त जाँच बिन्दु उस अधिकारी का ध्यान उस चूक की ओर आकर्षित करा देंगे जिससे उसे तत्काल सुधार लिया जाए। जिन अधिकारियों के पास वैयक्तिक सहायक आदि नियुक्त है उनके सजग रहने से भी इस संबंध में सहायता मिल सकती है।

"ख" क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

1. (क) हिंदी (देवनागरी) टाइपराइटरों की व्यवस्था:

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976, का अनुपालन करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार के हर कार्यालय में देवनागरी टाइपराइटर काफी संख्या में उपलब्ध हों । 1976-77 के वार्षिक कार्यक्रम में इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गये थे :

(1) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक भी टाइपराइटर नहीं है उन सभी कार्यालयों में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर खरीद लिया जाए।

(2) महाराष्ट्र गुजरात तथा पंजाब राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक टाइपराइटर पहले से है, वे वर्ष भर में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से कम 25 प्रतिशत देवनागरी के टाइपराइटर खरीदें ।

लेकिन यह देखा गया है कि बहुत से कार्यालयों में उपर्युक्त लक्ष्यों के अनुसार देवनागरी टाइपराइटर नहीं खरीदे जा सके हैं । इसलिए, यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1980-81 में इन लक्ष्यों के अनुसार टाइपराइटर खरीदने के लिए यथोचित कार्रवाई की जाए ।

(ख) रोमन लिपि के टाइपराइटरों को देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों में बदलना

अनेक कार्यालयों ने अपने काम के लिए काफी संख्या में देवनागरी टाइपराइटर खरीदे हैं, लेकिन बहुत से कार्यालयों में पैसे की कमी या किसी अन्य कारण से देवनागरी टाइपराइटर नहीं खरीदे जा सके हैं । देवनागरी के टाइपराइटरों की कमी को कुछ हद तक दूर करने के लिए कुछ कार्यालयों ने रोमन लिपि के टाइपराइटरों को देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों में बदलवा लिया है।

यह निर्णय किया गया है कि 1980-81 में विभिन्न मंत्रालय और विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार देवनागरी टाइपराइटर खरीदने की व्यवस्था तो करें ही, साथ ही इस संबंध में अपनी आवश्यकता की आंशिक पूर्ति के लिए, रोमन लिपि के फालतू टाइपराइटरों को देवनागरी टाइपराइटरों में बदलवा लें ।

2. करारों, संविदाओं तथा टेंडरों के फार्मों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) (iii) के अनुसार करारों, संविदाओं और टेंडरों के फार्मों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग करना अनिवार्य है । परन्तु अभी भी, केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय अपने करारों, संविदाओं आदि में, इस प्रावधान के अनुसार, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं । संभवतः इसका कारण संविदाओं, टेंडरों आदि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले फर्मों का हिन्दी में उपलब्ध न होना है । इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि 1980-81 में करारों, संविदाओं तथा टेंडरों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी फार्मों का हिन्दी में अनुवाद तैयार करवा कर उन्हें द्विभाषिक रूप में छपवा/साइक्लोस्टाइल करवा लिया जाए जिससे उनमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सके ।

3. भारत में हस्ताक्षर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों का हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना :

यह विषय पिछले कई वर्षों से वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाता रहा है । लेकिन देखा गया है कि संबंधित

मंत्रालयों में अभी भी ऐसी संधियों में अधिकतर अंग्रेजी का ही उपयोग किया जा रहा है अतः यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में ऐसी सभी संधियों और करारों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाए।

4. कुछ विशिष्ट नगरों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सघन प्रयास:

1976-77 के वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी भाषी प्रमुख क्षेत्रों के नगरों जैसे लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना तथा दिल्ली में स्थित विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों के कामकाज में गहन रूप से हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था इसके लिए वहां प्राथमिकता के आधार पर देवनागरी टाइपराइटरों, टाइपिष्टों, आशुलिपिकों आदि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। अब यह निश्चय किया गया है कि बम्बई, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए।

5. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करना:

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किये जाने अपेक्षित हैं। यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1980-81 में ऐसे अधिकांश कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाए।

6. जिन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को अपनाया है, उनमें स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना:

(क) उपर्युक्त राज्यों में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच आपसी पत्र-व्यवहार में हिंदी का प्रयोग।

यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1979-80 की भांति, 1980-81 में भी महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित, केन्द्रीय सरकार के, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच, कम से कम 30 प्रतिशत पत्र व्यवहार हिंदी में किया जाएं। जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उनकी सहूलियत के लिए अनुवाद की यथोचित व्यवस्था की जाए।

(ख) उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और मंत्रालयों/विभागों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग।

यह निश्चय किया गया है कि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित, केन्द्रीय सरकार के, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, मंत्रालयों/विभागों को भेजे जाने वाले पत्रों में से कम से कम 30 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजें। मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों में कम से कम 40 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजने चाहिएं।

(ग) फाइलों पर टिप्पण के लिए हिंदी का प्रयोग।

उपर्युक्त राज्यों में स्थित, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अध्यक्षों को चाहिए कि वे कुछ फाइलों में, हिन्दी का प्रयोग करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें।

7. प्रेस विज्ञप्तियों आदि को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी करना।

प्रस्ताव है कि वर्ष 1980-81 के दौरान जारी की जाने वाली सभी प्रेस विज्ञप्तियां द्विभाषिक रूप में जारी की जाएं।

8. सरकारी विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी करना।

यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1980-81 में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन कंपनियों/निगमों आदि द्वारा जारी किये जाने वाले जो विज्ञापन अखिल भारतीय स्तर के हों या हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए हों, उन्हें संबंधित भाषाओं के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में, हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में साथ साथ जारी किया जाए। इस संबंध में वर्ष 1976-77 के कार्यक्रम में निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी :—

(1) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय दिल्ली सहित हिन्दी/भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/निगमों आदि से विज्ञापन तभी स्वीकार करेगा जबकि विज्ञापन की सामग्री उसे हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) अन्य क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से सामग्री अपवाद के रूप में, केवल अंग्रेजी में स्वीकार की जाएगी और उसका हिन्दी रूपान्तर निदेशालय स्वयं तैयार करेगा ताकि विज्ञापन हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में साथ साथ जारी हो सकें। वर्ष 1980-81 में भी यही व्यवस्था जारी रखी जाए।

9. **केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन कम्पनियों/ निगमों में हिंदी का प्रयोग ।**

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के अनुसार इन कंपनियों तथा निगमों को केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के समान माना गया है और संघ की राजभाषा नीति इन पर भी लागू होती है । इन कंपनियों, निगमों आदि के हिन्दी भाषी क्षेत्रों और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को चाहिए कि वे इस नीति का अनुपालन करें । लेकिन जाहिर है कि दोनों प्रकार के कार्यालयों के लिए इस संबंध में लक्ष्य भिन भिन्न होंगे, क्योंकि पहले प्रकार के कार्यालयों के लिए कार्यक्रम 1973-74 में ही शुरू कर दिए गए थे, लेकिन दूसरे प्रकार के कार्यालयों के लिए इस संबंध में शुरुआत 1975-76 में की गई। इसलिए इस संबंध में नीचे लिखे अनुसार निश्चय किए गए हैं ।

महाराष्ट्र, गुजरात, तथा पंजाब, चंडीगढ़ में स्थित केन्द्रीय सरकार की कंम्पनियों और निगमों में हिंदी का प्रयोग।

उपर्युक्त कंपनियों और निगमों को भी राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और राजभाषा नीति का अनुपालन करना है, इसलिए अनुरोध है कि वे इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करें:—

1. हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ।
2. प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर खरीदें ।
3. कर्मचारियों के लिए हिन्दी में संदर्भ साहित्य की व्यवस्था करें ।
4. जिन सरकारी उद्यमो में सौ से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, उनमें आवश्यक संख्या में देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाएँ और जरूरत के मुताबिक हिन्दी टाइपिस्ट, हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अनुवादक नियुक्त किए जाएं ।
5. सरकारी उद्यमों में इस्तेमाल किए जा रहे फार्मों आदि का हिन्दी में अनुवाद कराया जाए तथा उन्हें द्विभाषिक रूप में छपवाया जाए । जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि जनता को द्विभाषिक फार्म उपलब्ध हों ।

10. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन ।**

यह निर्णय किया जा चुका है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के जिन नगरों में केन्द्रीय सरकार के 10 अथवा उससे अधिक कार्यालय हैं उनमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए, जिनमें संबंधित नगर में स्थित, केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों का एक एक प्रतिनिधि सम्मिलित हो । वर्ष 1980-81 में ऐसी समितियों लखनऊ, कानपुर, देहरादून, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, रांची, धनबाद, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जयपुर, अजमेर, चंडीगढ़, शिमला, अम्बाला, बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद और बड़ौदा में बनाने का निश्चय किया गया है ।

"ग" क्षेत्र अर्थात अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

1. **(क) हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों की व्यवस्था**

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का अनुपालन करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार के हर कार्यालय में देवनागरी टाइपराइटर काफी संख्या में उपलब्ध हों । 1976-77 के वार्षिक कार्यक्रम में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए थे :—

(1) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक भी टाइपराइटर नहीं है उन सभी कार्यालयों में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर खरीद लिया जाए ।

(2) अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक टाइपराइटर पहले से है वे वर्ष में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों में से कम से कम 10 प्रतिशत देवनागरी के टाइपराइटर खरीदें ।

लेकिन यह देखा गया है कि बहुत से कार्यालयों में उपर्युक्त लक्ष्यों के अनुसार देवनागरी टाइपराइटर नहीं खरीदे जा सके हैं। इसलिए, यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1980-81, में इन लक्ष्यों के अनुसार टाइपराइटर खरीदने के लिए यथोचित कार्रवाई की जाए ।

(ख) रोमन लिपि के टाइपराइटरों को देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों में बदलना ।

अनेक कार्यालयों ने अपने काम के लिए काफी संख्या में देवनागरी टाइपराइटर खरीदें हैं, लेकिन बहुत से कार्यालयों में पैसे की कमी या किसी अन्य कारण से देवनागरी टाइपराइटर नहीं खरीदे जा सके हैं । देवनागरी के टाइपराइटरों की कमी को कुछ हद तक दूर करने के लिए कुछ कार्यालयों ने रोमन लिपि के टाइपराइटरों को देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों में बदलवा लिया है । यह निर्णय किया गया है कि 1980-81 में विभिन्न मंत्रालय और विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार देवनागरी टाइपराइटर के खरीद की व्यवस्था तो करें ही, साथ ही इस संबंध में अपनी आवश्यकता की आंशिक पूर्ति के लिए, रोमन लिपि के फालतू टाइपराइटरों को देवनागरी टाइपराइटरों में बदलवा लें ।

2. करारों, संविदाओं और टेंडरों के फार्मों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग:

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) के अनुसार करारों, संविदाओं और टेंडरों के फार्मों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग करना अनिवार्य है। परन्तु अभी भी, केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय अपने करारों, संविदाओं आदि में, इस प्रावधान के अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। संभवतः इसका कारण संविदाओं, टेंडरों आदि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले फार्मों का हिन्दी में उपलब्ध न होना है। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि 1980-81 में करारों, संविदाओं तथा टेंडरों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी फार्मों का हिन्दी में अनुवाद तैयार करवा कर उन्हें द्विभाषिक रूप में छपवाया या साइक्लोस्टाइल करवा लिया जाए जिससे उनमें हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सके।

3. भारत में हस्ताक्षर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों का हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना।

यह विषय पिछले कई वर्षों से वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाता रहा है। लेकिन देखा गया है कि संबंधित मंत्रालयों में अभी भी ऐसी संधियों में अधिकतर अंग्रेजी का ही उपयोग किया जा रहा है। अतः यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में ऐसी सभी संधियों और करारों को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में, तैयार किया जाए।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करना।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हैं उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने अपेक्षित हैं। यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1980-81 में ऐसे अधिकांश कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाए।

5. अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग।

(क) हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के अनुपालन के लिए उपाय।

यह निश्चय किया गया है कि 1980-81 के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के उचित अनुपालन के लिए, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा यथोचित उपाय किए जाए।

(ख) हिंदी-भाषी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग।

यह निश्चय किया गया है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अपने मंत्रालय और विभागों को कम से कम दस प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजें।

6. प्रेस विज्ञप्तियों आदि को हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी करना।

प्रस्ताव है कि वर्ष 1980-81 के दौरान जारी की जाने वाली सभी प्रेस विज्ञप्तियां द्विभाषिक रूप में जारी की जाएँ।

7. सरकारी विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी करना।

यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1980-81 में, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन कंपनियों/निगमों आदि द्वारा जारी किए जाने वाले जो विज्ञापन अखिल भारतीय स्तर के हों या हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए हों, उन्हें संबंधित भाषाओं के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, साथ साथ जारी किया जाए! इस संबंध में वर्ष 1976-77 के कार्यक्रम में निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी :—

(1) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, दिल्ली सहित हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/निगमों आदि के विज्ञापन तभी स्वीकार करेगा जबकि विज्ञापन की सामग्री उसे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) अन्य क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से सामग्री, अपवाद के रूप में, केवल अंग्रेजी में स्वीकार की जाएगी उसका हिन्दी रूपान्तर निदेशालय स्वयं तैयार करेगा ताकि विज्ञापन हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी हो सके।

वर्ष 1980-81 में भी यही व्यवस्था जारी रखी जाए।

8. केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन कम्पनियों/निगमों में हिन्दी का प्रयोग।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के अनुसार इन कम्पनियों तथा निगमों को केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के समान माना गया है और संघ की राजभाषा नीति इन पर भी लागू होती है।

इन कम्पनियों/निगमों आदि के हिन्दी भाषी क्षेत्रों और अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को चाहिए कि वे इस नीति का अनुपालन करें। लेकिन, जाहिर है कि दोनों प्रकार के कार्यालयों के लिए इस संबंध में लक्ष्य भिन्न-भिन्न होंगे क्योंकि पहले प्रकार के कार्यालयों के लिए कार्यक्रम 1973-74 में ही शुरू कर दिए गए थे लेकिन, दूसरे प्रकार के कार्यालयों के लिए इस संबंध में शुरुआत 1975-76 में की गई। इसलिए इस संबंध में नीचे लिखे अनुसार निश्चय किया गया है :—

अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों और निगमों में हिन्दी का प्रयोग।

उपर्युक्त कम्पनियों और निगमों को भी राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और राजभाषा नीति का अनुपालन करना है, इसलिए अनुरोध है कि वे इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करें :—

1. हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।
2. प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर खरीदें।
3. कर्मचारियों के लिए हिन्दी में संदर्भ साहित्य की व्यवस्था करें।
4. जिन सरकारी उद्योगों में 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं उनमें आवश्यक संख्या में देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाएं और जरूरत के मुताबिक हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अनुवादक नियुक्त किए जाएं।
5. सरकारी उद्योगों में इस्तेमाल किए जा रहे फार्मों आदि का हिन्दी में अनुवाद कराया जाए तथा उन्हें द्विभाषिक रूप में छपवाया जाए। जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि जनता को द्विभाषिक फार्म उपलब्ध हों।

9. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्य का विस्तार।

राजभाषा विभाग के 29 दिसम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन (संख्या ई-11015/57/72-रा०भा०) में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित, केन्द्रीय सरकार के, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन समितियों का गठन किए जाने के अनुदेश जारी किए गए थे। उस समय इन समितियों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए :—

1. हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण से संबंधित राजभाषा के अनुदेशों के कार्यान्वियन की समीक्षा करना।
2. हिन्दी पढ़ने और हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि सीखने के लिए अधिकाधिक संख्या में कर्मचारियों को भेजना।

बाद में 1973-74 और 1974-75 के दो वर्षीय कार्यक्रम के संदर्भ में इस विभाग के 5 सितम्बर, 1973 के कार्यालय ज्ञापन (सं० ई-11013/8/73-रा० भा०-1) में इन समितियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया और यह निश्चय किया गया कि महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब राज्यों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वियन समितियां अपने कार्यालयों में सरकारी प्रयोजनों के कामकाज में हिंन्दी प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों की समितियों के कार्य का विस्तार कर उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुपालन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

अब यह निर्णय किया गया है कि अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की राजभाषा समितियों के कार्य का और विस्तार कर उन्हें अपने कर्यालयों में सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने का कार्य भी सौंपा जाए।

समाचार

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में 'राजभाषा वर्ष'

कारपोरेशन के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय में दिनांक 8-3-1979 को मार्केटिंग डिवीजन की हिंदी कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष श्री आर० एम० बसरुर की अध्यक्षता में हिंदी अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में चारो रीजनों के मैनेजर (ट्रेनिंग तथा डेवलपमेंट) उपस्थित थे। अन्य बातों के साथ-साथ इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हिंदी प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाए कि वर्ष 1982-83 तक कारपोरेशन के 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाए तथा टाइपिस्ट भी हिंदी टाइपिंग सीख लें। यह भी तय किया गया कि अधिक से अधिक प्रपत्र द्विभाषिक रूप में बनाए जाएँ। अब तक अखिल भारतीय स्वरूप के 20 प्रपत्र द्विविभाषिक बना लिए गए हैं। इस सम्मेलन में प्रधान कार्यालय की हिंदी कार्यान्वियन समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया और उनका मार्गदर्शन लिया गया।

बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय में हिंदी कार्यान्वियन समिति की दूसरी बैठक 28-6-1979 को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन हिंदी कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष तथा डिप्टी मैनेजर श्री बिमल कपूर ने की। रीजनल कार्यालयों में भी इस वर्ष समय-समय पर हिंदी कार्यान्वियन समिति की बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में कारपोरेशन के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया।

हिंदी कार्यशाला :

नई दिल्ली स्थित नार्दर्न रीजनल कार्यालय में 14-5-1979 से 18-5-1979 तक एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 18 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसी तरह कलकत्ता स्थित रीजनल कार्यालय में 29-10-1979 से 30-10-1979 तक एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 13 कर्मचारियों ने भाग लिया। अब यह निश्चय किया गया है कि इस प्रकार की कार्यशालाएँ, डिविजनल कार्यालयों में भी, जहाँ से बड़ी संख्या में पत्र व्यवहार होता है, आयोजित की जाएँ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम :

दिनांक 4-1-1979 को प्रधान कार्यालय, बम्बई में हिंदी कविता पाठ का कार्यक्रज रखा गया। प्रधान कार्यालय में ही 9-3-1979 को पर्वतारोहण संबंधी एक रोचक वार्ता प्रस्तुत की गई और नार्दर्न रीजन के हिंदी अधिकारी श्री जुगल किशोर गौड़ ने, जो स्वयं एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, अपने अनुभव बताए। पर्वतारोहण जैसे वैज्ञानिक विषय पर सरल हिंदी में की गई वार्ता अहिंदी भाषियों ने भी पसंद की।

दिनांक 29-8-1979 को प्रधान कार्यालय में 'प्रेमचंद-जन्म-शती' समारोह मनाया गया। मराठी रंगमंच के विख्यात अभिनेता दिग्दर्शक श्री आत्माराम भेंडे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री आत्माराम भेंडे इंडियन आयल कार्पोरेशन में डिप्टी मैनेजर (टेकनिकल सर्विसेज़) हैं। इस कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं के व्याख्यान हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित थे।

दिनांक 18-9-1979 को प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एस०एन०डी०टी० आर्टस ऐंड कामर्स कालेज के हिंदी स्नातक विभाग की अध्यक्षा डा० उमा शुक्ल, मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने इस अवसर पर हिंदी मुहावरे और अभिव्यक्ति विषय पर बहुत ही मनोरंजक व्याख्यान दिया।

हिंदी प्रतियोगिताएँ :

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की इंडियन आयल शाखा के सहयोग से प्रधान कार्यालय में निम्नलिखित प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई :—

	तारीख	प्रतियोगिता का विषय	भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या
1.	13-8-1979	हिंदी ज्ञान परीक्षा	12
2.	17-8-1979	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	18
3.	27-9-1979	अखिल भारतीय हिंदी टिप्पण तथा प्रारूपण प्रतियोगिता	14
4.	16-10-1979	अखिल भारतीय हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता	7
5.	5-11-1979	अखिल भारतीय हिंदीतर भाषी हिंदी निबंध प्रतियोगिता	6

पुरस्कार वितरण समारोह :

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं, इंडियन ग्रायल शाखा द्वारा ली गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टाइपिंग परीक्षाओं में प्रधान कार्यालय में सर्वप्रथम आने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देने का समारोह दिनांक 18-9-1979 को संपन्न हुआ ।

पूर्वोत्तर रेलवे (मंडल अधीक्षक का कार्यालय), लखनऊ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 25 सितम्बर, 79 को बलरामपुर में हुई । इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री लाल जी सिंह ने घोषणा की कि वे किसी भी अधिकारी का यात्रा कार्यक्रम तब तक मंजूर नहीं करेंगे जब तक कि वह हिंदी में न हो । इस बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी की प्रगति का कार्य नीति मूलक होना चाहिए, व्यक्ति मूलक नहीं । ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अधिकारी विशेष के हट जाने से यह प्रगति रुक जाए ।

23 जनवरी, 1980 को समिति की अगली बैठक विसवाँ स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक, श्री एस० एम० भास्कर की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन स्टेशनों पर 250 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहाँ भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित कर दी जाएँ। इस समय लखनऊ मंडल में कानपुर, अनवरगंज, लखनऊ जंक्शन, गोंडा, गोरखपुर और मैलानी में ऐसी समितियां कार्यकर रही हैं । श्री भास्कर ने बताया कि हिंदी के प्रचार-प्रसार को अधिक गतिशील बनाने के लिए कानपुर, अनवरगंज, गोंडा, मैलानी और लोको शेड चार बाग में नए हिंदी पुस्तकालय भी खोले जा रहे हैं ताकि कर्मचारी अपनी हिंदी की योग्यता बनाए रख सकें ।

इस अवसर पर प्रगति संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करते हुए हिंदी अधीक्षक श्री जगपति शरण निगम ने बताया कि विगत 3 महीनों में कुल 26499 पत्र जारी किए गए जिनमें से 25505 पत्र हिंदी में थे । उन्होंने सूचित किया कि शतप्रतिशत सामान्य आदेश हिंदी में जारी किए गए तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के पालन पर विशेष बल दिया गया । राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार 'क' क्षेत्र को जाने वाले सभी पत्र हिंदी में ही भेजे गए । समिति ने यह निर्णय लिया कि सभी अधिकारियों को चाहिए कि वे हिंदी में डिक्टेशन देने की गति तेज करें । इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे हिंदी समिति, लखनऊ के तत्वावधान में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा भी आयोजित किया गया ।

लेखा-परीक्षा बोर्ड तथा वाणिज्य लेखा परीक्षा कार्यालय, नई दिल्ली में हिन्दी की प्रगति :

कार्यालय में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 10-12-79 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई । सामान्य आदेशों, परिपत्रों आदि की परिभाषा के अधीन आने वाले कागज-पत्रों तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट कागज-पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी करने के लिए श्री देवव्रत मुखर्जी (उप-निदेशक) को कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया। समिति की राय थी कि इस व्यवस्था से राजभाषा अधिनियम की उपर्युक्त धारा का यथावत् अनुपालन हो सकेगा । इसके अतिरिक्त टिप्पण एवं आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि अभी इस मामले में समझा-बुझाकर काम कराया जाए ।

हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित किए जाने वाले पदाधिकारियों के संबंध में समिति ने मत व्यक्त किया कि अ० भा० ले० प० तथा ले० अ० को नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अनुमोदन से ही प्रशिक्षण पर भेजा जाना चाहिए । इस सत्र में 6 अधिकारियों को हिंदी, 5 लिपिकों को हिंदी टाइपिंग और 3 लिपिकों को हिंदी आशुलिपि सीखने के लिए नामित करने का निर्णय किया गया ।

अन्य समस्याएँ और सुझाव इस प्रकार थे :—

(1) समिति ने इस बात पर बल दिया कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त और अतिरिक्त हिंदी सहायक संदर्भ साहित्य की खरीद के शीघ्रातिशीघ्र प्रयास किए जाएँ।

(2) हिंदी कार्यशालाओं के संचालन के संबंध में समिति ने मत व्यक्त किया कि जहाँ तक संभव हो सके, कार्यशालाएँ जनवरी, 80 से आरंभ कर दी जाएँ ।

(3) समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि सरकारी नीतियों, राजभाषा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों के अनुपालनार्थ पृथक हिंदी कक्ष की स्थापना की जाए । इस संबंध में समिति ने सुझाव दिया कि हिंदी कक्ष की स्थापना हेतु एक हिंदी अधिकारी, एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और एक हिंदी सहायक की व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई की जाए ।

भारतीय खाद्य निगम, हापुड़ में राजभाषा वर्ष

भारतीय खाद्य निगम, हापुड़ में राजभाषा वर्ष 1979 के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्यालयीन और निजी कार्य करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 15-1-80 को जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हापुड़ के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसमें 5 व्यक्तियों को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनमें से एक सहायक प्रबंधक (प्रशासन अनुभाग) और चार तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। दस व्यक्तियों को द्वितीय पुरस्कार दिया गया जिनमें से एक-एक सहायक प्रबंधक (क्रमशः भण्डारण और डिपो अनुभाग) तथा आठ कर्मचारी तृतीय श्रेणी के थे। इस प्रतियोगिता से अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी में कार्य करने के लिए काफी उत्साह पैदा हुआ। परिषद् ने निर्णय किया कि इसी प्रकार सरकारी कार्य में हिंदी को बढ़ावा देने हेतु इस प्रकार की प्रतियोगिता प्रति वर्ष आयोजित की जाए।

"सेल" में अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी नाटक प्रतियोगिता :

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ("सेल") एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसके इस्पात कारखाने और कार्यालय देश के कई हिंदी और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इससे "सेल" में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में काफी कठिनाइयाँ सामने आती रहती हैं। फिर भी "सेल" में हिंदी का कार्य सुनिश्चित रूप से दिनोदिन आगे बढ़ रहा है। हिंदी में अभिव्यक्ति के अवसर देने की दृष्टि से पिछले दो-तीन वर्षों से कुछ नए कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। इनमें केन्द्रीय और यूनिट स्तर पर वाक् तथा निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन, "हिंदी सप्ताह" मनाना, पुस्तकालयों के लिए हिंदी पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की खरीद, हिंदी-लिंग्वारिकार्डो और लिंग्वाकैसेटों तथा मैसूर स्थित "केंद्रीय भाषा संस्थान" द्वारा निर्मित 16 मि०मि० की "देवनागरी सीखो" (लर्न देवनागरी) अंग्रेजी फिल्मों को उपलब्धि कराना भी सम्मिलित हैं। "सेल" कार्यालयों के कर्मचारी इनमें बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। किंतु सन् 1979 में एक ऐसे कार्यक्रम का "सेल" में पहली बार आयोजन किया गया जिसे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का वातावरण बनाने की दृष्टि से मील का पत्थर कहा जा सकता है। यह कार्यक्रम था "सेल" के विभिन्न यूनिटों के अहिंदी मातृभाषी कार्मिकों की टीमों की हिंदी एकांकी नाटक प्रतियोगिता।

'सेल' द्वारा अहिंदी भाषियों के लिए आयोजित हिंदी नाटक प्रतियोगिता का हजारों दर्शकों ने भरपूर आनन्द लिया। दर्शकों की उपस्थिति का एक दृश्य।

"सेल" द्वारा केंद्रीय स्तर पर आयोजित इस अंतर्यूनिट नाटक प्रतियोगिता में लगभग 200 अहिंदी मातृभाषी कार्मिकों ने भाग लिया। अनेक कलाकार तो ऐसे थे जिन्होंने जीवन में पहली बार नाटक मंच पर पैर रखा था। प्रतियोगिता की एक अन्य विशेषता यह रही कि अहिंदी भाषी कार्मिकों ने नाटक-मंचन के दौरान अपने संवादों को इस खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया कि यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि वे लोग अहिंदी भाषी हैं। "सेल" मुख्यालय तथा विशाखापत्तनम् स्टील प्रोजेक्ट में तो पहली बार नाटक टीमों का गठन हुआ। अन्य सभी टीमों ने पहले यूनिट स्तर पर अपने-अपने कार्यालय में नाटक प्रतियोगिताएँ आयोजित की थीं। तदुपरांत यूनिट स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमों ने केंद्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी नाटक प्रतियोगिता में भाग लिया।

प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 12 से 14 दिसंबर, 1979 तक लगातार तीन दिन सायंकाल भिलाई स्टील प्लांट के 'नेहरु हाउस आफ कल्चर' में किया गया। इसमें प्रदर्शित नाटकों ने प्रतिदिन दो हजार से भी अधिक दर्शकों का मनोरंजन किया।

प्रतियोगिता में "सेल" की यूनिटों ने अपने निम्नलिखित नाटक प्रस्तुत किए :—

कार्यालय का नाम	नाटक का नाम
1. "सेल" मुख्यालय, नई दिल्ली	'किराए का मकान'
2. राउरकेला स्टील प्लांट	'प्याज के छिल्के'
3. केन्द्रीय कोल वाशरीज	'भाग्यचक्र'
4. भिलाई स्टील प्लांट	'एक तंबू में दस आदमी'
5. दुर्गापुर स्टील प्लांट	'इंटरव्यू'
6. अलॉय स्टील प्लांट	'गिरगिट'
7. बोकारो स्टील प्लांट	'शक'
8. विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट	'किसकी बात'
9. इंण्डियन आयरन ऐंड स्टील कं लि०, बर्नपुर	'मैं आइना हूँ'।

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान "इस्को" बर्नपुर के नाटक 'मैं आइना हूं' को मिला। दूसरा स्थान दुर्गापुर स्टील प्लांट के नाटक 'इंटरव्यू' को मिला तथा तीसरा स्थान भिलाई स्टील प्लांट के नाटक 'एक तम्बू में दस आदमी' ने प्राप्त किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हिंदी नाटकों पर एक परिसंवाद का भी आयोजन किया गया जिसमें सभा को भारतीय रंगमंच की अधुनातन प्रवृत्तियों का परिचय भी प्राप्त हो सका। वस्तुतः "सेल" में नाटक प्रतियोगिता का यह प्रथम आयोजन इतना लोकप्रिय रहा कि सभी यूनिटों ने इसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित करने का अनुरोध किया है।

OOO

भिलाई इस्पात प्लांट के नाटक 'एक तम्बू में दस आदमी' की एक भावपूर्ण मुद्रा

महालेखाकार, केरल के कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह :

'राजभाषा वर्ष' समारोह के संबंध में दिसंबर 1979 के अंतिम सप्ताह में हिंदी टंकण और हिंदी अनुवाद की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में इस कार्यालय के 14 कर्मचारियों ने भाग लिया। 28–12–79 को हुए समारोह में इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

राजभाषा विभाग में नकद पुरस्कार योजना :

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई नकद पुरस्कार योजना के अधीन वर्ष 1978–79 के दौरान हिंदी में किए गए काम के आधार पर राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री रघुनंदन प्रसाद शर्मा को 250 रुपए, भूतपूर्व उपसचिव श्री हरि बाबू कंसल को 150 रुपए और उपनिदेशक श्री पी०एल० कनौजिया को 75 रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए।

दिल्ली में चतुर्थ विश्व पुस्तक मेला का आयोजन :

इस वर्ष 29 फरवरी से 11 मार्च तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चतुर्थ विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 500 स्टालों पर लाखों की संख्या में भारतीय तथा विदेशी पुस्तकें प्रदर्शित की गईं। इस मेले का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीव रेड्डी ने किया। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया, अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया गया था। प्रदर्शनी के दौरान "ग्रामीण पाठकों के लिए पुस्तकें" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और "भारतीय भाषायों में आदान–प्रदान" विषय पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी भी आयोजित की गई जिसमें देश–विदेश के लेखक, प्रकाशक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शिक्षाविद् शामिल हुए।

शिमला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

22 नवम्बर, 1979 को शिमला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के महालेखाकार श्री चंद्रप्रकाश मित्तल की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उनके कार्यकाल में, डेढ़ वर्ष की अवधि में कार्यालय में हिंदी का प्रयोग 15 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया है। अब प्रतिमास हर विभाग में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। एक अधिकारी को निरीक्षण अधिकारी का काम सौंपा गया है जो विभिन्न अनुभागों में जाकर इस बात को देखता है कि ऐसे कौन–कौन से क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार धीरे–धीरे हिंदी का प्रयोग बढ़ता गया है। अन्य कार्यालय भी ऐसे उपाय अपना सकते हैं।

शिमला में स्थित सरकारी बैंकों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक उप समिति बनाई गई है जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में बैंकों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। समिति में, विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा के दौरान, यह देखा गया कि शिमला में प्राय: सभी केंद्रीय कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी हिंदी का ज्ञान रखते हैं और सभी कार्यालयों में काफी मात्रा में हिंदी में कामकाज होने लगा है।

हिसार में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

दिनांक 22 दिसंबर, 1979 को, हिसार में, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में हिसार स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयाध्यक्षों की एक बैठक हुई। बैठक में सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला गया और सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें बताई गईं।

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि हिसार में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाए। इससे केंद्रीय कार्यालयों के राजभाषा अधिकारी सम्मिलित बैठकों में, एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठा सकेंगे और हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की दिशा में जो कठिनाइयाँ आएँगी उनका मिल जुलकर हल ढूंढ़ सकेंगे।

यह भी सुझाव दिया गया कि सभी कार्यालय अपने किसी एक अधिकारी को हिंदी के कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपें। वह अधिकारी समय-समय पर विभिन्न अनुभागों में हिंदी में काम करने के लिए व्यावहारिक सुझाव देगा तथा सामान्य प्रकार के कामों के लिए हिंदी में मानक मसौदे तैयार करवाएगा।

पाठकों के पत्र

'राजभाषा भारती' का छठाँ एवं सातवाँ अंक प्राप्त हुआ । सरकार की भाषा नीति का स्पष्ट ज्ञान आपके अंकों द्वारा नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है । मुद्रण तथा अन्य पाठ्य सामग्री बहुत ही सुंदर है । मेरे विचार में हिंदी भाषी प्रदेशों में, जहाँ के कर्मचारी और अधिकारी 95 प्रतिशत हिंदी जानते हैं अथवा जिन्होंने हिंदी में कार्य दक्षता प्राप्त कर ली है, वहाँ हिंदी में काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए । इस प्रकार के क्षेत्रों में हिंदी में कार्य करने के लिए आवश्यक टंककों एवं आशुलिपिकों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

—मनोहर लाल गर्ग, महामंत्री,
अखिल भारतीय हिंदी प्रचार समिति, हाथरस (उ०प्र०)

'राजभाषा भारती' के अंक 5, 6 और 7 मिले। राजभाषा एवं संपर्क भाषा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति में यह पत्रिका बहुत ही सहायक साबित हो रही है । कृपया अपनी पत्रिका में मेरे नीचे लिखे सुझावों को स्थान देने का कष्ट करें :—

जिन केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में 80 प्रतिशत अथवा उसके ऊपर कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, उनमें हिन्दी में काम करना अनिवार्य होना चाहिए । निजी क्षेत्र की संस्थाओं व्यक्तियों, आदि को राजभाषा के काम को बढ़ावा देने पर प्रशंसा पत्र आदि दिए जाने चाहिए और पत्र-पत्रिकाओं में उनके नाम प्रकाशित किए जाने चाहिए । समय-समय पर समाचार-पत्रों में विज्ञापन अथवा लेख आदि प्रकाशित कर जनता को बताया जाना चाहिए कि राजकाज में हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार बढ़ रहा है । अहिंदी भाषी राज्य सरकारों को यह छूट दी जाए कि वे अपनी प्रादेशिक भाषाओं में भी केंद्रीय सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार कर सकती हैं, बशर्ते कि ऐसी सरकारें हिंदी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा में उनका उत्तर भी स्वीकार करें ।

इसी तरह जिन राज्य सरकारों के कार्यालयों में 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक कर्मचारी प्रादेशिक भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं उनमें प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए ।

एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी माध्यम को देश भर से हटाया जाए। इसके लिए, आवश्यक होने पर, सभी शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुला ली जाए ।

—ति० कृ० राजामणि अय्यर,
महासचिव, कांस्यबहाल राष्ट्रभाषा सभा,
उत्कल मशीनरी लिमिटेड, कांस्यबहाल

'राजभाषा भारती' का जुलाई-दिसंबर, 1979 अंक यथासमय मिल गया था । इससे पहले के भी कई अंक मिलते रहे हैं और मैं उन्हें पढ़ता रहा हूं । यह अंक भी अनेक उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है जैसे 'भारतीय संविधान में भाषा संबंधी व्यवस्थाएं आदि । अगले अंकों में इन व्यवस्थाओं की जो व्याख्याएं आप प्रस्तुत करेंगे वे स्वयं अपने आप में मानक भाषा और सरल सुबोध मुहावरेदार भाषा के बीच पुल बाँध सकेंगी। श्री जीवन नायक का 'शिक्षण-प्रशिक्षण' शीर्षक लेख भी काफी काम का है । मैं लेखक की इस बात से सहमत हूं कि 'भारतीय भाषाओं का वर्णात्मक विश्लेषण तो बहुत हुआ पर इस विश्लेषण का लाभ भाषा शिक्षण के लिए नहीं उठाया गया ।' और भी कई बातें अनुभवी लेखक ने उठाई हैं। इस तरह की सम्यक् आलोचनापरक दृष्टि की सचमुच जरूरत है। 'भाषा पहले और नियम बाद में' यह बुनियादी सूत्र है, पर इसकी अवहेलना हुई है । साहित्य की सहायता से भाषा लिखने के बारे में श्री नायक जी को आपत्तियां हैं उन्हें मैं ठीक से नहीं समझ सका । मान लीजिए कन्नड़ भाषी हिंदी के आधारभूत व्याकरण से परिचित हो चुका हो—वह इस अनुवाद में उतरेगा तो वह अपनी मातृभाषा के साथ की अपनी अंतरंगता के स्तर पर ही हिंदी की अंतरंग शक्ति का भी अनुभव करेगा यह अनुभव शुद्ध भाषा ज्ञान के स्तर पर भी उसके लिए मूल्यवान सिद्ध होगा ।

—रमेश चंद्र शाह,
312, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल।

'राजभाषा भारती' जहां एक ओर भारतीय बुद्धिजीवियों को हिंदी का अधिकाधिक व्यवहार करने के लिए अनुप्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदी के संबंध में हर प्रकार की भ्रांतियों का निराकरण कर बौद्धिक वर्ग को यथार्थ स्थिति से परिचित कराने का स्तुत्य प्रयास कर रही है । इसके लिए मेरा साधुवाद स्वीकार करें ।

—कुंदनलाल शुक्ल शास्त्री, राजभाषा अधिकारी,
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता ।

"राजभाषा भारती" पत्रिका समय की आवश्यकता है । इसे उपयोगी बनाने के लिए तथा इसके अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपादकगण द्वारा किया गया प्रयास अनुशंस्य है ।

संघ सरकार के विभिन्न कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी के स्वरूप, प्रमुख सांविधानिक व्यवस्थाओं और तत्संबंधी आदेशों, अनुदेशों के क्रियान्वयन का विवरण सूचनाप्रद तो है ही, इतर कार्यलयों के कर्मचारियों में स्वीकारात्मक स्पर्धा की भावना भी जागृत करने में सक्षम है । यह विवरण हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा देता है।

हिंदी को प्रेमाग्रह से बढ़ाना होगा, सदृश लेखों का अहिंदी प्रांतों में हिंदी के विकास की दिशा में योगदान स्वयंसिद्ध है । इस प्रकार के लेख भावनात्मक स्तर पर हिंदी के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं ।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के परिपत्रों का प्रकाशन हिंदी के विकास में विशेषतः सहायक है । ये ज्ञापन निश्चय ही टिप्पण और आलेखन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे ।

"राजभाषा भारती" हिंदी की भाषिक संरचना की जानकारी के साथ-साथ विभिन्न तकनीकी संस्थानों में हिंदी के माध्यम से हुए अनुसंधानों की जानकारी देगी तथा हिंदी की उपयोगिता के विषय में लेख देकर समय-समय पर जनमत को प्रभावित करके हिंदी के सम्मान की वृद्धि में सहायक होगी, ऐसा विश्वास है ।

—धर्मपाल सिंह आर्य, एम० ए० (हिंदी, अंग्रेजी)
डा० जाकिर हुसैन कॉलेज़,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का अंक 6-7 प्राप्त हुआ । इस अंक में भाषाओं के संबंध में भारतीय संविधान में की गई व्यवस्थाओं को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है । इसके लिए मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ स्वीकार करें ।

संविधान में हिंदी को संघ की प्रमुख राजभाषा घोषित किए 15 वर्ष हो चुके हैं परंतु अधिकतर लोगों के मन में अब भी यह धारणा बनी हुई है कि हिंदी के पत्रों पर देर से कार्रवाई होती है । अतः वे चाह कर भी हिंदी में पत्र-व्यवहार करने में संकोच करते हैं । मेरा निवेदन है कि "राजभाषा भारती" निम्नलिखित संदेश या किसी अन्य संदेश द्वारा लोगों के मन से इस गलत धारणा को निकालने का प्रयत्न करें जिससे लोग यह समझ सकें कि हिंदी के पत्रों पर अपेक्षाकृत शीघ्र कार्रवाई की जाती है ।

"हिंदी में पत्र-व्यवहार करें । इससे आपका काम जल्दी होगा ।"

"राजभाषा भारती" का प्रत्येक अंक संग्रहणीय है । इसे "गागर में सागर" कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी ।

—बाल मुकंद अग्रवाल,
सदस्य, राजभाषा कार्यान्वियन समिति,
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
रेडक्रास रोड, नई दिल्ली

शब्दकोश और शब्दावलियाँ

केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की तथा अन्य विविध विषयों की हजारों पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। यहां हम प्रथम किश्त के रूप में निदेशालय द्वारा प्रकाशित शब्द-कोशों तथा शब्दावलियों की एक सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए कृपया सहायक निदेशक (बिक्री), केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली से पत्र-व्यवहार करें।

(1) बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह, विज्ञान : खंड 1 (ए-के) (गणित, गृह विज्ञान, प्राणिविज्ञान, भूगोल भूविज्ञान, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान) 17.52

(2) —वही— खंड 2 (एल-जेड) 17.25

(3) विज्ञानशब्दावली II (गणित, भौतिकी) 1.80

(4) विज्ञान शब्दावली-III [स्नातकोत्तर शब्दावली: रसायन] 1.75

(5) विज्ञान शब्दावली-IV [स्नातकोत्तर, शब्दावली: वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान] 1.70

(6) इंजीनियरी शब्दावली- I (मृदा यांत्रिकी, द्रव इंजीनियरी, रेल इंजीनियरी, सिंचाई इंजीनियरी) 0.80

(7) इंजीनियरी शब्दावली-II (विद्युत इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक तथा संचार इंजीनियरी) 0.80

(8) इंजीनियरी शब्दावली-III (भवन निर्माण सामग्री, संरचना के सिद्धांत तथा द्रव्य सामर्थ्य, महामार्ग इंजीनियरी, भवन निर्माण 1.50

(9) इंजीनियरी शब्दावली-IV (विद्युत इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी) 3.50

(10) बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह (आयुर्विज्ञान, भेषज विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान) 25.00

(11) आयुर्विज्ञान शब्दावली -I (अंग्रेजी–हिन्दी) (शरीर-रचना विज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान, जीवरसायन, भेषजगुण-विज्ञान, विकृति विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, कायचिकित्सा, कौमार भृत्य, शल्यविज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री-रोग विज्ञान, निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान, नेत्र-विज्ञान, मनोविकार-विज्ञान। 4.25

(12) आयुर्विज्ञान शब्दावली -I (अंग्रेजी-हिंदी रोमन) (शरीररचना विज्ञान, शरीरक्रिया विज्ञान, जीव रसायन, भेषजगुणविज्ञान, विकृतिविज्ञान, सूक्ष्म-जीवविज्ञान, कायचिकित्सा, कौमार-भृत्य, शल्य-विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान, निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान, नेत्र विज्ञान, मनोविकार विज्ञान। 8.75

(13) आयुर्विज्ञान शब्दावली-II (अंग्रेजी-हिंदी) (विकलांगविज्ञान, कर्ण, नासा एवं गला शल्य-विज्ञान, त्वचाविज्ञान, संवेदनाहरण-विज्ञान, विकिरणविज्ञान, परिचर्या, व्यवहार आयु-विज्ञान) 1.70

(14) आयुर्विज्ञान शब्दावली-II (अंग्रेजी हिंदी रोमन) (विकलांगविज्ञान, कर्ण, नासा एवं गला शल्य विज्ञान, त्वचा विज्ञान, संवेदनाहरण- विज्ञान, विकिरण विज्ञान, परिचर्या आयुर्विज्ञान) 4.10

(15) कृषि शब्दावली (कृषि) 2.50

(16) बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह: मानविकी खंड 1 (ए० के) (अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास तथा पुरातत्व, दर्शन, मनोविज्ञान, शिक्षा, नृवि-ज्ञान, समाजशास्त्र, तथा समाज-कार्य-विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भाषाविज्ञान, समालोचना, ललित कला, संगीत, पुस्तकालय विज्ञान, डाक-तार, पत्र-कारिता एवं मुद्रण, प्रशासन शब्दावली, रेल शब्दावली) 16.25

(17) –वही– खंड 2 (एल-जैड) 16.25

(18) मानविकी शब्दावली- I (इतिहास, पुरातत्व, और राजनीति शास्त्र) 2.25

(19) मानविकी शब्दावली-II (दर्शन, मनोविज्ञान और शिक्षा) 0.90

(20) मानविकी शब्दावली- IV (दर्शन मनोविज्ञान तथा शिक्षा भाग -II 1.10

(21) मानविकी शब्दावली-V (भाषाविज्ञान) 3.70

(22) मानविकी शब्दावली-IX (अर्थशास्त्र) 4.40

(23)	वाणिज्य शब्दावली-I (व्यापार, विपणन, व्यवसाय प्रबंध, बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी विनियम, शेयर बाजार, बीमा, आशुलिपि और टंकण शब्दावली)	1.25
(24)	वाणिज्य शब्दावली-II (बीमा, व्यवसाय प्रबंध, वाणिज्यिक विधि, परिवहन, लेखा-शास्त्र, लेखा परीक्षा)	2.85
(25)	डाक-तार शब्दावली (डाकतार विषयक शब्द)	1.40
(26)	रेलवे शब्दावली (यातायात संबंधी शब्द)	2.00
(27)	नृविज्ञान शब्दावली	10.00
(28)	व्यावहारिक शब्दकोश	4.00
(29)	भौतिकी पारिभाषिक कोश	4.80
(30)	रसायन परिभाषिक कोश	3.25
(31)	वनस्पति पारिभाषिक कोश (वनस्पति विज्ञान)	2.25
(32)	द्विभाषिक वार्तालाप (हिंदी अंग्रेजी)	1.25
(33)	बेसिक हिंदी ग्रामर	6.25
(34)	हिंदी-तमिल स्वयं-शिक्षक-पं० जयरामन	3.85
(35)	हिंदी तेलुगु स्वयं शिक्षक --वेमूरि आजनेय शर्मा	10.50
(36)	हिंदी-लिंग्वा रिकार्ड (16 डिस्क: 32 पाठ)	90.00
(37)	गृह परिवार चयनिका (घर परिवार अंक)	8.00
(38)	हिंदी पाठमाला (भाग-i---iv) (विदेशी विद्यार्थियों के लिए)	50.50
(39)	भू-विज्ञान परिभाषा कोश	10.00
(40)	शिक्षा परिभाषा कोश	13.00
(41)	रसायन परिभाषा कोश	17.00
(42)	समाज कार्य परिभाषा कोश	16.25
(43)	वाणिज्य परिभाषा कोश	24.70
(44)	वानिकी शब्दावली	8.50
(45)	वृहत पारिभाषक शब्द संग्रह (कृषि विज्ञान)	29.50
(46)	तरल सांख्यिकी	42.00
(47)	पशु चिकित्सा जीवाणु और विषाणु विज्ञान	40.00
(48)	जैव भेषजी	59.30
(49)	वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह (इंजीनियरी)	37.00
(50)	चिकित्सा सेवा अंक---3	18.80
(51)	अर्थसार (अर्थशास्त्र चयनिका)	25.50

□□□

पृष्ठ 37 का शेष]

3 मई, 1979 को कुद्रेमुख परियोजना स्थल पर हुई मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के अवसर पर कंपनी में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें हिंदी की प्रशासनिक सामग्री और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक साहित्य प्रदर्शित किए गए।

अहिंदी भाषी कर्मचारियों द्वारा हिंदी नाटक का मंचन:

राजभाषा वर्ष के अवसर पर कंपनी के अहिंदी भाषी कर्मचारियों द्वारा एक हिंदी हास्य नाटक 'हड़ताल' का सफल मंचन किया गया। इसकी विशेषता यह रही कि इस में भाग लेने वाले अहिंदी भाषी कर्मचारियों ने हिंदी के अल्प ज्ञान की परवाह न करते हुए कन्नड़ लिपि में संवाद लिख कर इन नाटक को तैयार किया। यह उनके अथक श्रम का ही परिणाम था कि नाटक के अभिनेताओं के स्वाभाविक अभिनय के साथ-साथ उनके हिंदी उच्चारण में भी सहज प्रवाह देखने को मिला।

○○○

आप हिंदी जानते हैं

क्या हिंदी में काम करते हैं ?

हिंदी में काम करना आसान है

शुरू तो कीजिए

बोल चाल की सरल हिंदी का प्रयोग करें ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।